लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price : *Four Rupees*

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17, गुरूवार, 30 जून, 1977/9 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 17, *Thursday, June* 30, 1977/*Asadha* 9, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या 264 से 268	Starred Questions Nos. 264 to 268	1–12
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8	Short Notice Question No. 8 . .	13–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANTWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 269 से 283	Starred Questions Nos. 269 to 283	16–26
अतारांकित प्रश्न संख्या 2250 से 2264, 2266 से 2297, 2299 से 2315 और 2318 से 2326	Unstarred Questions Nos. 2250 to 2264, 2266 to 2297, 2299 to 2315 and 2318 to 2326 .	26–62
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	62–63
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	63–67
पश्चिम बंगाल में पटसन एककों को बंद करने के बारे में इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन का कथित सुझाव	Reported suggestion of Indian Jute Mills Association to close down the jute units in West Bengal	
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandryppan	64
श्री मोहन धारिया	Shri. Mohan Dharia	65
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
रक्षा लेखा विभाग के वेतन और लेखा कार्यालय को मथुरा से नासिक रोड कैम्प स्थानान्तरित किया जाना	Shifting of Pay and Accounts Office of Defence Accounts Department From Mathura to Nasik Road Camp	67–68
समिति के लिए निर्वाचन —	Election to Committee—	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees' State Insurance Corporation	68
अनुदानों की मांगें- 1977-78	Demands for Grants 1977-78	
कृषि और सिंचाई मंत्रालय—	Ministry of Agriculture and Irrigation—	68
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	69
श्री धर्मवीर वशिष्ट	Shri Dharma Vir Vasisht .	83
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao . .	83
प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saksena . .	84
श्री शशांकशेखर सान्याल	Shri Sasankasekhar Sanyal . .	86

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय Subject		पृष्ठ Pages
डा० बापू कालदाते	Dr. Bapu Kaldaty . . .	87
श्री रामनरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	87
श्रीमती वी० जयालक्ष्मी	Shrimati V. Jeyalakshmi	88
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	90
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	91
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai .	92
श्री रामजीवन सिंह	Shri Ramjiwan Singh .	93
श्री गणनाथ प्रधान	Shri Gananath Pradhan	93
दो इंजनों वाले एक पाकिस्तानी पाइपर विमान के 30 जून, 1977 को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बारे में वक्तव्य—	Statement re. landing of a Pakistan twin-engine Piper Aircraft at Amritsar Airport on 30th June, 1977—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	95

लोक सभा
LOK SABHA

गरूवार, 30 जून 1977/9 आषाढ, 1899 (शक)
Thursday, June 30 1977/ Asadha 9, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्रमिकों संबंधी मामलों को निपटाने के लिये न्यायिक विंग

*264. **श्री के० ए० राजन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिकों सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए एक पृथक न्यायिक विंग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार इस बात से सहमत है कि बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों सम्बन्धी मामले लम्बित पड़े हुए हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से भी सहमत है कि बिना हड़ताल आदि के श्रमिकों सम्बन्धी इन मामलों को हल करने में एक स्वतंत्र न्यायिक मशीनरी सहायक होगी ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने ऐसी मशीनरी स्थापित करने का निर्णय ले लिया है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अधिक संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये चिन्तित है कि ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये कारगर मशीनरी की व्यवस्था की जाये। वास्तव में सरकार इस प्रयोजनार्थ आवश्यक मशीनरी को सुचारु बनाने के समूचे प्रश्न पर विचार कर रही है। त्रिपक्षीय सम्मेलन द्वारा स्थापित एक समिति ऐसे मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक मशीनरी को सुचारु बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि वे अधिक समय तक लम्बित न पड़े रहें जिससे औद्योगिक असन्तोष पैदा हो।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि यह समिति कब अपना प्रतिवेदन देगी और प्रतिवेदन आने तक क्या माननीय मंत्री स्वयं इन सभी मामलों के बारे में एक विस्तृत विधेयक लाने का विचार कर रहे हैं ताकि भविष्य में समस्याओं को अधिक कारगर ढंग से हल किया जा सके।

श्री रवीन्द्र वर्मा : समिति में केन्द्रीय कार्मिक संघों, कर्मचारियों के संगठनों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। आशा है कि समिति दो महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन देगी उसके बाद शीतकाल सत्र में मैं इस विषय के संबंध में एक विस्तृत विधेयक पेश करने की आशा रखता हूं।

श्री शशांक शखर सान्याल : क्या इस संबंध में सरकार के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और भारत की विभिन्न बार एसोशिएशनों की राय लेना सम्भव है?

श्री रवीन्द्र वर्मा : सरकार यथासम्भव सम्बन्धित पार्टियों से उनकी राय जानने का प्रयास कर रही है। जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है महाराष्ट्र सरकार ने एक बार सुझाव दिया था कि ऐसे मामलों के लिये उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ होनी चाहिये। इस पर विधि मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय ने विचार किया और उन्होंने निर्णय लिया कि इस उद्देश्य के लिए एक अलग पीठ का बनाना व्यावहारिक नहीं है। उच्चतम न्यायालय का यह विचार था। जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम है, इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग और ऐसें विवादों को निपटाने से सम्बन्धित पार्टियों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। यह समिति उन सभी सुझावों पर विचार कर रही है।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether Government feel that due to strikes in the country loss of manhours is very high ? The present tribunal may be converted into a judicial tribunal, but all the disputes, whether they relate to owners or to labour, should be brought before this judicial tribunal and its decision should be binding on owners as well as workers. I want to know whether Government propose to frame any such rule ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सच है कि हड़तालों और तालाबन्दियों दोनों के कारण मानव-दिनों की हानि होती है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हड़तालों या तालाबन्दियों के कारण मानव-दिनों की हानि न हो।

इस समय श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों की नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था है। एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी था जो समाप्त कर दिया गया था परन्तु यह प्रश्न उस समिति के विचाराधीन है कि क्या इस अपीलीय न्यायाधिकरण को पुनः चालू किया जाये और किस रूप में चालू किया जाये। जहाँ तक प्रश्न के अंतिम भाग का संबध है, इस बात पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री एस आर० दामाणी : क्या आप श्रम कानूनों का सरलीकरण कर रहे हैं या नहीं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : हम इस बात के बहुत इच्छुक हैं कि श्रम कानून सरल, सीधे और स्पष्ट हों।

श्री चित्त बसु : इस समय में औद्योगिक विवादों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरणों को भेजे जाते हैं। परन्तु इस ट्रीब्यूनल की प्रक्रिया काफ़ी लम्बी है और किसी मामले को निपटाने में कई वर्ष लग जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर क्या सरकार का विचार एक अतिरिक्त ट्रीब्यूनल नियुक्त करने का है या इन ट्रीब्यूनलों में जजों की संख्या बढ़ाने का विचार है ताकि मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके ? क्या प्रस्तावित विस्तृत श्रम कानून की योजना में नियोजकों को अनिवार्य रूप से समझौता बैठकों में उपस्थिति होने का उपबन्ध किया जायेगा क्योंकि अब अनुभव यह है कि वे इन बैठकों में उपस्थित नहीं होते जिससे विवाद अनावश्यक रूप से देर तक चलता रहता है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : खेद की बात है कि मामलों के निपटाने में काफ़ी देरी होती है। हमें मालूम है कि अधिक विलम्ब कर्मचारियों के हित में नहीं है क्योंकि वे इन्हें अधिक समय तक चलाने में समर्थ नहीं होते। हमारा एक ध्येय यह है कि इस अवधि को कम किया जाये। मुझे इस बात का अभी पूरा विश्वास नहीं कि क्या एक अतिरिक्त ट्रीब्यूनल की नियुक्ति से यह अवधि कम किया जा सकेगी या प्रक्रिया को सुचारु बनाया जा सकेगा। इस समय इसमें दो वर्ष लगते हैं परन्तु हम इसे कम करके दो महीने करने की बात सोच रहे हैं।

मामले के दूसरे पहलू पर समिति अवश्य विचार करेगी। यह सच है कि जब पार्टियों को समझौते के लिए बुलाया जाता है, वे या तो विलम्ब करते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं। विवाद को अधिक समय तक लटकाया न जा सके इसके लिये क्या कदम उठाये जायें, यह इस समिति के विचाराधीन हैं।

श्री बशीर अहमद: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सभी औद्योगिक ट्रीब्यूनलों को समाप्त करके विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों को मामले को सौंपने और एक जज की नियुक्ति करना सम्भव नहीं है ताकि औद्योगिक विवादों पर तुरन्त विचारण किया जा सके?

श्री रवीन्द्र वर्मा: माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम नहीं है, बहुत अधिक है। इस प्रश्न पर कई बार विचार किया जा चुका है। जांच से पता चला है कि इस काम को भी उच्च न्यायालयों को देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: जनता पार्टी के बनने के बाद हमने सोचा था कि श्रमिकों के बारे में कुछ शान्ति होगी। परन्तु वास्तव में प्रतिदिन हड़तालें हो रही हैं और सारे देश में हड़तालें चल रही हैं। श्रमिक उनके भविष्य में आने वाले कानून की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि हड़तालों को रोकने के लिए वे तुरन्त क्या कार्यवाही कर रहे हैं ताकि उत्पादन में कमी न हो और वित्त मंत्री द्वारा तैयार किये गये सभी प्राक्कलन गलत सिद्ध न हों।

श्री रवीन्द्र वर्मा: मेरे विचार में आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

Shri Ram Naresh Kushwah : It generally happens that a worker is dismissed but he gets decision in his favour from court. Even then Management files an appeal in order to harass him. Finally when the decision is given in favour of the worker the entire expenditure is borne by Government or company.

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न न्यायिक विंग बनाये जाने के बारे में है।

Shri Ram Naresh Kushwah : Will he make a provision that after winning the case from the court the worker starts getting his dues and if he does not get his dues and the final decree goes in his favour, the dues in between the first and final decrees be deducted from the salary of the officer who tries to harass him ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर करने का उपबन्ध है। अतः यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिये कि जब तक अपील चलती है तब तक उसे और कठिनाई न उठानी पड़े।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: जहाँ तक श्रम विवाद के बारे में किसी मामले के निपटारे का संबंध है, इस समय 3-टीयर प्रणाली की व्यवस्था है। प्रथम, इसके लिये एक ट्रीब्यूनल होता है, उसके बाद जो पार्टी ट्रीब्यूनल से संतुष्ट नहीं होती वह उच्च न्यायालय जा सकती है और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय जा सकती है। मेरा प्रश्न उच्चतम न्यायालय के संबंध में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रम संबंधी मामलों के लिये कोई विशेष पीठ है? मेरी जानकारी के अनुसार किसी मामले के निपटारे में 5 वर्ष से कम का समय नहीं लगता। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार श्रमिकों की अपीलों को निपटाने के लिए एक पृथक् पीठ की स्थापना करेगी?

श्री रवीन्द्र वर्मा: मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं अपना उत्तर दोहरा देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: पहले आपने किसी अन्य सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया था। अब आप श्री दीनेन भट्टाचार्य के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं एक ही प्रश्न के दो उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Dharma Vir Vasisht : May I know whether there will be less judicial delay in administration of justice to labour following the procedure indicated by the hon. Minister today.

श्री रवीन्द्र वर्मा: मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस प्रश्न के संबंध में एक विस्तृत विधान पेश करने की आशा करते हैं।

श्री पद्माचरण सामंतसिंहार: अपील स्तर तथा अन्य स्तरों पर ट्रिब्यूनलों में लम्बित मामलों की कुल संख्या क्या है?

श्री रवीन्द्र वर्मा: यदि माननीय सदस्य किसी विशेष ट्रिब्यूनल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। परन्तु बहुत से ट्रिब्यूनल हैं और यदि आप ठीक समझते हैं तो मैं उन सभी के संबंध में आंकड़े पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी हालत में उत्तर काफ़ी लम्बा हो जायेगा।

Construction of building for Central and Regional Provident Fund Offices

*265. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the Central and Regional Provident Fund Offices have a staff strength of less than 400 employees and pay a rent of Rs. 36 thousand per month;

(b) the total amount paid by way of rent during the last three years and the reasons why they did not construct their own office building with that amount.

(c) the steps now proposed to be taken by Government; and

(d) whether office building will be constructed adjacent to staff quarters ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) दिल्ली स्थित केन्द्रीय व क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 482 है। इन दोनों कार्यालयों के लिए 32,900/-रु० मासिक किराया दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान 18.11 लाख रुपये दिए गए। इससे पहले दो बार भवनों के निर्माण के लिए भूमि आबंटित की गई, परन्तु आबंटन बाद में रद्द कर दिए गए। कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) कार्यालय भवन का स्थान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए जाने वाले भू-स्थल पर निर्भर करेगा।

Shri Shiv Narain Sarsonia : A monthly rent of Rs. 32 thousands is being paid, but no plot has been allotted to them. The plot earmarked for them was later on given to Congress Party. Whether the said plot will be restored to them and whether they will be paid interest on their amount totalling about Rs. 8 lakhs from the Works Ministry ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: दो अवसरों पर इस प्रयोजन के लिये भूमि अलाट की गई थी परन्तु दुर्भाग्यवश दोनों अवसरों पर अलाटमेंट रद्द कर दी गई थी। एक बार तो भूमि लोदी रोड के निकट थी जो किसी न किसी कारण से रद्द कर दी गई। दूसरी बार भूमि बारा खम्बा लेन के निकट थी जो अलाटमेंट के बाद रद्द कर दी गई। मैं नहीं जानता कि क्या यह इसलिये रद्द कर दी गई क्योंकि भूमि कांग्रेस पार्टी को दी जानी थी, परन्तु यह बात प्रश्न में नहीं थी। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, यह सच है कि अलाटमेंट

के बाद भविष्यनिधि संगठन में भूमि के प्रिमीयम के रूप में तथा वहां पर पहले से मौजूद भवनों को गिराने में काफ़ी धन व्यय किया था ताकि निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके। सरकार को 3.30 लाख रुपये दिये गये और सरकार से ब्याज सहित यह पैसा वापस देने के लिए अनुरोध किया गया है, परन्तु यह अभी तक वापस नहीं मिला है। मैं इस बात की जांच करूंगा कि अलाटमेंट इसलिये रद्द की गई क्योंकि भूमि किसी और को देनी थी।

Shri Shiv Narain Sarsonia : They did not get any interest on their amount which was kept for such a long period. What are you views in this regard ? Is it a fact that they were not given possession of the plot and allotment was cancelled and given to Congress.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने बताया है कि यह राशि अनुरोध के बावजूद भी वापस नहीं की गई है।

Shri Ram Murti : May I know whether any committee will be appointed to go into such cases and see that money is not wasted in such manner in future ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: यह एक सुझाव है।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में सरकारी काम के राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग न किया जाना

*266. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी काम काज तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार-कार्य में विदेशी भाषा अर्थात् अंग्रेजी का प्रयोग होता है ;

(ख) क्या विदेशी भाषा के प्रयोग और भारत की राष्ट्रीय भाषाओं यथा हिन्दी, बंगला, तमिल, मराठी आदि की उपेक्षा के कारण विदेशी हम पर छींटाकशी करते हैं, यदि हाँ, तो इस व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए क्या तात्कालिक कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या भारतीय दूतावासों के उच्चाधिकारी राष्ट्रीय भाषा की जानबूझकर उपेक्षा करते हैं क्योंकि स्वयं भारत में इसे अपेक्षित सम्मान नहीं दिया जाता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) While Hindi is being progressively introduced, English is at present widely used in transacting business in our Missions abroad.

(b) No instance of ridicule has come to notice for using English, but it is the policy of Government to increasingly encourage the use of Hindi as the official language.

(c) and (d) Indian Foreign Service Officers are required to pass a Departmental Examination in the official language before being confirmed; no disrespect has been shown to the national languages of India.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : May I know whether the Minister is aware that the Nepalese language also devnagari script and whatever assistance is given by the Indian Government to Nepal Government, the correspondence in this connection is done in English language as a result the study of Hindi in Nepal has almost vanished and they have been compelled to make arrangements in Schools and Colleges for learning English.

As you have stated Hindi is being neglected in our Missions abroad. Although some people want to work in Hindi, but they do not get facilities for Hindi typing.

Shri Atal Behari Vajpayee : Our policy is to give encouragement for the progressive use of Hindi in India as well as abroad. Now the treaties with foreign countries are made in both the languages i.e. Hindi and English.

An Hon. Member : Since when ?

Shri Atal Behari Vajpayee : Since quite long time, clear instructions have been issued to our Missions abroad that they should put their name plates in Hindi, English and local languages. Our Ambassadors in non-English speaking countries have been asked to speak in Hindi while presenting their credentials because if they speak in English that too has to be translated, therefore it is better to speak in Hindi.

So far as Nepal is concerned, there should not be any language difficulty. The projects which we have taken up and where our people are working, have been provided Central schools for their children where Hindi is taught. If their is any specific complaint, that should be brought to our notice.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : My question is this that the paper work on those projects is done in English and as a result they have to learn English.

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, I am unable to understand this question that because we work in English therefore they have given up learning Hindi.

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The projects of Nepal Government are being executed on the basis of Indian assistance. Since the entire proceedings are done in English, they have given up learning Hindi, because Hindi is not at all used while transacting business.

Shri Atal Behari Vajpayee : It would not be proper to say that the entire work of Nepal is going on because of our assistance. We are giving them some assistance.

Shri Mani Ram Bagri : Why your Government use English in official work ?

Shri Atal Behari Vajpayee : According to the law passed by the Parliament Hindi and English are official languages. Those who want to work in Hindi are most welcome, but we would not compel anybody to work in Hindi. If the Parliament wishes, this law can be changed and Government will have to abide by that law.

Shri Mani Ram Bagri : Mr. Speaker, I want to raise a point or order. Hon. Minister talked about Hindi and English. He can say that in non-Hindi speaking states nobody can be compelled to work in Hindi. But he cannot say that the use of English should not be checked. According to our Constitution Hindi should become official language of country within a stipulated period. Hon. Minister has spoken against Hindi and official language.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री यादव अब अपना दूसरा प्रश्न पूछेंगे।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The Hon. Minister has stated that the Government have taken steps to increase progressive use of Hindi. I want to know as to how many percent increase has been made in the use of Hindi. The representatives of the world Hindi conventions held at Nagpur and Mauritius expressed the hope that Hindi would become the language of U.N.O. But the initiative should be taken by the Indian Government. What is the policy of Government in this regard ?

Shri Atal Behari Vajpayee : There has been considerable progress in the use of Hindi in the Ministry of External Affairs since I took over the charge of that Ministry. First time I talked to our foreign guests in Hindi who visited India, because they want to speak in their own language. I also want that Hindi should become the language of U.N.O. and it is my earnest desire to make my first speech there in Hindi. But the Finance Ministry should come to my help. About rupees six crores will have to be spent. But so far as country's prestige is concerned, this is not a big amount. If the House makes strong demand for this amount to the Finance Minister, I would be very glad.

श्री ए० डी० टी० बैरो: मैं माननीय मंत्री, श्री बाजपेयी का आभारी हूं कि उन्होंने अंग्रेजी को विदेशी भाषा नहीं माना है। मैं उन्हें याद दिला दूं कि अंग्रेजी मेरे समुदाय की मातृभाषा है जो कि एक भारतीय समुदाय है और इसलिए यह भारतीय समुदाय की मातृभाषा है न कि विदेशी भाषा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: श्रीमान, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।

Shri Janeshwar Mishra : The hon. Minister has stated that in the Indian Embassies abroad more and more encouragement would be given to the Indian languages particularly to Hindi. I want to know whether the External Affairs Minister would take action against those Ambassadors and high officials who deliberately use English although they know Hindi. The Hon. Minister has shown his desire to deliver his maiden speech in Hindi in the U.N.O. but for this purpose assistance of the Finance Minister is needed. I want to know whether the Finance Minister has refused to provide this amount of expenditure.

Shri Atal Behari Vajpayee : First I answer the second question. Neither he has denied nor he has promised to provide the amount required. This matter is under consideration. So far first question is concerned, our Ambassadors are the product of English atmosphere. It is regrettable that even in non-English speaking countries, our Embassadors use English. We want that our Ambassadors should learn and use the language of that country where they have been posted as Ambassadors. When any Hindi knowing person comes to them, they should talk to him in Hindi. I do not want that any action should be taken against them without making them understand about it.

श्री एन० श्रीकान्त नायर : क्या हमारी सरकार का इरादा यह है कि विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों पर हिन्दी थोपने की बजाय उन्हें उसी भाषा का प्रयोग करने दें जिसे कि वे समझते हैं ताकि हम उन देशों के साथ अपना कार्य कर सकें और ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जैसी कि कल के "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" में कार्टून के रूप में दिखाया गया है कि केरल सरकार को हिन्दी में पत्र भेजा जा रहा है और उसका उत्तर मलयालम में मिल रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: भारत के किसी भी भाग में हिन्दी थोपने का कोई इरादा नहीं है। किन्तु मैं अपने गैर-हिन्दी भाषी साथियों को समझा देना चाहता हूं कि वे देश के किसी भी भाग में अंग्रेजी को न थोपें। न हिन्दी थोपी जाये और न ही अंग्रेजी। जो हिन्दी में काम करना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जहाँ तक विदेशों में दूतावासों का संबंध है, हमारी यह कोशिश है कि वे उसी देश की भाषा में काम करें जिस देश में वे स्थित हैं।

Shri Vijay Kumar Malhotra : In our Embassies in non-English speaking countries, where French, Spanish or Arabic is spoken, our all interpreters speak in English and in the language of that country. In such countries there should be interpreters who know the language of that country and Hindi. May I know whether the Hon. Minister would ensure that in such countries only those interpreters will be appointed who can speak in Hindi and in the language of those countries.

Shri Atal Behari Vajpayee : The factual position is this that there is no arrangement of interpreters in the Ministry of External Affairs. When I needed interpreters to have discussion with the foreign guests, my Ministry could not provide interpreters and then we had to engage interpreters from the universities. We want that there should be interpreters in foreign Embassies also who can interpret from Hindi to English, French, Spanish etc. It is our attempt to make such arrangements as early as possible.

श्री ए० सी० जार्ज : हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सबन्धों में खाड़ी क्षेत्र के देश शक्तिशाली क्षेत्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह सर्वविदित है कि केरल से बड़ी संख्या में भारतीय लोग खाड़ी देशों में बसे हुए हैं और आजकल वहां के शासक तथा शेख आदि भी मलयालम भाषा को समझ रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन देशों में स्थित दूतावास मलयालम को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग में लाएं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य यह सुझाव गंभीरता से दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि स्टाफ का कोई कर्मचारी मलयालम जानता हो और केरल से जाने वाले लोगों से सम्बन्धित कार्य को निपटाता हो किन्तु समूचा मिशन अपना कार्य मलयालम में नहीं कर सकता।

Shri Roopnath Singh Yadav : Will the Hon. Minister state as to what is the percentage of people knowing English out of the total population of India.

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, I do not want to furnish information which may prove wrong. Therefore I can give the correct information only when I collect them.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हम प्रश्न भेजते हैं और बैलट में हमारे नाम भी आ जाते हैं लेकिन हमें अवसर नहीं मिलता क्योंकि प्रश्न सूची में प्राथमिकता कम है। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रश्न काल के दौरान अधिक प्रश्न पूछे जायें।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य समझते है कि वह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उन्हें प्रश्न पूछने से कैसे रोक सकता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भाषा के मामले में कठोर नीति अपनानी आवश्यक है जिसका कि हमारे दूतावासों में लगे कर्मचारी पालन करें क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा कई भाषाओं को स्वीकार किया गया है। मेरा विचार है कि बजाय कोई कठोर नीति अपनाने के यदि सरकार यह मान ले कि भाषा के मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जायेगा तो इससे देश को सहायता मिलेगी। क्या मंत्री जी इस सुझाव को स्वीकार करेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस सुझाव पर समुचित रूप से विचार किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि अभी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अतः हम अब अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यदि आप सब खड़े हो जायेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।

Charging of Security Money from Nurses

*267. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to charge security money from nurses during training period; and

(b) if so, since when ?

The Minister of Health and Family Welfare : (Shri Raj Narain) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Hargovind Verma : In the absence of such an arrangement, a number of difficulties are coming in the training of nurses. There is a shortage of nurses and compounders all over the country and as a result of which health department is facing difficulties. Patients do not get facilities in the hospitals. I would like to know what arrangements the hon. Minister is going to make in this regard ?

Shri Raj Narain : Different courses have been prescribed for different parts of country. Following courses have been set for training of nurses :—

1. General Nursing
2. Ward-Sister-cum-Tutor Course
3. Certificate Course in Public Health Nursing
4. B.Sc. Nursing
5. M.Sc. Nursing, and
6. Post-Certificate Course in different subjects of nursing.

Arrangements for General Nursing Course are made in public hospitals all over the country and other courses are taught in selected educational institutions. So far as Delhi

Union Territory is concerned, General Housing Course is taught in all the public hospitals, hospitals run by Delhi Administration, Delhi Municipal Corporation and private institutions. Other courses of nursing are taught in Lady Reading Health School, Delhi and Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi. These two institutions are working under the control of Directorate General, Health Services.

Government is trying to make good the shortage of nurses....*(Interruption)*... I am narrating all the arrangements so that the hon. Member should understand well. In fact, there are certain hon. Members who want that something should be concealed. But what is the necessity of concealing....

Shri Sheo Narain : The question was about waiving the condition of charging security money.

Shri Raj Narain : The question was what arrangements will be made for the training of nurses so that there is no shortage of nurses in hospitals. I am replying to this question.

So far as the question of Lady Reading Health School, Delhi is concerned....

Shri Somji Bhai Damor : The hon. Minister should come prepared for the question to be asked. Whenever any small question is asked, the hon. Minister reads out the full answer. He should have come prepared.

Shri Hargobind Verma : Government charge security money from nurses during training period. May I know whether the hon. Minister is thinking in terms of not charging any security money so as to enable large number of nurses to take training ?

Shri Raj Narain : Security of Rs. 170 is taken from nurses undergoing training. Out of this amount, 100 rupees are charged for books, 60 rupees for dress and rupees ten for wear and tear. The ladies who take admission in Master of Nursing Certificate Course, 100 rupees for books and Rs. 10 for wear and tear are taken as security.

The security/caution money which is refundable is returned to the trainees in Lady Reading Health School and Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing on the completion of the training after deducting the fine on account of damage or loss of instruments, books and Government property.

Dr. Sushila Nayar : Is it a fact that there are a number of difficulties in admission for courses of nurses training ? Is it also a fact that after every five candidate, there is only one seat ? What arrangements the Government have contemplated for providing facilities to nurses ?

Shri Raj Narain : The question of increasing the number of seats and making adeuate arrangements for the training is being considered.

Shri Chandra Shekhar Singh : May I know whether a candidate was deprived of the nurses training because of non-depositing of security money ?

Shri Raj Narain : I have no such information in this regard. *(Interruption)*

श्री बयालार रवि : सरकार ने प्रशिक्षणाधीन नर्सों को अनुदान या सहायता न देने का निश्चय इस शर्त पर किया कि उनको सम्बन्धित राज्य द्वारा खपा लिया जाएगा। क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अनुदान देगी ?

Shri Phool Chand Verma : The hon. Minister had stated that the nurses undergoing training have to deposit security money. I would like to know whether nurses belonging to Scheduled Caste and Scheduled tribes have been exempted or not, and if not, whether the hon. Minister will try to exempt such candidates ?

Shri Raj Narain : My Ministry will certainly consider this important subject.

Shri Hukam Chand Kachhwai : How many nurses are needed in the country at present ? Is it a fact that the security money differs from State to State ? Will the Government

bring uniformity in the security money ? Candidate belonging to backward classes are not able to deposit money ? Will the Government exempt such candidates ?

Shri Raj Narain : I have already replied to this question. There are different arrangements in different states. Statistics are being collected in regard to need and shortage of nurses in the country.

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आदि द्वारा नसबंदी के लिये जारी किये गये परिपत्र

*268. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली के अन्य सरकारी विभागों द्वारा नसबंदी के लिए परिपत्र जारी किए गए थे ;

(ख) आपात स्थिति के दौरान स्थानीय निकायों के कर्मचारियों सहित कितने सरकारी कर्मचारियों की नसबन्दी की गई ;

(ग) ऐसे पुलिस कर्मचारियों, मेहतरों और अध्यापकों की संख्या कितनी है जिनकी आपात स्थिति के दौरान नसबंदी की गई थी ;

(घ) इन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जो नसवन्दी के लिए 100 से अधिक व्यक्ति लाये थे; और

(ङ) उनको क्या पुरस्कार दिया गया था ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes Sir.

(b) 44,451 employees of Delhi Administration including employees of local bodies viz. Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Committee, Delhi Cantonment Board, Delhi Electric Supply Undertaking, Delhi Development Authority, Water Supply and Sewage Disposal Department, Delhi Transport Corporation etc. underwent sterilisation during the Emergency period.

(c) No separate records have been maintained in respect of Policemen, sweepers and teachers as reported by Delhi Administration.

(d) It is reported by Delhi Administration that there might be many persons who motivated more than 100 cases but full information about all of them is not available. A few names and addresses of such persons as are available are given below :—

(1) Smt. K. Radha Raman,
Wife of Shri Radha Raman,
former Chief Executive Councillor, Delhi.

(2) Shri Lalit Makan,
General Secretary,
Delhi Pradesh Congress Committee,
Delhi.

(3) Shri Jagmohan,
former Vice-Chairman,
Delhi Development Authority.

(4) Mrs. A. K. Bindra,
P.E.T. Govt. Girls Higher Secondary School,
Nicholson Road, Delhi.

(5) Smt. Rukhsana Sultana,
20-Narinder Palace, Parliament Street,
New Delhi.

(6) Shri Harcharan Singh Josh,
1207-Shoro Kothi, Subzi Mandi,
Delhi.

(7) Shri Jagdish Tytlor,
12-B, Poorvi Marg, New Delhi-60.

(8) Shri Arjan Dass,
B. II/A-D.D.A. Flats,
Munirka, Delhi.

(c) A cash award of Rs. 500/- and a letter of appreciation was given only to Smt. A. K. Bindra as reported by Delhi Administration.

Shri Kanwar Lal Gupta : I thank the hon. Minister for giving such a decent reply. In Delhi, people were forcibly sterilised. I have a photostet copy of a circular issued by Delhi Corporation. It says :—

"The letter bearing Nos. 4564/ZEC/CZ/76 is dated 28-4-76.

"As per order of the Z.A.C., the following staff is hereby directed to get themselves sterilised. Otherwise, their services will be terminated from 30-4-1976." Names of 6 persons have been given in this circular. If you allow, I can lay it on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. L.T.-583/77]

Police personnel were forcibly sterilised. I have got information that many employees died due to sterilisation. Is it a fact that Lt. Governor of Delhi in a Press Communique from Raj Niwas directed all the departments that sterilisation should be done at any cost and the employee who does not get himself sterilised. May I know whether Government will take departmental action against Lt. Governor and such officers who were involved in forced sterilisation ?

Shri Raj Narain : Actually, the hon. Member deserves congratulation for asking such question which is not related only to this country but to whole of the world. Whenever, any World Health Conference is convened, the question is raised as to how the growth of population in India can be checked. What alternate measures will be taken in case the forcible sterilisation is stopped ? This is a vital and universal question. There is hardly any day when the foreign correspondents do not come and ask about the scheme of the Government.

The hon. Member has asked whether Lt. Governor had released any Press Note ? Yes, he released the press note. I lay it on the Table of the House :

"उपराज्यपाल श्री कृष्ण चन्द परिवार नियोजन पर काफी बल दे रहे हैं। 26 दिसम्बर, 1975 को उन्होंने कस्तूरबा हस्पताल में विशेष कैम्प का उद्घाटन किया। इस कैम्प की मुख्य विशेषता यह थी कि उत्प्रेरकों के लिए प्रोत्साहन राशि 5 गुना अर्थात् 2 रुपये प्रति केस से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति केस कर दी गई। विशेष कैम्प लगाया गया। सितम्बर, 1975 में 15 दिन के भीतर 425 नसबन्दी आपरेशन किए गए। यह रिकार्ड समझा गया।

उसी क्षेत्र में 26 दिसम्बर, 1975 को दूसरे कैम्प का उद्घाटन किया गया। 15 दिन में, लगभग 100 आपरेशन किए गए।"

It shows that Lt. Governor was keen and enthusiastic about forcible sterilisation. Mr. Speaker, Sir, if you permit, I lay the Press Note on the Table of the House. [Placed in the Library. *See* No. L.T. 589/77]

I am unable io understand how forcible sterilisation were performed in the eountry of Rama, Krishna and Mahatma Gandhi.

The hon. Member has asked whether those officers will be taken to task who committed excesses. Certainly, action will be taken against such officers. Enquiry is being conducted at Central level. The Government has appointed a Commission to go into excesses committed during emergency. We have also opened a Cell in Delhi also. Aggrieved parties can send their complaints and these will be put before Commission. Full enquiry will be conducted into the excesses committed by the officers.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister knows very well that lakhs of rupees were collected by Youth Congress, Congress leaders and other persons for family planning camps. Major part of the money so collected was swallowed and meager amount was spent. Proper arrangements for sterilisation were not made in family planning camps as a result of which many persons died after the operation.

The hon. Minister has given the name of eight motivators. I would like to know how many cases were given by each of the motivators ? Will the Government ask those persons who underwent sterilisation whether they had done so voluntarily or under pressure ? If they had been forcibly sterilised, whether the Government will take action against the persons who are involved in this case ? Will they be asked io give accounts of the money which was collected from the public ?

About the figures Shri Lalit Makhan—3307, Vice-Chairman DDA-21, 166 Shrimati Rukhsana Sultana–8460, Shri H.S. Josh—1218, Shri Jagdish—320, Shri Arjun Dass—1214, The figures about Shri A.S. Bindra, mentioned at item No. (4) is part (b) are not available.

Shri Raj Narain : The hon. Member has asked about the amount out of it which was called forcibly, the amount spent and the amount misappropriated by them for themselves. This information is not available with the Government. The same will be placed before the House whenever collected.

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the hon. Minister be pleased to inquire the people were persuaded to undergo sterilization or they were forced to do so by these people and in case they forced the people to undergo sterilization, whether they will be prosecuted by the Government ?

Shri Raj Narain : I will place the latest informance received by me before the House. These people were given the following amount as fee :—

Shrimati Rukshana Sultana Rs. 84,210, Shrimati Radha Raman Rs. 16,060, Shri Jagdish Titler Rs. 3,170, Shri Arjun Dass Rs. 7,080, Vice Chairman D.D.A. Rs. 4,370, Shri Harcharan Singh Josh 12,030, Shri Lalit Makan Rs. 28,890.

Shri Shiv Narain Sarsonia (Karol Bagh) : Mr. Speaker, Sir, I want to draw your attention that substandard eatables are being supplied to the people in Delhi, this endangering their health. For instance here there is a Limca bottle.

श्री के० लकप्पा : महोदय, वह सोडा की बोतल दिखा रहे हैं। सभा में सोडा की बोतल दिखाना खतरनाक है।

अध्यक्ष महोदय : वह सोडा की बोतल नहीं है। वह लिमका की बोतल है। शायद वह यह सोच कर कि खाद्य और कृषि मंत्रालय पर चर्चा आरम्भ हो गई है उस बोतल के अन्दर क्या है, उसे दिखाना चाहते हैं। अभी हमारे सामने एक अल्प सूचना प्रश्न है जिसका उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिया जायगा। आप कृपया बैठ जाइये।

Shri Raj Narain : I want that there should be cordial atmosphere, so that everybody may be able to listen to others point of view.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Ban on use of Entero-vioform and Mexaform

8. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Dr. Vasant Kumar Pandit :
Dr. Bapu Kaldate :
Dr. Murli Manohar Joshi :
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in a famous medical journal of the U.S.A. that the allopathic medicine Entero-vioform or Mexaform administered in diarrhoea cases causes serious injuries to brain, eyes and nervous system and as a result of its use has been banned in the countries like Japan, Norway, Sweden etc.; and

(b) If so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Sir. The said report appeared in the "Lancet", a journal published from England.

(b) The Government is already aware of the reported side effects of the drug. The matter is being examined in consultation with the medical experts in the field.

Shri Om Prakash Tyagi : When the drug has been banned in Japan, Norway, Sweden etc. as it causes serious injuries to brain, eyes and nervous system, I would like to know as to when it was banned by these countries and when he referred this matter to the medical experts for their advice and what advice has been given by them and the precaution taken in this regard ?

Shri Raj Narain : The question is based on a press report appeared in the Times of India dated the 20th June, 1977. A copy of the report is attached in Appendix I. It has been mentioned in the report that it has been stated in a famous medical Journal that the use of the drug 'Idocylorobydraaeciquilin", popularly known as "cleokinol" should be banned as its uses results in loss of eye sight and permanent damage to the nervous system of the brain. This drug is being marketed under this name and after mixing other drugs under the name of Entero-vioform or Mexaform by M/s. Ciba Gagi. The side effects of these drugs have been found in Japan, where their use has been banned.

The drug has not been banned in our country. Our experts are of the view that the drug is harmful in cold countries. It is not necessary that it is harmful in hot countries also. They are examining it further. I had made enquiries from the doctors of the Institute of Medical Sciences, the Director and other experts of the Department and they have received no complaint to the effect that this drug has ever resulted in loss of eye sight or damage to the brain to any body.

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister's reply is not relevant to my question My question was as to when the use of this drug was banned in Japan, Norway, Sweden etc. Then I wanted to know about the date this matter was referred to the experts by our Government and whether the experts have submitted their report and if not the reasons therefor ?

Shri Raj Narain : He should first listen to the information available with me. I have not completed my reply to the original question and this supplementary was put. I would request to let me complete the reply to the original question.

The report in this regard was published in 1967 in a journal and our experts started their examinations regarding the effects of this drug at that very time. But so far no clear proof has been obtained about the bad effects of the drug.

This does not mean that our experts have dropped the examination. The examination is still going on and they want to reach on certain conclusions. When it's use has been banned by developed nations like Japan, Sweden, Norway and U.S.A. though there is no official ban in U.S.A. but it's manufacturing has been discontinued there, it means that a thorough examination should be undertaken in India also about it's effects. The examination is going on since last 5-7 year in a way and further examination will also be made. I would congratulate the hon. Member that by asking this question they have drawn the attention of the Government in this regard. I want to say that there has been no such case where by it may be said that it effects the eyes and the brain.

Shri Om Prakash Tyagi : Is it a fact that this drug is manufactured in foreign countries and sent to this country in huge quantities. I want to know whether the Government will drop the use of this drug as a precautionary measure unless a complete report is received in this regard and it will be substituted by some Ayurvedic drug ?

Shri Raj Narain : Our experts are of the view that this drug should not be used in large quantities. It is not given for more than 14 days.

My hon. friend has suggested that it should be substituted by Ayurvedic drugs. It is correct that there are numerous medicines in Ayurvedic system for abdomen diseases and it will be grateful to the hon. Members particularly to those belonging to the opposition, but my difficulty is that whenever any conference is held for the encouragement of Ayurvedic, Unani, Homoeopathy, Sidda, Yoga and other Indian systems. The hon. Members belonging to the opposition make satirical remarks against me. It is said that I am opposed to allopathy. The statement of the hon. Prime Minister is also distorted. What I mean to say it that I will welcome the use of Ayurvedic medic for stomach troubles.

डा० वसन्त कुमार पाण्डे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस दवा का इस्तेमाल बन्द कर रही है और क्या कम से कम इतना किया जा रहा है कि इसे डाक्टर द्वारा लिखने के बाद ही दिया जाये ? सभी विकसित देशों में अनुसंधान किया गया है । मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि बड़ी मात्रा में इस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । क्या सरकार स्वास्थ्य के हित में यह निर्णय करेगी कि इसे केवल डाक्टर के नुस्खे पर ही दिया जाये ?

Shri Raj Narain : In regard to the hon. Member's question I can only say that entrovioform and mexaform are used by a very large majority of persons. It is used by so many hon. Members of this House. Many educated people know that smoking is bad for health. It causes cancer and even then they smoke. I may say that even in our Cabinet two or three of my cabinet colleagues smoke. So far as the question of restricting its use on doctor's prescription, due thought will be given in this regard.

Dr. Murli Manohar Joshi : It is a very serious question. Ciba Geigy is a multinational and this drug is manufactured by this company. This company has earned a profit of Rs. 5 crores in the form of foreign exchange. The capital of this firm was Rs. 1811 lakhs in 1974-75 whereas in 1975-76 it was Rs. 1977 crores. I want to know whether this aspect has also been considered that multinational are minting money from their products. I want to know whether it has been examined that out of a number of drugs manufactured by the multinations and available in the market which of the drugs are necessary ?

Shri Raj Narain : The hon. Member has asked a comprehensive question and I am grateful to him for that. I am of the view that multinational are exploiting the developing countries in various way and the sale of drugs is one of the ways. My Ministry is quite aware about this aspect. We want to popularise Ayurvedic medicines, Unani medicines, Homoeopathetic medicines which are cheaper. I am aware that this exploitation by multinational must end. I had called a conference of the leading drug manufacturers in Bombay and told them that there must be a ratio between the cost price and selling price of the drugs. One T.B. vaccination costs only four paise but the Government charges Re. 1 which is too much. They fix prices more than eight times. There is a public company in Pune which manufactures streptomycine. This drug costs four paise but the Government charges Rè. 1. Was not the previous Government a dacoit ? Our Ministry is contemplating steps to protect the people from foreign as well as inner dacoits. I am grateful to the hon'ble Member for drawing my attention towards this matter.

श्री समर गुह : जो माननीय सदस्य मंत्री नहीं हैं व तो 'डाकू' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जब सरकार कुछ कम्पनियों को कार्य करने की अनुमति देती है तो उन्हें डाकू कहना उचित नहीं है।

Shri Raj Narain : I have quoted him.

अध्यक्ष महोदय : गलती स्वास्थ्य मंत्री की नहीं बल्कि पीछे वाले व्यक्ति की है जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को यह शब्द दे दिया।

Shri Raj Narain : Sir with your permission I may tell you that if observed minutely, this question relates to the Ministry of Chemicals but I did not want to side track the issue under the cover of technicality. Moreover I have got information in this regard so I am replying to it keeping in view the combined responsibility. We can't tolerate exploitation from any quarter.

Shri Samar Guha : If the hon'ble Minister considers them dacoits, they may be closed by issuing an ordinance. He is violating all sense of decorum. This is not the way of functioning.

Shri Raj Narain: I may assure the hon'ble Member who is quite a senior Member of the House that the Government has prepared a priority list of questions which aim at ending exploitation by issuing ordinances. These may cover big guns, industrialists or other persons.

Shri Samar Guha: I have heard that a Member of the Expert Committee has said that the drugs which are harmful in cold countries do not harm in the warm countries. He has taken it very lightly. No expert should have said that type of thing. I myself had consumed these medicines for 300 days out of 500 days.

Shri Raj Narain : But that did not affected the hon'ble Member's mind. I have not received any complaint of this type from any body so far.

Shri Samar Guha : You are aware that Jail is the home of dysentery and diarrhoea. I took maxaform & antrovioform for 300 days. Now I am afraid of its side effects because during two or three months after my release, I started fainting after every two or three days or after a week. I think my disease has some link with the maxaform.

You have said that an expert's committee has been constituted then let me know the names of personnel of this committee. May I know if he has seen the report of that personnel who had examined 30,000 persons in Japan. Moreover this drug is not sold in Japan, Sweden, Norway & U.S.A. In West Germany, Denmark and Finland it is sold only the prescription. Has he seen the report in the Lensit medical magazine ?

There are two generic names of this medicine—Cloro Hydroxiquinine & Auxi hydroxiquinine. Will your expert committee examine both of them ?

Shri Raj Narain : The hon'ble Member would have found answer to his questions in my earlier replies only if he had heard them systematically.

In fact the World Health Organisation had informed in October, 1970 for the first time that these drugs develop some harmful effects in the lever. After that the then Director wrote to all States that the manufacturers of these medicines may be notified to write these words that the medicines may be used on the advise of a doctor and this is written on them.

Sh. Samar Mukherjee : My question was different. He is replying to something else.

Mr. Speaker: The hon'ble Member is an old parliamentarian and I am still on my legs. I have not yet concluded.

All the reports have been gone through and we are taking steps accordingly. The above instruction to write "use only on the advise of a doctor" was issued after reading the reports. Even though it is written "cigarette smoking is injurious to health" on the cigarette packet yet my friend Shri Biju Patnaik smokes.

श्री बीजू पटनायक : मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दूं कि 30-40 वर्ष से सिगरेट पीते रहने के बाद भी मैं अधिक स्वस्थ हूं।

Sh. Raj Narain : If Sh. Biju Patnaik is healthier after smoking similarly any other person can say that his health has improved after taking these drugs. But our Ministry will go into all the aspects and so far no body has complained of mental imbalance after the use of these drugs.

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर पहले ही 30 मिनट लगा चुके। आप और एक घंटा चाहें तो लगा सकते हैं। मैं बाकी के सारे काम बंद कर दूंगा। इसलिए अब हम अगली मद पर चलें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी

*269. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के पदों का सर्जन करने के प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की है, क्योंकि इन राज्यों में ग्रामीण चिकित्सा सुविधायें प्रस्तावित सुविधा की तुलना में अधिक विकसित स्थिति में पहुंच गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

(ग) क्या इन राज्यों ने अपने-अपने प्रदेशों के लिए उपयुक्त कुछ अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (घ) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देहातों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो योजना सुझाई है उसके प्रारूप पर 28-29 अप्रैल, 1977 को हुई स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। जबकि सभी राज्यों ने इस योजना का स्वागत किया और इसमें कुछ लचीलापन चाहा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और हरियाणा के राज्यों ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें इस योजना को अपने ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की अनुमति दी जाए।

सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने दृष्टिकोण पत्र और विस्तृत योजना मई के अन्त तक भेज दें। ये अब तक 21 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से केवल केरल और तमिलनाडु राज्य इस योजना को उसी रूप में लागू नहीं करना चाहते जिस रूप में भारत सरकार ने प्रस्तुत की है। कर्नाटक और हरियाणा के राज्यों ने अभी तक अपनी विस्तृत योजना नहीं भेजी है। केरल सरकार चाहती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के स्थान पर उन्हें अधिक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोलने की अनुमति दें दी जाए। उन्होंने 100 प्रतिशत लोगों को टीके लगाने का कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी सुझाव दिया है। ये बाद के जो दो कार्यक्रम हैं वे उन सिद्धान्तों से भिन्न नहीं है जो भारत सरकार की इस योजना में प्रतिपादित किए गए हैं।

तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ दो चलते फिरते चिकित्सक दलों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है जिसमें 514 लाख रुपये के खर्च का अनुमान है। उनकी प्रस्तावित योजना में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक अतिरिक्त डाक्टर,

एक अतिरिक्त गाड़ी (कुछ केन्द्रों के लिए दो अतिरिक्त गाड़ियों) प्रत्येक अतिरिक्त गाड़ी के लिए एक ड्राइवर, दो अतिरिक्त फार्मासिस्ट और दवाइयों तथा पेट्रोल के लिए अधिक धनराशि का प्रस्ताव है।

आन्ध्र सर्किल में डाक-तार कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर

*270. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र सर्किल में कितने डाक-तार कर्मचारी हैं, और

(ख) कितने कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर मिले हुए हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) 31-3-77 को आन्ध्र राज्य में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या 29,820 थी ।

(ख) उस तारीख की स्थिति के अनुसार 1958 डाक-तार कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर मिले हुए थे, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 6.5 प्रतिशत होता है।

सिगरेट पीने का प्रभाव

*271. **श्री के० माल्ला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जून, 1977 के 'दक्कन हेरल्ड' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रत्येक सिगरेट पीने पर सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की आयु लगभग 5.5 मिनट कम हो जाती है और यह समय प्रायः उतना ही है जितना कि एक सिगरेट पीने में लगता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि यह समाचार लन्दन स्थित रायल कालेज आफ फिजीशियन्स द्वारा किये गए अध्ययन के परिणामों पर आधारित है, जिसका ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है । वैसे, धूम्रपान (जिसमें सिगरेट भी शामिल है) से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में सरकार को जानकारी है और इन खतरों के बारे में जनता को जानकारी देने और तम्बाकू के उपभोग को सीमित करने/उस पर प्रतिबन्ध लगाने/उसे समाप्त करने के उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है। सरकार ने 'सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975' नामक एक कानून बना दिया है। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें ऐसे उपायों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

देश में धूम्रपान (सिगरेटों सहित) से स्वास्थ्य को होने वाली हानियों के बारे में लोगों को जानकारी देने और तम्बाकू की खपत को सीमित करने/प्रतिबन्धित करने/समाप्त करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है, वे इस प्रकार हैं :—

1. संसद का एक अधिनियम जिसका नाम 'सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975' है, 1 अप्रैल, 1976 से लागू कर दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

(क) कोई व्यक्ति सिगरेट का उत्पादन, प्रदाय या वितरण तभी करेगा जब उसके द्वारा उत्पादित, प्रदत्त या वितरित सिगरेट के प्रत्येक पैकेज पर या इसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी लगी हो, अर्थात् : "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।"

(ख) कोई व्यक्ति सिगरेट का व्यापार या वाणिज्य तभी करेगा जब उसके द्वारा वितरित, विक्रय या प्रदाय किए गये सिगरेट के ऐसे प्रत्येक पैकेज पर या उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी लगी हो।

(ग) कोई व्यक्ति सिगरेटों के वितरण, विक्रय या प्रदाय के लिए विज्ञापन तभी करेगा और कोई व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन के प्रकाशन में तभी भाग लेगा जब ऐसे विज्ञापन में विनिर्दिष्ट चेतावनी लगी हो।

2. सिगरेट पीने की आदत को कम करने के उद्देश्य से सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा के एक अंग के रूप में सिगरेट पीने के हानिकारक प्रभावों के बारे में प्रचार का काम केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

3. कुछ राज्य सरकारों ने सिनेमा घरों/थियेटर हालों/सभा भवनों और मनोरंजन के अन्य स्थानों में और बसों में सिगरेट पीने पर रोक लगा दी है।

4. कुछ राज्यों ने किशोरों द्वारा सिगरेट पीये जाने के विरुद्ध भी कानून बना दिए हैं।

5. हवाई जहाजों में 30 से 40 प्रतिशत सीटें सिगरेट न पीने वालों के लिए आरक्षित होती हैं।

6. देश में इस अधिनियम को अच्छी तरह लागू करने और तम्बाकू के उपभोग को सीमित करने/प्रतिबंधित करने/समाप्त करने के बारे में उपाय सुझाने के लिए जो विशेषज्ञ ग्रुप और उप समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित उपाय करने का विचार है :--

(क) ऐसे तम्बाकू के उत्पादन के तरीके का अध्ययन करना जो कम हानिकारक हो, जिसमें तारकोल, निकोटिन और कारबन मोनोक्साइड की मात्रा कम हो जो कि मात्रा की दृष्टि से नियंत्रण रखे जाने योग्य चीजें हैं। इसके पश्चात् किसानों और उद्योगों को कहा जाएगा कि वे इस प्रकार के तम्बाकू के उत्पादन आदि में लग जाएं जिसमें उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो।

(ख) आई० एस० आई० मानकों के अच्छे फिल्टरों का इस्तेमाल करना।

(ग) सिगरेट निर्माताओं को सिगरेट के पैकेट पर तारकोल, निकोटिन तथा कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा घोषित करने के लिए कहना।

(घ) सिगरेट के खतरे के बारे में समय-समय पर फिल्मों, रेडियो तथा अन्य साधनों के द्वारा प्रचार अभियान चलाना।

(ङ) ऐस्बेस्टास बनाने वाली कम्पनियों तथा अन्य औद्योगिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों को सिगरेट के खतरों के बारे में शिक्षा देने के लिए कहना।

(च) पाठ्य पुस्तकों में धूमपान और उससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों पर एक अध्याय रखना।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, नई दिल्ली

*272. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय, नई दिल्ली के अव्यवस्थित कार्यकरण के बारे में दिनांक 30 मई, 1977 के स्थानीय दैनिक में 'फोकस' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में कोई जांच करने का है, और

(ग) इस कार्यालय के कार्यकरण में किस प्रकार सुधार लाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली के कार्य संचालन के संबंध में 30 मई, 1977 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे एक लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) और (ग) : सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में काम एक साथ बहुत बढ़ गया है और इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, जो 1975 के मुकाबले में 1976 में लगभग 50 प्रतिशत अधिक थी, सरकार ने इस कार्य की पद्धति और प्रक्रिया तथा पासपोर्ट जारी करने से संबंधित कर्मचारियों की आवश्यकता की जांच की है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली तथा अन्य कई कार्यालयों में अध्ययन किये गए हैं जिनके आधार पर वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के तरीके और कार्यालयों के विन्यास और कार्य-पद्धति में सुधार करने तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात विचाराधीन और क्रियान्वयनाधीन है।

Malaria incidence in the country

*273. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state the number of malaria patients in various states during the last three years ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : A statement is laid on the table of the Sabha.

STATEMENT

State wise distribution of Malaria cases

Sr. No.	State/Union Territory	1974	1975	1976 (Prov.)
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	134,295	151,103	196,143
2.	Assam	58,478	126,362	139,228
3.	Bihar	81,903	94,371	68,046
4.	Gujarat	573,118	799,180	1 083,589
5.	Haryana	229,879	507,220	736,566
6.	Himachal Pradesh	8,706	16,481	22,110
7.	Jammu & Kashmir	3,618	19,403	37,853
8.	Kerala	862	1,651	5,029
9.	Madhya Pradesh	477,058	836,680	578,325
10.	Maharashtra	428,432	705,472	664,154
11.	Manipur	1,342	2,162	1,208
12.	Meghalaya	4,107	6,763	7,068
13.	Karnataka	173,044	330,963	529,491
14.	Nagaland	3,108	5,344	1,609
15.	Orissa	297,701	317,669	312,600
16.	Punjab	230,252	288,214	417,609
17.	Rajasthan	177,596	354,567	399,384

1	2	3	4	5
18.	Tamil Nadu	19,657	74,579	132,782
19.	Tripura	3,562	8,002	7,171
20.	Uttar Pradesh	193,715	381,750	337,603
21.	West Bengal	19,387	39,634	28,917
22.	Andaman & Nicobar	1,178	1,106	1,510
23.	Arunachal Pradesh	22,271	24,810	28,154
24.	Chandigarh	2,373	4,269	10,535
25.	Delhi	12,163	37,879	49,330
26.	Goa	165	634	2,012
27.	Sikkim	188	134	113
28.	Mizoram	6,912	13,179	11,989
29.	Pondicherry	..	174	325
30.	Coalfields	3,228	3,894	4,366
31.	DRK Project	NA	12,493	15,580
32.	Lakshdweep	..	..	1

महिलाओं के लिये राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान

*274. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से की गई परियोजना के अंक के रूप में कार्यकारी एजेंसी के रूप में एक संस्थान स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या महिलाओं के लिए यह राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कौशल के भिन्न-भिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए वर्तमान व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार और विविधिकरण को काफी समय से महसूस की जा रही आश्वयकता पूरी कर पायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो महिलाओं के लिए इस राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) जी हां ।

(ख) इस संस्थान का गठन मुख्यतया काफी समय से महसूस की जा रही इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की अनिवार्य विशिष्टताओं को दर्शाने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा है।

महिला राष्ट्रीय व्यतवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के मुख्य लक्षण

I. संस्थान के उद्देश्य

(1) अल्प-कालीन पुनश्चर्या और दक्षता सुधार कार्यक्रमों के अतिरिक्त चुने हुए क्षेत्रों में बुनियादी कौशल उच्च कौशल तथा अनुदेशात्मक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना,

(2) उद्योग में पहले से नियोजित महिलाओं के लिए कौशल सुधार या चुने हुए व्यवसायों में पुनः प्रशिक्षण के लिए विभिन्न अवधि के पाठ्यक्रम प्रदान करना,

(3) नियोजनीय दक्षता के सीधे संबंधित, जहां कहीं लागू हों, माड्यूलर एककों के विकास सहित पाठ्यचर्या का विकास करना।

(4) प्रशिक्षण पद्धतियों, सहायकों और उपकरणों का विकास करना।

यह संस्थान मूल संस्थान के रूप में कार्य करेगा और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर परियोजना के अधीन स्थापित किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों को ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

II. संगठन :– इस संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे :––

(क) प्रशिक्षण विभाग : बुनियादी कौशल, उच्च कौशल और अनुदेशात्मक कौशल में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित करना तथा पुनः प्रशिक्षण कौशल सुधार या उन्नयन करने या तदर्थ प्रकृति के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को भी आयोजित करना। संस्थान की प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में जटिल औज़ार तथा उपकरण फिट होंगे, जो स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से प्राप्त किए जाएंगे। चुने हुए क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के अतिरिक्त इस संस्थान में विभिन्न विशेषताओं में सुयोग्य राष्ट्रीय कर्मचारी होंगे।

(ख) विकास और पद्धति विभाग कुछ पाठ्यक्रमों में नियोज्य कौशल के मापदंड शुरू करने की संभावना सहित पाठ्यचर्या का विकास करना।

––प्रशिक्षण कार्य-पद्धति संबंधी सामग्री और साधन आदि
––परियोजना डिजाइन और स्थापित प्रशिक्षण मानकों आदि का विकास।

(ग) **प्रशासकीय विभाग** :

III. प्रशिक्षण सुविधाएं :

(क) **व्यवसाय** : निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा :––

पोशाक बनाना, नीडल क्राफ्टस, कपड़े बुनना और हौजरी, इलैक्ट्रानिक्स, सचिवीय पद्धति, सुन्दरता उत्कर्ष-साधन, कलाएं और शिल्पकलाएं, व्यवसाय सेवाएं। इनके अलावा आवश्यकता मूल्यांकन आयोजित करने के बाद समय-समय पर अतिरिक्त व्यवसायों/शिल्पकलाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

शुरू में केवल पोशाक बनाने और सचिवीय पद्धति में अल्पावधि उच्च दक्षता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इलैक्ट्रानिक्स और नीडल क्राफ्टस में प्रशिक्षण अगस्त 1977 में शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) **पाठ्यक्रम** :– यह संस्थान उपर्युक्त व्यवसायों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेगा :–
––पूर्णकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
––नियोज्य दक्षता के प्रमाणों पर आधारित अल्पकालिक पाठ्यक्रम।
––अल्पकालिक पुनश्चर्या/पुन: प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

दिल्ली में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

*275. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई है अथवा शीघ्र की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान क्रास-बार व्यवस्था की तुलना में उक्त व्यवस्था किन दृष्टियों से सुधरी हुई है ; और

(ग) सभी वर्तमान एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में कब तक बदलने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री० मधुदंडवते):—(क) और (ख) व्यापारिक परीक्षणों के लिए दिल्ली में 1000 लाइनों के इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना का कार्य चल रहा है । इस एक्सचेंज की डिजाइन अपने देश में ही बनाई गई है और निर्माण भी अपने देश में ही किया गया है। इस एक्सचेंज में अनिवार्य स्विचिंग कार्यों का नियंत्रण विशेष प्रोग्राम कम्प्यूटर करता है। आशा है कि कम्प्यूटर नियंत्रित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में रख-रखाव और प्रचालन में कम प्रयास करना होगा और लागत भी कम आएगी। इसके लिए कम जगह की जरूरत होगी। इससे अधिक विश्वसनीय सेवा मिलेगी और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधाएं दी जा सकेंगी।

(ग) मौजूदा एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में क्षय रोग के रोगी

*276. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वाध्य्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या देश में, विशेषकर नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान क्षय रोग के रोगियों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों में क्षय रोग के फैलाव की समस्या का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नही है जिससे यह पता चल सके कि पिछले तीन वर्षों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) यह प्रश्न नही उठता।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत, जिसमें बीमा शुदा 58 लाख व्यक्ति और 2 करोड़ लाभार्थी आते हैं, निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं —

(1) शिशुओं और बच्चों को बी०सी०जी० का टीका लगाया गया ।

(2) रोगियों का शीघ्र निदान करना जिसमें एक्स-रे और प्रयोगशाला परीक्षण की भी सुविधाएं शामिल हैं ।

(3) विशेषज्ञ परामर्श सेवा,

(4) घर में जाकर उपचार सेवा,

(5) 3000 क्षय रोग पलंगों पर संस्थानिक उपचार जिसमें से 1600 पलंग कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा लगाये गये हैं और 1400 पलंग विभिन्न राज्यों में आरक्षित हैं।

(6) इलाज के लिए अपेक्षित क्षय रोग निरोधी सभी दवाइयां मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भाग ले रही औद्योगिक क्षेत्रों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं को क्षय-रोग रोधी दवाइयों और बी०सी०जी० वैक्सीन भारत सरकार द्वारा मुफ्त सप्लाई की जाती हैं ।

राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत समुदायवार जिला क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्थानीय औषधालयों, तालुक अस्पतालों आदि में क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाने और घर जाकर उनका इलाज करने की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं।

क्षय रोग पर संस्थानिक उपचार वास्तविक रूप से बीमार और अन्य आपात रोगियों को उपलब्ध किया जाता है जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना अपेक्षित होता है।

बी०सी०जी० दलों द्वारा प्रसूति एवं बाल चिकित्सा संस्थाओं में शिशुओं और बच्चों को बी०सी०जी० का टीका लगाने का कार्य जारी है।

निदान और उपचार के लिए क्षय रोग विरोधी दवाइयां और लघु एक्स-रे फिल्में तथा बी०सी० जी० वैक्सीन भारत सरकार द्वारा राज्यों को मुफ्त सप्लाई की जाती है।

पाकिस्तान के लिये अमेरिका के नौसैनिक विध्वंसक

*277. **श्री डी० डी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका के दो नौसैनिक विध्वंसक पाकिस्तानी नौसेना को भेजे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में अमरीका सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य कर लिये हैं तथा इस क्षेत्र के देशों के साथ लाभप्रद सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं खोज रही है। हथियारों की बिक्री के बारे में, जिससे कि इस प्रक्रिया को धक्का पहुंच सकता है, हमने अपनी चिन्ता से अमरीकी सरकार को अवगत करा दिया है।

Financial Assistance for Trivandrum Medical College, Kerala

*278. **Shri M. N. Govindan Nair** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :—

(a) whether Kerala State Government have sought the Centre's financial assistance for developing the cancer wing of Trivandrum Medical College as a Regional Cancer Centre; and

(b) if so, the nature and Government's reaction thereto ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes Sir.

(b) In view of the limited allocation made available for Cancer Research and Treatment in the Central Sector during the 5th Plan period, it has not been found possible to provide any Central assistance to Government of Kerala for Regional Cancer Institute, Medical College, Trivandrum.

त्रिवेन्द्रम में पासपोर्ट जारी करने वाले कार्यालय की शाखा

*279. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण, कोचीन में पासपोर्ट के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों के बारे में दिनांक 16 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 712 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में पासपोर्ट कार्यालय की एक शाखा खोलने का कोई सुझाव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री : (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं। लेकिन 9 जून, 1977 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दू" में छपी एक रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें केरल सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा है कि त्रिवेन्द्रम में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए समुचित आधार है।

(ख) कोचीन के कार्यालय में अमले की वृद्धि से और कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं के परिवर्तन से कोचीन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय केरल राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।

Production of Iron Ore

*280. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of iron-ore produced in the country during each of the last three years, separately ; and

(b) the percentage of this raw material utilized in the country for manufacturing steel and the manner the remaining raw material was utilised?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) and (b) The production of iron ore and consumption in the steel Plants and its percentage to the total production is indicated in the table below :—

(in million tonnes)

Year	Total Production (calendar year)	Consumption by Steel Plants (Financial year)	Percentage of Col. 3 to Col. 2
(1)	(2)	(3)	(4)
1974	35.5	11.9	30.6%
1975	41.8	12.8	33.5%
1976	43.4	15.8	36.4%

The remaining quantities of iron ore were utilised mainly for exports.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

*281. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन में विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० के पुनर्गठन करने के समग्र प्रश्न पर आगे विचार किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जायेगा ।

चिकित्सा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति

*282. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर में चिकित्सा शिक्षा को व्यावहारिक रूप में सामुदायिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में क्या ठोस उपलब्धियां हुई हैं ;

(ख) क्या इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चिकित्सा शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं तथा समुचित शैक्षिक तरीकों का चुनाव किया गया है और पाठ्यक्रम का पुनर्निरूपण और अवधि का सुनिश्चय किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद् के समक्ष चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति पेश करने का है जिससे कि स्वास्थ्य की रक्षा सम्बन्धी सुविधाएं अधिकाधिक लोगों और विशेषकर समाज के सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध हो सकें ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) मैडिकल छात्र सामुदायिक चिकित्सा में प्रशिक्षण पाने के लिए अपनी इंटर्नशिप की अवधि के तीन महीने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य नगरीय और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में जाते हैं। छात्रों को सारे स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम में और इंटर्नशिप की अवधि के दौरान सामुदायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) जी हां। भारत की चिकित्सा शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य बुनियादी डाक्टर तैयार करना है जो समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा की पाठ्यचर्या की समीक्षा की है और इस लक्ष्य के अनुरूप उसका पुनर्निरूपण किया है ।

(ग) और (घ) हाल ही में भूतपूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डा० जे० बी० श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक ग्रुप ने चिकित्सा शिक्षा की नीति की जांच की। सरकार इस ग्रुप की सिफारिशों को लागू करने के बारे में कार्यवाही कर रही है और अन्य कदम भी उठा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

*283. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) कुल मिलाकर केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन 1974 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के

उपबन्धों की वैधता की पुष्टि किए जाने के बाद ही किया गया। अधिनियम के कार्यान्वयन में पायी गई कुछ त्रुटियों के कारण अधिनियम में कुछ संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, अधिनियम के प्रवर्तन पर समय-समय पर विचार-विमर्श करता है।

डाक तथा तार विभाग के अनिवार्यत: सेवा-निवृत्त किए गए कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

2250. **श्री आर० के० महालगी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीफोन, डाक तथा तार विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें आपात स्थिति के दौरान अनिवार्यत. सेवानिवृत्ति पर जाने के लिए कहा गया था;

(ख) क्या सरकार को इन विभागों के भूतपूर्व कर्मचारियों से इस आशय के अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर जाने के लिए कह कर उनके साथ अन्याय किया गया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार 56,673 कर्मचारियों के मामलों की जांच की गई थी। 973 कर्मचारियों के समयपूर्व सेवा निवृत्ति के आदेश दिए गए थे।

(ख) 973 कर्मचारियों में से अभी तक 572 कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिए है।

(ग) अभ्यावेदनों पर गुण-दोषों के आधार प के बाद 112 क र्मचारियों को फिर से उनके मूल पद पर बहाल करने या उनकी प्रार्थना पर निचले स्थायी पदों पर लेने के बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मूल्य सूचकांक की गणना के बारे में समिति

2251. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री के० मालन्ना :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री निहार लास्कर :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मूल्य सूचकांक की गणना के प्रश्न पर जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश-पद क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां। एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

(ख) और (ग) इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा करना। इनमें वेटिंग डायग्राम निकालने का मापदंड तथा विधि, सूचकांक के संकलन के लिंकिंग फैक्टर तरीके और मूल्य संग्रह प्रणाली के विभिन्न पहलू भी शामिल हैं;

(2) निम्नलिखित के संबंध में अध्ययन करना और रिपोर्ट दे :—

(क) वर्तमान मूल्य संग्रह प्रक्रियाएं और तंत्र ;

(ख) मूल्य संग्रह कार्य की प्रक्रियाओं के साथ ट्रेड यूनियनों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने की वांछनीयता एवं ढंग ; और

(3) उपर्युक्त मामलों के संबंध में सिफारिशें करना ।

इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री नीलकंठ रथ, प्रो० गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड एकानामिक्स, पूना	अध्यक्ष
2. श्रीमती मणिबेन कारा	सदस्य
3. श्रीमती पार्वती कृष्णन, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्रीमती रेणुका देवी, संसद सदस्य	सदस्य
5. श्री प्रसन्न भाई मेहता, संसद सदस्य	सदस्य
6. श्री बी० एन० सठाये	सदस्य
7. डा० एम० के पांधे	सदस्य
8. श्री कान्ति मेहता	सदस्य
9. श्री एम० टी० शुक्ला	सदस्य
10. श्री वी० आई० चाको	सदस्य
11. श्री आर० एल० एन० विजयनगर	सदस्य
12. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	सदस्य
18. निदेशक, श्रम ब्यूरो	सदस्य
14. श्री आर० एस० देश पांडे, उप सचिव, श्रम मंत्रालय	सदस्य-सचिव

इस समिति से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 2 मास के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत कर दे ।

आपात स्थिति के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गड़बड़ी किया जाना

2252. **श्री भगत राम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आपात-स्थिति के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गड़बड़ी किए जाने के बारे में शिकायतों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) जी हां।

(ख) मूल्य संग्रह की मशीनरी और प्रक्रिया तथा सूचकांक के विभिन्न अन्य पहलुओं की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है।

Bonding of Mine Workers by Usurers

2253. **Shri Satyadeo Singh** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :—

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item that usurers have again started bonding the mine workers in the country;

(b) if so, the number of such cases in each State which have come to the notice of Government;

(c) whether Government are considering the question of taking some concrete steps to check this practice, and

(d) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Government have seen some Press Reports in this regard.

(b) to (d) While some recent studies have provided some fragmented data concerning indebtedness, the Ministry of Labour have no specific information about such cases. The Labour Bureau, Simla, has currently in hand indebtedness survey at 25 selected industrial centres, including four centres in the mining areas which is likely to provide some factual data in this regard, the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 enacted recently seeks to abolish the system of bonded labour. Government are also considering the question of promoting a suitable legislation to secure to industrial workers relief from the burden of indebtedness.

समुद्री कानूनों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2254. **श्री पी० के० देव** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'समुद्री कानूनों' के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेल के नवीनतम प्रस्तावों तथा अपनी समुद्री सीमा की परिभाषा करते हुए कुछ देशों द्वारा एकपक्षीय घोषणा के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार भी देश की समुद्री सीमा की परिधि की एकपक्षीय घोषणा करना चाहती है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) समुद्र कानून के विषय में संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन का छठा अधिवेशन जो कि 23 मई से न्यूयार्क में शुरू हुआ है, 15 जुलाई 1977 को अपनी कार्यवाही पूरी कर लेगा । इस सम्मेलन में बहुत से प्रस्ताव और प्रति-प्रस्ताव रखे जा रहे हैं । भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रस्तावों पर विचार करेगी और तदनुसार भारतीय प्रतिनिधि मंडल को आवश्यक निर्देश देगी। भारत सरकार को यह ज्ञात है कि विकासमान राज्य प्रथा को और उभरते हुए मतैक्य को देखते हुए कुछ देशों ने अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमाएं इकतरफा तरीके से निश्चित कर ली हैं और अन्य आर्थिक अथवा मत्स्य क्षेत्र स्थापित कर लिये हैं।

(ख) भारतीय संसद ने भी प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 बनाया है जोकि 26 अगस्त 1976 से लागू हो गया है। इस अधिनियम

की धारा 3(2) के अनुसार भारत के प्रादेशिक समुद्र की सीमा वह रेखा है जिसका प्रत्येक बिन्दु समुचित आधार रेखा के निकटतम बिन्दु से 12 समुद्री मील दूर है।

Alleged attack on officers of Provident Fund Commissioner, U. P.

2255. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of a criminal attack by the members of the so called bogus staff union on Accounts Officers and Senior Assistant Commissioner of the office of the Provident Fund Commissioner, U.P. under the Ministery of Labour on 20th May, 1977.

(b) the names and full particulars of the employees who attacked them;

(c) whether Government would conduct an inquiry through C.B.I. to find out whether the Provident Fund Commissioner had a hand in this planned criminal conspiracy; and

(d) the action taken so far to provide protection to officers, to maintain law and order and to punish the culprits?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) to (d) The Central Provident Fund Commissioner has reported that about 100 employees of the Regional Provident Fund Office, Kanpur gheraoed an Accounts Officer of the Organisation on 20th May, 1977. They included some of the office bearers of the recognised Union namely/S/Shri R.D. Shukla, J.P.S. Bhaduria, V.K. Tripathi and G.D. Gupta. The matter has been closed by the Regional Provident Fund Commissioner to the satisfaction of all concerned. An inquiry by the C.B.I. does not appear to arise at this stage.

Distribution of Medicines through Red Cross

2256. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Central Government have under consideration a proposal to distribute medicines and provide other facilities in tribal regions in remote hilly areas through the Red Cross; and

(b) if so, the outline thereof ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) No.

(b) Does not arise.

उद्योगों को इलेक्ट्रिकल ग्रेड एल्यूमीनियम की सप्लाई

2257. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रिकल ग्रेड एल्यूमीनियम का उपयोग कर रहे उद्योगों ने उन्हें एल्यूमीनियम की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न मिलने के बारे में शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान एल्यूमीनियम उत्पादन में कमी एल्यूमीनियम प्रदावकों पर लगाई गई बिजली कटौतियों तथा एक मुख्य प्रदावक में 21 अप्रैल से चल रही हड़ताल के कारण हुई है । इससे इलैक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड तथा वाणिज्य ग्रेड दोनों ही प्रकार के एल्यूमीनियम की पूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। एल्यूमीनियम उत्पादकों से कहा गया है कि वे सभी उपभोक्ताओं को समान वितरण का सुनिश्चिय करें।

Increase in prices of various P&T items

2258. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the percentage by which prices of various items were increased, item wise, by the Ministry during emergency;

(b) the reasons for this increase;

(c) whether Government propose to make a review of this price rise; and

(d) if so, the results of the review made ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A detailed statement showing the percentage increase of tarriffs for various P&T services implemented in January and March 1976 is furnished in the Annexure.

[Placed in the Library. See No. L.T. 576/77].

(b) to (d) The Postal, Telegraph, Telephone and Telex services provided by the Department have to lie, by and large, self-supporting. To meet the increasing costs of materials and equipment and higher wages, the tariffs have to be revised from time to time.

आसाम में कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न कराया जाना

2259. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में चाय बागान सहित ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होंने अपनी कर्मचारी भविष्य निधि जमा नहीं कराई है ;

(ख) उनके द्वारा कितनी धनराशि देय है; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1977-78 के लिए इस्पात का निर्यात लक्ष्य

2260. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 के लिए इस्पात का कितना निर्यात लक्ष्य रखा गया है और विदेशी मुद्रा में इसकी कितनी कीमत है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : वर्ष 1977-78 के लिए इस्पात के निर्यात का लक्ष्य 24.1 लाख टन रखा गया है। मूल्य प्राप्त की जाने वाली कीमतों पर, जो निःसन्देह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति से नियंत्रित होते हैं, निर्भर करेगा।

विदेशों से आमंत्रित प्रतिनिधि मंडलों पर किया गया खर्च

2261. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सरकार ने आपात स्थिति के दौरान विदेशों से कुल कितने विदेशियों व प्रतिनिधि मंडलों को आमंत्रित किया था ;

(ख) प्रत्येक को किस-किस प्रयोजन के लिये आमंत्रित किया गया था; और

(ग) ऐसे अतिथियों के आतिथ्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Telephone Connections in Gujarat

†2262. **Shri Dharamsinghbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new telephone connections proposed to be provided in Gujarat during 1977-78 and when and how these connections would be provided;

(b) the number of applications for telephone connections pending uptil now and since when they have been pending; and

(c) the district-wise number of new telephone connections proposed to be provided in Gujarat ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A total of about 27,500 new telephone connections are proposed to be provided in Gujarat during 1977-78. The connections will be provided on a continuing basis as additional exchange capacities are commissioned.

(b) As on 30-4-77, the number of applications pending was 18,031. They are pending from various dates at different places. Some applications for long-distance connections are pending since end of 1968.

(c) A statement giving the approximate number of telephones likely to be provided in each district is placed on the Table of the Lok Sabha.

Statement

Districtwise Telephone Connections to be provided in Gujarat State

Name District	New telephone connections likely to be provided during 1977-78
1. Ahmedabad	10,500
2. Ahwa (Dangs)	50
3. Amrali	450
4. Banaskantha (Palanpur)	600
5. Baroach	450
6. Baroda	3,800
7. Bhavnagar	300
8. Bulsar	750
9. Gandhinagar	200
10. Jamnagar	800
11. Junagar	500
12. Kaira (Kheda)	1,400
13. Kutah	200
14. Mehasana	800
15. Panchmahal (Godhra)	300
16. Rajkot	2,400
17. Sabarkantha (Himmatnagar)	600
18. Surat	3,100
19. Surendranagar	300
TOTAL	27,500

इस्पात संयंत्रों में लागत में कमी

2263. **श्री ए० बाला पजनौर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के उन भागों का पता लगाया गया है जिनमें लागत में कम करने की गुंजाइश है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र के विभिन्न भागों में खर्च कम करने के लिये यदि कोई कार्यक्रम बनाये गये हैं तो वे क्या हैं;

(ग) लागत कम करने के काम में अब तक क्या ठोस उपलब्धियां हुई हैं; और

(घ) लागत कम करने सम्बन्धी कार्यक्रम व्यस्थित ढंग से लागू करने और ऐसे कार्यक्रमों के परिणामों पर निगरानी रखने के अब क्या तरीके अपनाये जाते हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां। जिन कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार है :—

(1) कीमती ईंधन तेलों के उपयोग में कमी करना ।

(2) इन्गट गोल्ड/बोटम प्लेट और उष्मसह आदि जैसी कीमती उपयोज्य मदों की मैयाद बढ़ाना ।

(3) कीमती फ़ालतू पुर्जों के लिये आयात प्रतिस्थापन की व्यवस्था करना।

(4) आन्तरिक परिवहन में कमी करना।

(5) अपव्यय पर रोक लगाना तथा उत्पादिता में वृद्धि करना।

(6) प्रशासनिक व्यय में कमी करना।

(ख) सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में नियमित रूप से कन्वर्टरों और धमन भट्टियों आदि में अनुसन्धान और विकास तथा विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा लागत कम करने के कार्यक्रमों को अपनाया गया है।

(ग) वर्ष 1975-76 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात की उत्पादन लागत में वर्ष 1973-74 की तदनुरूपी लागत में 169 रुपये से 374 रुपये प्रति टन की कमी की गई है। टिस्को और इस्को के कारखानों में भी इसी प्रकार लागत में कमी की गई है। लेकिन कच्चे माल की लागत और मजदूरी में 350 रुपये से 450 रुपये प्रति टन की वृद्धि हो जाने से लागत में की गई इन कमियों का प्रभाव पूर्णतया खत्म हो गया है।

(घ) लागत कम करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करने तथा इन पर व्यवस्थित ढंग से निगरानी रखने के लिये मानक लागत तथा बजट नियंत्रण के तरीके काम में लाये जाते हैं । मासिक लागत और कमीबेशी की रिपोर्टों की कर्मशाला स्तर से उच्च प्रबन्ध स्तर तक तीन स्तरों पर समीक्षा की जाती है।

संचार मंत्री के आवास को सुसज्जित किया जाना

2264. **श्री एस० डी० मुरुगय्यन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उनके सरकारी आवास को 4 लाख रुपये की धनराशि खर्च करके डाक-तार विभाग द्वारा सुसज्जित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जी नहीं।

डाक-तार विभाग ने संचार मंत्री के 23 सफ़दरजंग रोड, नई दिल्ली स्थित सरकारी अस्थाई निवास स्थान के लिये, किसी तरह का फ़र्नीचर नहीं दिया है। लेकिन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस निवास के लिये 28,895 रुपये की लागत का फ़र्नीचर दिया है। यह लागत मंत्रीमण्डल स्तर के मंत्रियों के लिये तय 38,500 रुपयों की सीमा से काफ़ी कम है।

मंत्री और उनके कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी काम के लिये प्रयोग किये जा रहे बंगले के एक भाग के लिये फ़र्नीचर संचार मंत्रालय ने उपलब्ध किया है। यह फ़र्नीचर वर्तमान मंत्री के पूर्वाधिकारी को मिले निवास स्थान से उठा कर रखा गया है।

ऊपर बताया फ़र्नीचर सरकारी भण्डार में मौजूद था और वहीं से दिया गया है। इस पर अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, इर्विन तथा जी० बी० पन्त अस्पतालों दिल्ली के कनिष्ठ डाक्टरों की बैठक

2266. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्यान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और इर्विन तथा जी० बी० पन्त अस्पतालों, दिल्ली के कनिष्ठ डाक्टरों की आम सभा की बैठक में अस्पतालों के कार्यकरण में आये दिन राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप की भत्सर्ना की गई है;

(ख) क्या उन्होंने उस रोगी के रिश्तेदारों द्वारा डाक्टरों के साथ कथित दुर्व्यवहार की भर्त्सना की है जो उनके विशेष सहायक का एक सिफ़ारिशी पत्र लाये थे;

(ग) उक्त घटना के तथ्य क्या हैं और भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिये उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या डाक्टरों ने इस घटना के विरूद्ध 22 मई, 1977 को विरोध प्रकट किया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा पारित इस आशय का एक संकल्प इर्विन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को प्राप्त हुआ था।

(ग) श्री सतराम दास को छुरे के घाव के उपचार के लिये 17 अप्रैल, 1977 को इर्विन अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भरती किया गया था। 7 मई, 1977 को अस्पताल से उसे छुट्टी दे दिये जाने के बावजूद वह अस्पताल से गया नहीं। 20 मई, 1977 को कुछ लोग रोगी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के यहां पहुंचे ताकि वे उनको रोगी की कठिनाइयों और अस्पताल में उसके साथ हुए कथित उपेक्षित व्यवहार की बातें बतला सके। स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव ने 20 मई, 1977 को इर्विन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि रोगी के पूरी तरह ठीक होने तक उसे आवश्यक चिकित्सा सुविधायें दी जायें और उसकी शिकायतों पर वह व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। तथापि इस रोगी को अस्पताल से इलाज मुक्त किर दिया था। चूंकि रोगी अपने आपको फ़िट नहीं समझता था इसलिये 22 मई, 1977 को वह बिलिंग्डन अस्पताल में भर्ती हो गया जहां से उसे 3 जून, 1977 को मुक्त कर दिया गया।

(घ) जी नहीं।

Burmese Citizenship for persons of Indian Origin

2267. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons of Indian origin in Burma who have so far been granted citizenship of Burma;

(b) the number of persons who have returned to India as also the number of those remaining there;

(c) the value of movable property allowed to be brought by persons returning to India by the Government of Burma; and

(d) whether efforts have been made for getting compensation from Burma Government for movable and immovable property held by these persons there and the results thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) and (b) No authentic information regarding the number of persons of Indian origin in Burma is available. However, it is estimated that (i) the present number of Burmese citizens of Indian origin is approximately 1,00,000; (ii) since Burma's independence in 1948, 4,00,000 to 4,50,000 persons of Indian origin have left Burma, including 162,077 repatriated by sea since 1964 by the Government of India; (iii) there are at present about 400,000 persons of Indian origin in Burma including those who have been granted Burmese or Indian citizenship.

(c) Under present regulations the Government of Burma permit the repatriates to take (i) small amounts in cash, varying according to mode of travel, up to a maximum of Rs. 40.00 per adult, Rs. 15.00 per dependent adult and Rs. 5.00 per child; (ii) Personal effects like clothing and utensils etc. in limited quantities; and (iii) gold or silver ornaments or other jewellery either brought into Burma and declared to Burmese customs at the time of entry or limited to 15 gm of gold per adult repatriate paying his own passage.

(d) the question of compensation for the assets left behind by Indian repatriates has been the subject of negotiations between the Government of India and the Government of Burma since 1964. However, so far, no compensation has been paid to any person of Indian origin who has left Burma. Applications made in response to Burmese Government notification dated December 6, 1973 in respect of enterprises nationalised in 1963 and 1965 are still under consideration.

मजदूरी, मूल्यों और आय संबंधी नीति

2268. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी, मूल्यों और आय सम्बन्धी नीति बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अनुसंधान पर व्यय

2269. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31 मार्च, 1977 तक (क) पश्चिमी पद्धति (ख) आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों और (ग) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर किये गये अनुसन्धान कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार योजना के शेष भाग में देशी चिकित्सा पद्धति पर अधिक जोर देने का है और उसके लिये यदि निश्चित रूप से कोई धनराशि नियत की गई है, तो कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथासमय रख दी जाएगी।

(ख) सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। जहां पहली पंच वर्षीय योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये केवल 40 लाख रुपये रखे गये थे वहां पांचवीं योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिये 10.02 करोड़ रुपये की पूंजी रखी गई है।

Committee on S.A.I.L. Working

2270. **Dr. Bapu Kaldate :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a 3-Member Committee was appointed to enquire into the working of the Steel Authority of India Limited;

(b) the names of these members;

(c) whether Government have since received the report of the Committee; and

(d) the main recommendations made by the Committee therein ;

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) to (d) Government have not appointed any Committee to enquire into the working of Steel Authority of India Limited. However, the Chairman, Steel Authority of India Limited, has recently appointed an Internal Committee consisting of S/Shri M. P. Wadhawan, A. C. Banerjee and Dr. N. C. B. Nath, full-time functional Directors of the Company, to study its organisational structure and to see to what extent it can be rationalised.

कर्मचारियों के शिक्षा दौरों की दूरी (मील) कम करना

2271. **श्री नटवरलाल परमार** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान कर्मचारियों के शिक्षा दौरों की दूरी और अवधि कम कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या जिस प्रयोजन के लिये यह योजना आरम्भ की गई थी, उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार फिर पहले वाली व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड आफ़ गवर्नर्स ने 7-2-76 को यह निर्णय किया कि चूंकि एकक स्तरीय कक्षाओं के अध्ययन दौरे श्रमिक प्रशिक्षार्थियों के पाठ्यक्रम का भाग नहीं हैं, इसलिये इस प्रकार के दौरों के लिये सुविधायें प्रदान करना प्रबन्धकों की मर्जी पर निर्भर करेगा और यह कि यदि ऐसे दौरे आयोजित किये ही जायें तो ये 7 दिन की बजाय 5 दिन के अवधि के होंगे। श्रमिक शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन दौरे पाठ्यक्रम का भाग है, परन्तु उन्हें 15 दिन की बजाय 10 दिन तक के लिये सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार अध्ययन दौरों की अवधि में कमी की गई न कि यात्रा की दूरी में, जो श्रमिक प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में 3000 किलोमीटर थी, और श्रमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में 5000 किलोमीटर।

(ग) और (घ) इस विषय पर विभिन्न सूत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप इस बोर्ड ने दिसम्बर, 1976 में यह निर्णय किया कि श्रमिक शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन दौरों के सम्बन्ध में यथा पूर्व स्थिति बहाल कर दी जाये। 17-4-77 को बोर्ड ने यह निर्णय भी किया है कि एकक स्तरीय कक्षाओं के श्रमिक प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में पहले की स्थिति बहाल कर दी जाये।

हज के लिए यात्रा किरायों में वृद्धि

2272. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हज के लिये यात्रा किरायों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) क्या सरकार यात्रियों में असन्तोष फैलने और उन्हें कठिनाइयां होने के कारण इस वृद्धि को समाप्त करने पर विचार कर रही है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) हज यात्रियों को ले जाने वाले मुगल लाइन्स के जहाजों में शायिका दर्जे का किराया 1700 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

(ग) इस बारे में अभिवेदन और अपीलें प्राप्त हुई हैं और मामले पर विचार किया जा रहा है।

प्रशिक्षित नर्सों की कमी

2273 **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेषकर उत्तरी भागों में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) देश में प्रशिक्षित नर्सों की कोई कमी नहीं है। फिर भी कुछ राज्यों में, जिनमें उत्तरी राज्य शामिल हैं, थोड़ी कमी है। सम्बन्धित राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिये कदम उठा रहे हैं।

Steel production in India vis-a-vis other Countries

2274. **Shri Hukamdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the position of India in steel production among the countries of the world;

(b) the steel production in the country at present and the quantum of steel being imported by India and the iron ore being exported to foreign countries every year; and

(c) the names of the countries alongwith the quantity of iron ore exported to them and the quantity of steel imported from each of these countries every year ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) India ranked 15th in Crude Steel Production during 1976 among the various Steel Producing Countries in the world.

(b) The production of Steel, import of mild steel, export of iron ore during the last two years was as follows :—

(Figures in million tonnes)

S. No.	Item	1975-76	1976-77
1.	Production of steel ingots	7.25	8.43
2.	Import of mild steel	.355	.182*
3.	Export of iron ore	22.514	23.00

*(relates to April—December, 1976).

(c) Countrywise export of iron ore is given in Statement I and import of Mild Steel from those countries is given in Statement II.

Statement—I

Country-wise Export of Iron Ore from India

(Qty. in million tonnes)

Country	Total Exports in 1975-76	MMTC, export in 1976-77*
Japan	17.180	7.781
U.S.A.	0.029	..
Rumania	2.032	1.602
Czechoslovakia	0.403	0.498
Poland	0.575	0.329
Hungary	0.133	0.192
Bulgaria	0.118	..
Holland	0.586	0.138
Belgium	0.035	..
Germany (West)	0.350	0.239
Italy	0.170	..
South Korea	0.605	0.610
Taiwan	0.137	0.010
Iraq	0.019	0.024
Turkey	0.142	..
Yugoslavia		0.026
GDR	..	0.289
	22.514	11.738*

*Apart from this about 11.3 million tonnes was exported by Private Shippers of Goa, whose countrywise breakup is not readily available.

Statement II

Country-wise Import of Mild Steel

(Qty. in '000 tonnes)

Country	1975-76	1976-77 (April-Dec.)
Belgium	10.5	4.5
Bulgaria	4.1	1.0
Czeckoslavakia	25.7	6.8
Germany (FRG)	43.1	22.7
Hungary	18.3	1.9
Italy	5.1	0.1
Japan	149.6	74.9
Korea DP Republic	12.6	0.01
Netherlands	0.1	0.1
Poland	5.5	0.4
Romania	6.5	..
U.S.A.	2.9	4.0
Yogoslavia	0.01	..
TOTAL	284.01	116.41

आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

2275. **श्री शिव सम्पत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कांग्रेस कमेटी और इसके विभिन्न अंगों की ओर 31 मार्च, 1977 को टेलीफोन बिलों की बकाया राशि कितनी थी;

(ख) क्या टेलीफोन बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण आल इंडिया कांग्रेस कमेटी या उसके किसी विंग का टेलीफोन कनेक्शन काट दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनसे टेलीफोन बिलों की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) 56,890 रु० ।

(ख) और (ग) जी हां। काटे गये टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नरोता (उ० प्र०) (15 कनेक्शन)

(2) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शाखा, कोट्टायम की केरल स्टूडेन्ट यूनियन (3295)

(3) महामंत्री, स्वागत समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पटना।

(4) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (नई दिल्ली) (383072)

(5) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (प्रकाशन) (383521)

(6) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (383895)

(7) सेन्ट्रल कैम्पैन कमेटी, नई दिल्ली (381009)

(8) इंडियन यूथ कांग्रेस, नई दिल्ली (387267/389941)

(9) नेशनल स्टूडेन्ट यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली (381273)

(10) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली-386783

(11) वही –वही–– वही–– 78929

(घ) टेलीफोन राजस्व की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। सामान्य तौरपर जो कदम उठाये जाते हैं वे हैं व्यक्तिगत सम्पर्क, पत्र व्यवहार और जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करना।

भारतीय जल परिवहन कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन

2276. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कलकत्ता पत्तन पर विभिन्न ठेकेदारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे चौकीदारों का एक पूल बनाने के लिये भारतीय जल परिवहन कर्मचारी संघ से एक अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता पत्तन पर चौकीदारों का पूल बनाना व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

नजरबन्दी के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण के इलाज की पर्याप्तता की जांच करने हेतु आयोग

2277. **श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नजरबन्दी के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण के किये गये इलाज की पर्याप्तता की जांच के लिये नियुक्त एक सदस्यीय आयोग के पहले सदस्य के स्थान पर नये सदस्य की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि जांच निष्पक्ष रूप से की जायेगी और क्या इस प्रयोजन के लिये एक न्यायिक जांच कराई जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) नजरबन्दी के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण को किस प्रकार का उपचार दिया गया और वह उपचार पर्याप्त था या नहीं, इन बातों की जांच करने के लिये डाक्टर फिलीपोज कोशी वाले एक सदस्यीय आयोग के स्थान पर अब बंगलौर के डा० नागप्पा अल्वा के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया है।

(ख) डा० नागप्पा अल्वा का यह एक सदस्यीय आयोग इसलिये गठित किया गया कि डा० फिलीपोज कोशी ने पी० जी० आई० चण्डीगढ़ में अपने लड़के की नियुक्ति से उठे विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया था।

(ग) चूंकि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये पहले गठित इस एक सदस्यीय आयोग के निष्पक्ष और न्यायिक रहने की आशा है अतः इसी प्रयोजन के लिये एक न्यायिक जांच बिठाने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ सम्बद्ध किया जाना

2278. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री 6 मई, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 697 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजूरी को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ सम्बद्ध नहीं किया गया है ;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या देश में कृषि मजदूरों को समान वेतन मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचनानुसार, पश्चिम बंगाल में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी के मंहगाई भत्ते के घटक को जीवन निर्वाह लागत से जोड़ा गया है। पंजाब राज्य से संबंधित अधिसूचना में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जोड़ने की व्यवस्था है। अन्य राज्यों में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ इसे जोड़ने की पद्धति विद्यमान नहीं है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ने के लिये कोई सांविधिक बाध्यता नहीं है। तथापि, जुलाई, 1975 को हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 26 वें सत्र में यह स्वीकार किया गया कि जहां न्यूनतम मजूरी दरों में अनुवर्ती महंगाई भत्ता शामिल नहीं है वे राज्य दो वर्षों की अवधि के भीतर न्यूनतम मजूरी की पुनरीक्षा करेंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के जूनियर डाक्टरों द्वारा आन्दोलन

2279. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के जूनियर डाक्टरों ने आन्दोलन छेड़ दिया था और उन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) 12 अप्रैल, 1977 को दिल्ली के जूनियर डाक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि दिल्ली के 13 जूनियर डाक्टरों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे मामले वापिस ले लिये जायें और उन्हें सरकारी अस्पतालों में फिर से नौकरी पर आने और सेवा करने का मौका दिया जाये।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सरकार को यह सूचित किया है कि उन्होंने इन मामलों की समीक्षा कर ली है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सम्बन्धित जूनियर डाक्टरों ने इस घटना के प्रति माफी मांग ली है और यह देखते हुए भी कि ये मामले काफी समय से चल रहे हैं, उन्होंने इन मामलों को न्यायालय से वापिस लेने का निर्णय ले लिया है।

काम करने तथा पूर्ण रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता

2280. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी ने काम करने तथा पूर्ण रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने का वचन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इन वचनों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) हाल ही में हुए लोक सभा के केन्द्रीय चुनाव से पहले प्रकाशित जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई कि :—

(i) मौलिक अधिकारों की सूची से सम्पत्ति को हटाना और इसके स्थान पर कार्य करने के अधिकार की अभिपुष्टि करना; और

(ii) एक पूर्ण रोजगार की नीति।

इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही कहा है कि वह 10 वर्षों की निर्धारित समयावधि के भीतर दारिद्रय को हटा देगी और वह एक रोजगारोन्मुख नीति का अनुसरण करेगी, जिसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि उद्योगों, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रधानता दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं और समूचे ग्रामीण विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। योजना आयोग से भी कहा गया है कि वह उच्च रोज़गार तत्व सहित छठी पंचवर्षीय योजना सूत्रबद्ध करें।

डाक तथा तार विभाग में विभागेत्तर कर्मचारी

2281. **श्री बयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में डाक तथा तार विभाग में विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को विभाग में लेने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन कर्मचारियों की कार्य करने की दशा को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) तारीख 31-3-1976 को डाक-तार विभाग में 2,15,232 विभागेतर एजेंट थे।

(ख) और (ग) इन एजेंटों की सेवा और कार्य स्थिति की जांच वर्ष 1971 में एक सदस्यीय समिति ने की थी। उस समिति की सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई की गई है।

विभागेतर एजेंटों के वेतन ढांचे का पुनरीक्षण 1975 में किया गया था। वेतन ढांचे का आगामी द्विवर्षी पुनरीक्षण इसी वर्ष सितम्बर में होना है।

विभागेत्तर एजेंटों को समय-समय पर क्लर्क और डाकिए/चतुर्थ श्रेणी कांडरों में खपाया जाता है बशर्ते कि वे योग्यता के आधार पर विभागीय परीक्षा उतीर्ण करते हों और आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित निर्धारित कुछ शर्तें पूरी करते हों।

सभी विभागेत्तर एजेंटों को विभाग के नियमित काडरों में सामान्य रूप से खपाने के लिए कोई फैसला नहीं किया गया है ।

त्रिवेंद्रम जिले का भू-विज्ञान सर्वेक्षण

2282. **श्री बयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहां वाणिज्यिक पैमाने पर विदोहन की संभावना पाई गई है और ऐसे मामलों में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न असामयिक है।

टेलीफोन सेवा में गिरावट

2283. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं से भारी शुल्क लिये जाने पर भी टेलीफोन सेवा में दिन प्रति दिन गिरावट आ रही है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं ने सरकार का ध्यान इस शिकायत की ओर दिलाया है कि टेलीफोनों में आई त्रुटियों की रिपोर्ट करने पर टेलीफोन कर्मचारी उनको तत्काल ठीक नहीं करते हैं, और

(ग) क्या स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं । टेलीफोन सेवा में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) और (ग) जी नहीं । उपभोक्ताओं द्वारा जिन टेलीफोन खराबियों की रिपोर्ट की जाती है उन्हें बुक किया जाता है और उन पर तत्काल कार्रवाई की जाती है । कभी-कभी किसी प्रणाली के बाहरी संयंत्रों में बड़ी खराबी आ जाने से उसे ठीक करने में देरी लगती है । उस स्थिति में टेलीफोन सेवा शीघ्र चालू करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाता है । टेलीफोन सेवा पर सतत निगरानी रखी जा रही है और सेवा के स्तर की देखभाल की जा रही है । टेलीफोन एक्सचेंजों, उपस्करों और संयंत्रों की पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है । आशा है कि टेलीफोन सेवा में उत्तरोतर आगे और सुधार होगा ।

काजू उद्योग में राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नीति संबंधी प्रस्ताव

2284. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राज्य से दूसरे राज्य में अपरिष्कृत काजूओं को चोरी छुपे लाए ले जाए जाने को कम करने की दृष्टि से काजू उद्योग में कोई राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नीति निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन काजू उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रश्न राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

गंगा नदी के जल के वितरण के बारे में भारत-बंगलादेश समझौता

2285. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने गंगा नदी के जल के वितरण के बारे में बंगलादेश के साथ हुए समझौते की शर्तों पर निराशा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके बारे में क्या विचार प्रकट किये थे; और

(ग) क्या समझौते से पूर्व भारत सरकार को उनके विचारों से अवगत करा दिया गया था; और, यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण उनके विचारों की अवहेलना की गई ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने 1976 के मुकाबले 1977 के कमी के दिनों में फरक्का बांध से हुगली नदी में छोड़े गए कम पानी पर चिन्ता व्यक्त की है । इस संबंध में, 15 से 18 अप्रैल, 1977 तक ढाका में फरक्का के प्रश्न पर बंगलादेश से मंत्रीस्तर पर हुई बातचीत में जिस समझौते पर पहुंचे उसका हवाला दिया गया है । उनका यह मत था कि हुगली नदी में फीडर नहर की क्षमता के बराबर 40,000 क्युसेक पानी का आना नदी की परिवहन क्षमता तथा कलकत्ता बन्दरगाह को सुधारने के लिए आवश्यक होगा ।

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार तथा अन्य अभिकरणों से संपर्क बनाये रखा है और उनके विचारों को यथोचित रूप से ध्यान में रखा गया है । यह बात निःसन्देह सुविदित है कि दोनों देशों की सर्वाधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ महीनों में गंगा में पर्याप्त पानी नहीं रहता अत : कमी के मौसम में पानी के बटवारे पर तथा कलकत्ता बन्दरगाह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहाव में संवर्धन को दीर्घकाल में सुविधाजनक बनाने हेतु किसी समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को त्याग करना पड़ेगा ।

औषध तथा शृंगार प्रसाधन अधिनियम में संशोधन

2286. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री एस० जी० मुरुगयन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान औषध तथा शृंगार-प्रसाधन (कास्मेटिक) अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य एवं उद्देश्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां।

(ख) प्रारूप विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--

(1) नकली औषधों की संशोधित परिभाषा ;

(2) दण्ड-योजना को बुद्धिसंगत आधार पर संशोधित किया जा रहा है । अधिक गम्भीर-अपराधों के लिए न्यूनतम और अधिकतम दण्ड की व्यवस्था की जा रही है;

(3) जिस मामले में यह प्रमाणित हो जाए कि मिलावटी, नकली या घटिया औषधि के प्रयोग के कारण गम्भीर क्षति या मौत हुई हो उसमें आजीवन कारावास के दण्ड की व्यवस्था कर दी गई है ;

(4) औषधि निरीक्षकों की शक्तियां बढ़ाई जा रही हैं ताकि वे नकली औषधियों के व्यापार की रोकथाम कर सकें ।

(5) औषधसलाहकार समिति का गठन करना राज्यों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है । इस समिति में चिकित्सा प्रतिनिधियों और केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

(6) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसी किसी भी औषधि के आयात, निर्माण, बिक्री या वितरण का निषेध कर सकती है जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या चिकित्सीय दृष्टि से अप्रभावी समझा जाता है ;

(7) उन कतिपय अपराधों के संबंध में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त रूप से विचारण की व्यवस्था की जा रही है जिनके लिए अधिनियम के अन्तर्गत तीन वर्षों से अनधिक अवधि का कारावास दिया जा सकता हो।

प्रारूप विधेयक में नए उपबंधों की व्यवस्था करने और विद्यमान उपबंधों में संशोधन करने का उद्देश्य यह है कि जन स्वास्थ्य के हित में औषधों की गुणता का पूरा-पूरा नियंत्रण हो सके और उन व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके जो नकली औषधों, मिलावटी और घटिया औषधों के व्यापार में लगे हुए हों।

Increased Export of Steel

2287. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the export of steel; and

(b) if so, to what extent and the countries to which Government propose to export it ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) Yes, Sir.

(b) For 1977-78 a target of 2.41 million tonnes has been fixed as against actual export of 1.4 million tonnes in 1976-77. The countries to which the exports will be made will depend on international market conditions and the requirements of the different countries.

बेरोजगारी भत्ता

2288. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी ने देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है और यह कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए यद्यपि इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, सरकर का कहना है कि वह दस वर्षों के निर्दिष्ट समय के अन्दर दरिद्रता को दूर करेगी और इस उद्देश्य के लिए सरकार रोजगारोन्मुख नीति अपनाएगी जिसमें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि, कृषि उद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योगों

को प्रधानता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था तथा सम्पूर्ण ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति के अनुकूल 1977-78 के लिए केन्द्रीय बजट अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का संकल्प करता है ताकि कृषि, लघु तथा ग्राम उद्योगों और ग्रामीण अधो-संरचना में निवेश पर बल देने के द्वारा उत्पादन और रोजगार की वृद्धि की उच्चतर दर प्राप्त की जा सके।

Family Planning Operations

2289. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Family Planning Operations done during the last three months; and

(b) what is the experience of the people and the doctors in this regard ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The performance of Sterilisation operations under Family Welfare Programme during the months of March, April and May, 1977 is as under :

Month	No. of Sterilisation operations
March, 1977	1,40,743
April, 1977	49,534
May, 1977	40,794

(b) The Family Welfare Programme has been implemented during the last three months in accordance with the declared policy of the present Government. It is being implemented without any coercion or compulsion and on a purely voluntary basis. This policy has naturally been welcomed by the people and the doctors also.

There has been some decline in the performance during these three months as compared to the preceding period but such decline in the beginning of each financial year is normal, as there is a general slow down in tempo which gradually picks up during the course of year. Intensive coverage of pregnant mothers and children under the immunisation programme is also being ensured.

श्री डी० एस० लाम्बा की मृत्यु की जांच करने के लिए देशपांडे आयोग

2290. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश, श्री डी० एस० लाम्बा की मृत्यु के बारे में जांच करने के लिए देशपांडे आयोग की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई ;

(ख) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को विशेषज्ञ, सदस्य के रूप में निर्देशित किस अधिकारी ने किया था ;

(ग) उक्त आयोग ने क्या निष्कर्ष निकाले :

(घ) आयोग पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ड़) उक्त आयोग की स्थापना से क्या उद्देश्य पूरा हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) और (ख) न्यायमूर्ति श्री लांबा का स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंदीगढ़ में 19-11-76 की पित्ताशय की बीमारी के कारण आपरेशन किया गया था। 27-11-1976 को उनकी मृत्यु हो गयी थी। ये आरोप लगाए गए थे कि श्री लाम्बा का किया गया इलाज सही और काफी नहीं था और इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्री लाम्बा की मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति श्री वी० एस० देशपांडे की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था जिसके स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, डा० पी० पी० गोयल सदस्य थे।

(ग) से (ङ) इस आयोग की रिपोर्ट मिल गई है और उसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में जो खर्च हुआ उसका ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

गोल इस्पात छड़ों की बहुत कम मूल्य पर बिक्री

2291. **श्री के० ए० राजन :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा 14 एम०एम० के 3000 टन गोल इस्पात छड़ों को जंग लगा हुआ (रस्टी) बताकर कथित रूप से बहुत कम मूल्य पर बेचने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने निविदाओं द्वारा 14 मि०मी० गोलाई की 6251 टन इस्पात की छड़ें बेची हैं। ये छड़े दोष युक्त थीं और 6 महीने से अधिक समय से स्टाक में पड़ी थीं। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कलकत्ता क्षेत्र	2500 टन
पश्चिमी क्षेत्र	2682 टन
दक्षिणी क्षेत्र	413 टन
उत्तरी क्षेत्र	230 टन
उत्तरी केन्द्रीय क्षेत्र	249 टन
उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र	177 टन
	6251 टन

(ग) और (घ) "अनाचार" के कोई विशिष्ट मामले इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाए गए हैं इसलिये कोई जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

Use of Staff Cars in the Office of Central Provident Fund Commissioner

2292. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether there are two staff cars in the office of Central Provident Fund Commissioner and a staff car of the office of Regional Commissioner is also used whereas only one staff car was used previously;

(b) whether staff cars are used till 1.30 A.M. and a driver has been deputed at the residence after transferring him from Rajasthan and both the cars are parked at Commissioner's residence which is 17 kilometres away from the office; and

(c) the order under which both these staff cars have been allowed to be parked at the residence and the remedial steps proposed in the matter ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) to (c) There are two staff cars for the headquarters (Central) Office and one for the Regional Office, Delhi. Formerly only one staff car was available in the Central Office. According to the exigencies of the service and requirements, the staff cars are used before and after office hours for official work. A peon was transferred from the Regional Office, Rajasthan on 10-5-1976. He was appointed from 26-2-1977 as Staff Car Driver in accordance with the Staff Regulations. Both the cars are parked at the official garages attached to the staff quarters. Approval of the competent authorities has been obtained for parking staff cars at the official garages.

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किये गये दौरे

2293. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने गत छह वर्षों में किये गये दौरों की तुलना में आपात स्थिति के दौरान अधिक दौरे किये;

(ख) यदि नहीं, तो उसने कितने दौरे किये और प्रत्येक दौरे का क्या उद्देश्य था; और

(ग) इन दौरों का क्या परिणाम निकला ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 के बीच 37 दौरे । इन दौरों का, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रयोजन था—

(1) निम्नलिखित बैठकों में भाग लेना :

(क) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक ।

(क़) बजट उप समिति की बैठक ।

(ग) भवन उप समिति की बैठक ।

(2) संगठन के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में उप-कार्यालय स्थापित करना ;

(3) विभिन्न केन्द्रों में कार्यालयों के भवनों/कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण ;

(4) लम्बित पड़े वसूली अभियोजनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठकें;

(5) नियोजकों के संगठनों के साथ बैठकें;

(6) कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठकें;

(7) विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के साथ बैठकें;

(8) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सरकारी निरीक्षण।

समय समय पर किए गए दौरों के दौरान क्षेत्रीय आयुक्तों, भविष्य निधि निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों को उन्हें पेश आई विभिन्न समस्याओं के संबंध में वहीं समुचित अनुदेश दिए गए। जहां कहीं आवश्यक था, अनुवर्ती कार्यवाही भी की गई ।

Employers' Contribution in Employees' Provident Fund

2294. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether on resigning the service, the employees in the Provident Fund offices are paid full share of employers' contribution only after 15 years whereas in other establishments full share of this contribution is paid only after five years;

(b) what is the total amount of employers' contribution till to date which has not been paid to employees on resigning and the head of account under which this account is maintained; and

(c) what benefits the employees are given of this contributions and if not, whether this benefit is proposed to be extended to them in future ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) A copy of the regulation 16 of the Employees' Provident Fund (Staff Contributory Provident Fund) Regulations, 1960 governing the payment to be made in the event of a resignation is attached. [Placed in the Library. *See* No. L.T.-577/77].

(b) The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(c) No. There is no proposal for giving any benefit at present.

Appointments in Central Provident Fund Commissioner's Office

2295. **Shri Shiv Narain Sarsonia :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether appointments in Government Offices can be made only through the employment exchange;

(b) whether many appointments in the office of Central Provident Fund Commissioner have not been made through the employment exchange and Promotion have been made without any test; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

बंगला देश से आये शरणार्थी

2296. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एम० एन० गोबिन्दन नायर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश से आये उन शरणार्थियों को वापस भेजने का निर्णय किया है, जो बंगलादेश में सैनिक क्रांति होने के बाद भारत आये थे;

(ख) क्या इन शरणार्थियों ने भारत में राजनैतिक शरण मांगी थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) 15 अगस्त, 1975 के बाद जो बहुत से बंगला देश वासी भारत आए थे वे अपने देश लौट गये हैं। बंगला देश के किसी भी राजनैतिक शरणार्थी को शरण देने से इंकार नहीं किया गया।

Sponge Iron Plant in Andhra Pradesh

2297. **Shri P. Rajagopal Naidu :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to start a Sponge Iron Plant in Andhra Pradesh; and

(b) if so, whether any foreign country is collaborating with our Government in the construction of this Plant ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) and (b) A proposal is under consideration of Government of India for establishment of a Demonstration Sponge Iron Plant with a capacity of 30,000 tonnes to be set up jointly by Andhra Pradesh Industrial Development Corporation and SAIL at Kothagudem in Andhra Pradesh. Assistance has also been assured under the United Nations Development Programme. Production of sponge iron will be based on direct reduction process using primarily solid reductants like non-coking coal. United Nations Industrial Development Organisation had called for the tenders for supply of equipment and process know-how. The firms M/s. Allis Chalmers of USA and M/s. Lurgi of West Germany have submitted their offers. Government of India have set up a committee under the Chairmanship of Secretary, Steel and Mines to examine and give its recommendations based on which a final decision would be taken.

अविवाहितों और निसन्तान विवाहितों को पुरस्कार देना

2299. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन महिलाओं या पुरुषों को पुरस्कार देने का है, जिन्होंने शादी नहीं की है और यदि शादी की भी है, तो जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) यह विषय विचाराधीन है।

भारतीय दूतावासों/उच्च आयोगों से संबद्ध आर्थिक मिशन

2300. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां आर्थिक मिशन स्वतंत्र रूप से अथवा भारतीय दूतावासों/उच्च आयोगों से सम्बद्ध होकर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन आर्थिक मिशनों के उच्च स्तरीय अधिकारियों का चयन अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर के लोगों में से किया जाता है; और

(ग) इन आर्थिक मिशनों के लिये भर्ती हेतु सरकार किस नीति का अनुसरण करती है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) विदेश स्थित हमारे मिशन भारत के सभी हितों के लिए कार्य करते हैं जिसमें आर्थिक और वाणिज्यिक हित भी शामिल हैं। जेनेवा में हमारा एक रिहायशी प्रतिनिधि है जो 'अंकटाड' और 'गाट' में प्रत्यायित है। नेपाल में, भारतीय सहयोग मिशन भारत नेपाली परियोजनाओं का कार्य देखता है।

निम्नलिखित देशों में विशिष्ट आर्थिक केन्द्र भी हैं : बंगलादेश, बेल्जियम, भूटान, जापान, ईराक, पोलैण्ड, स्विटज़रलैण्ड, थाईलैण्ड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ।

(ख) और (ग) इन केन्द्रों के लिए उच्च स्तर के कार्मिकों का चुनाव सरकारी कर्मचारियों में से ही, उनकी शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और योग्यता का अच्छी तरह मूल्यांकन करके, किया जाता है और अर्थशास्त्री के एक पद के लिए नियमों में यह भी व्यवस्था है कि भर्ती विश्वविद्यालयों में से की जा सकती है।

इस्पात और लोहे का निर्यात

2301. **श्री एस० आर० दामाणि :**

श्री रामानन्द तिवारी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में कितने मूल्य का और कितना इस्पात तथा लोहा निर्यात किया गया और पिछले दो वर्षों के आंकड़ें क्या हैं;

(ख) क्या इस्पात के लिये एक नवीन निर्यात बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नये बोर्ड तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड इन्टरनेशनल के बीच कृत्यों का किस प्रकार विभाजन किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान निर्यात किये गये लोहे और इस्पात की मात्रा और मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

(मात्रा : हजार टनों में)
(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1974-75	190.7	18.63
1975-76	797.7	110.01
1976-77	2431.4	331.84

(ख) और (ग) इस्पात के लिये एक निर्यात बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव सेल इन्टरनेशनल के विचाराधीन है।

भिलाई तथा बोकारो में रुसी तकनीकी कर्मचारी

2302. **श्री एस० आर० दामाणि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों में कितने रुसी तकनीकी तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गईं और इस समय वहां कितने ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या वे इन दोनों एककों के विस्तार कार्यक्रम से संबंधित कार्य कर रहे थे, और यदि नहीं, तो वे वस्तुतः किस रूप में कार्य कर रहे थे;

(ग) क्या उनकी सेवायें समाप्त किये जाने से उस समझौते का उल्लंघन होता है जो कि उन्हें इस कार्य पर लगाते समय उनके साथ किया गया था; और

(घ) विस्तार कार्य अब किन एजेंसियों को सौंपा गया है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वर्ष 1977 के दौरान भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों में किसी भी रूसी तकनीकी तथा पर्यवेक्षी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं ।

भिलाई तथा बोकारों में काम कर रहे रूसी विशेषज्ञों की कुल संख्या क्रमशः 38 और 530 है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जिन अभिकरणों को विस्तार कार्य सौंपा गया है उनके नाम तथा अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

भिलाई

(1) मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि०—प्रायोजना इंजीनियरी तथा रूपांकन कार्य के लिए ।

(2) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लि०—सिविल और संरचनात्मक निर्माण तथा उपस्कर स्थापना का कुछ कार्य ।

(3) रूपाकंन तथा उपस्करों की सप्लाई का कार्य भारी इंजीनियरिंग निगम, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि०, इंजीनियर्स (इंडिया) लि० और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन जैसे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को भी सौंपा गया है।

(4) सोवियत संगठन विस्तार प्रायोजना के लिए रूपांकन, इंजीनियरी तथा उपस्कर की आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन के अलावा निजी क्षेत्र के कई संगठन उपस्कर सप्लाई करेंगे। इन कार्यों में भाग लेने वाले सभी संगठनों के कार्य-कलापों का समन्वय भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा किया जायेगा। विस्तार कार्य के लिए उपस्करों की स्थापना का कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० तथा भिलाई इस्पात कारखाने के निर्माण ग्रुप में बांटा गया है। अब तक हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

कार्य की मद	कुल मात्रा	31 मई, 1977 तक की प्रगति
कंक्रीट डालना (घन मीटर)	960630	153660
संरचनात्मकों का निर्माण (टन) . .	108674	25517
संरचनात्मकों की स्थापना (टन) . .	108674	9100
उपस्करों की स्थापना (टन)	166389	158.8

बोकारो

मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लि० द्वितीय चरण (17 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार) के लिए मुख्य सलाहकार है तथा मेसर्स एम०एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी को वही परामर्शी कार्य सौंपे गए हैं जो कार्य वह प्रथम चरण में कर रहे थे । फ़िर भी चूंकि विस्तार के डिजाइन मुख्यतः रूसियों द्वारा आरम्भ में तैयार की गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट पर आधारित हैं अतः प्रायोजना के पर्यवेक्षण रूस द्वारा सप्लाई किए गए उपस्करों और सामग्री की गारन्टी निष्पादन में सहायता

आदि के लिए रूसी विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता है। सिवाय इसके कि हाल ही में (अप्रैल, 1977) में लिए गए निर्णय के अनुसार विस्तार कार्य के अन्तर्गत केवल ठंडी बेलन मिल के रूपांकन और निर्माण का कार्य भारतीय संगठनों जैसे मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि०, इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लि०, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि०, भारी इंजीनियरी निगम, तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के अन्य भारतीय निर्माताओं को सौंपा गया है, विस्तार प्रायोजना के कार्यान्वयन में सोवियत संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मेकन और दस्तूर एण्ड कंपनी ने रूपांकन और इंजीनियरी कार्य काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। उपस्करों और साज-सामान के लिए आर्डर देने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण और स्थापना कार्य की प्रगति नीचे दी गई है :—

कार्य की मद	कुल मात्रा	31 मई, 1977 तक की प्रगति
कंक्रीट डालना (घन मीटर)	1030625	470236
संरचनात्मकों की स्थापना (तकनीकी) (टन) . .	28073	13834
संरचनात्मकों की स्थापना (भवन निर्माण) (टन)	104099	43705
यांत्रिक उपस्करों की स्थापना (टन) . .	200374	23667
वैद्युतिक उपस्करों की स्थापना (टन) . . .	23999	1779

डूंगरपुर में तांबा क्षेत्र

2303. **श्री एस० आर० दामाणि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य खान तथा भू-विज्ञान विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले में तांबें के बड़े क्षेत्र की खोज के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वहां खनन कार्य आरम्भ करने की वाणिज्यिक क्षमता सुनिश्चित करने हेतु अपना कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण को राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पाडर-की-पाल में तांबे के लिए राजस्थान के खान और भूतत्व निदेशालय द्वारा किए गए खोज कार्यों की जानकारी है, हालांकि उन्हें राज्य सरकार से इन खोज कार्यों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये भंडार डूंगरपुर नगर के पश्चिम में 35 कि०मी० दूर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8 के निकट स्थित हैं। भूतल पर पुरानी खदान तथा गोजान होने के संकेत विद्यमान हैं। राजस्थान सरकार ने भूतल ड्रिलिंग के लिए दो हीरक-ड्रिलें लगाई हैं। अब तक 24 बोर-छिद्रों में 4125 मीटर ड्रिलिंग की गई है जिससे 1000 मीटर लम्बी खनिजीकृत पट्टी की पुष्टि हुई है। उत्तर दिशा की ओर दो मीटर औसत मोटाई वाली दो समानन्तर पट्टियों का पता चला है। अयस्क ग्रेड का औसत लगभग 1.3 प्रतिशत तांबा है तथा अब तक की ड्रिलिंग के आधार पर वहां 12 लाख टन भंडार होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी नहीं, क्योंकि राज्य खान और भूतत्व निदेशालय द्वारा खोज जारी है और उनके द्वारा कोर नमूने भारतीय खान ब्यूरो को प्रारम्भिक परिष्करण जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, अतः भंडारों की वाणिज्यिक उपादेयता के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्मारक डाक टिकटों का जारी किया जाना

2304. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1978 में विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के नामों और घटनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी किसी सूची को अंतिम रूप दे दिया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सूची को अंतिम रूप कब तक दे दिया जायेगा और इसे कौन तैयार करता है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) नए डाक टिकट निकालने के लिए सभी प्रस्तावों पर फ़िलाटली सलाहकार समिति विचार करती है । आशा है कि वर्ष 1978 की सूची को अगले 3-4 महीनों में अंतिम रूप दे दिया जायगा ।

अमरीका में आप्रवास की प्रतीक्षा में भारतीय डाक्टर

2305. **श्री डी० डी० चद्रगौड़ा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या हाल ही में अमरीकी कांग्रेस द्वारा संशोधित रूप में पारित 'इम्मिग्रेशन एण्ड नेशनेलिटी ऐक्ट' के कारण उन हजारों भारतीय डाक्टरों को निराशा हुई है जो अमरीका जाकर वहां बसने की तीक्षा कर रहे थे, और यदि हां, तो ऐसे डाक्टर कितने हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उन्हें अपने विकल्प के किसी अन्य देश का चयन करने की सलाह दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि जो भारतीय डाक्टर संयुक्त राज्य अमरीका के लिए प्रवजन करना चाहते हैं, उनको अमरीकी प्राधिकारियों की ओर से नए प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ गया है । चूंकि ये लोग निजी नागरिक की हैसियत से आवेदन देते हैं इसलिए इन लोगों के आवेदनों के या आवेदन अस्वीकार किए जाने के आंकड़ें अलग से उपलब्ध नहीं है । भारतीय डाक्टरों के विदेश प्रवजन को प्रोत्साहित करना भारत सरकार देश के हित में नहीं समझती ।

Installation of New Board at Jaora in District Ratlam, M.P.

†**2304. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a new board was installed at Jaora in Ratlam District to meet the increasing demand of telephone subscribers;

(b) whether Trunk Board T-43 has been functioning at Jaora since 9th February, 1976 but full compliment of staff has not been provided there;

(c) whether a single operator is attending to the left hand booking inquiry, C.R.T. and out-going calls as a result of which great inconvenience is caused; and

(d) if so, the steps taken to remove this difficulty ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes, Sir.

(b) Trunk Board has been functioning at Jaora since 9-2-1976. Full complement of sanctioned staff have been provided.

(c) Normally during busy hours two operators attend to the positions for Booking, Enquiry and putting through of Trunk Calls. When some operators are on leave, on occasions, one operator manages the work.

(d) Two more Telephone Operators are being sanctioned and they will be posted as early as possible.

Waiting List for Telephone connections in Jaora, District Ratlam

†2307. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the number of telephone subscribers in Jaora, District Ratlam is on the increase and the waiting list has become quite long;

(b) whether C-1 and 5+8D-x systems have been introduced in Jaora but R—S—P has not so far been posted for maintenance;

(c) whether this causes great inconvenience to the subscribers when there is some trouble in the lines; and

(d) the steps taken by Government to remove this difficulty ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The number of working connections and the number of applicants on waiting list in Jaora since March, 1976 is given below :—

	Working connections	Waiting list
March, 1976	192	Nil
March, 1977	188	6
May, 1977	186	6

(b) Yes, Sir. One 3 channel G-1 system and one S+4DX system are working between Jaora & Ratlam. A Repeater Station Assistant has now been ordered to be posted at Jaora.

(c) and (d) No, Sir. The line is tested from Ratlam which is the testing station.

Settlement of Disputes between Management and Labour

2308. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of disputes between the management and the labour that came up before Government for consideration during the last six months;

(b) the number of disputes out of them resolved so far; and

(c) whether Government propose to fix a time limit for the settlement of such disputes ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) According to the Provisional figures available 2579 disputes between December, 1976 and May, 1977 were raised in the Central Sphere and 1766 disputes were resolved.

(c) No, Sir, but early attempt is made to resolve disputes as speedily as possible.

Construction of Hospital in Trans-Yamuna Area

2309. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether a proposal to construct a big building for hospital (with maternity centre) in Trans-Yamuna area in Delhi is under consideration; and

(b) if so, when this proposal was initiated and the time by which it is likely to be implemented ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes. A proposal for construction of a building for Delhi University College and Hospital is under active consideration of this Ministry.

(b) The proposal was initiated sometime in 1971 and actual construction will be taken up after obtaining necessary clearances.

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

2310. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस्पात उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में वृद्धि के लिये क्या कारण बताये गये हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) हाल ही में स्टील अथारिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने इस्पात के मूल्यों में सामान्य वृद्धि करने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी में मलेरिया के रोगी

2311. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में तीन वर्षों में मई, 1977 तक मलेरिया के कितने रोगियों का पता चला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): राजधानी में पिछले तीन वर्षों में मई, 1977 तक दर्ज किए गए मलेरिया के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	रोगियों की संख्या
1974	12163
1975	37879
1976	49330
1 जनवरी, 1977 से 31 मई, 1977 तक	23238

Reimbursement for purchase of Ayurvedic Medicines

2312. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state whether reimbursement is made to Government employees for purchasing allopathic medicines and not for ayurvedic medicines ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : Under the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, as amended from time to time, reimbursement of the cost of medicines under allopathic as well as Indian systems of medicine (including Ayurveda) is admissible to Central Government employees.

Use of Hindi in Ministry of External Affairs and in Indian Embassies Abroad

2313. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the steps being taken to promote the use of Hindi in his Ministry;

(b) whether work is being done in Hindi in any Indian Embassy;

(c) whether all the Indian Government employees working in embassies abroad possess knowledge of Hindi; and

(d) whether facility of interpreter in English only is available for members of foreign distinguished delegations visiting India, who speak in their own language, and as a result thereof Indians have to depend on English only as a medium for exchanging views or know-how and Hindi is completely neglected ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Necessary arrangements to implement the provisions of the Official Language Act and also the rules made thereunder have been made in the Ministry and the position regarding their implementation is under constant reveiw. Necessary steps are being taken to strengthen Hindi Section of the Ministry to cope with the increased volume of correspondence in Hindi and to facilitate its progressive use.

(b) and (c) Frequency of use of Hindi is mainly determined by the country in which the Mission is located. In most Missions, the local languages or European languages are mainly utilised for transaction of business. However, within Missions, the use of Hindi is fully accepted and encouraged. Staff and equipment is provided for this purpose. A large number of India-based officials at all levels possess knowledge of Hindi.

(d) Approval of Cabinet has been obtained for the creation of a Cadre of foreign language interpreters who, subject to being suitably qualified otherwise as per rules, would also normally be expected to have a working knowledge of Hindi.

वर्ष 1976-77 के दौरान परिवार नियोजन पर खर्च की गई राशि

2314. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान परिवार नियोजन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम में इस कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान आसाम में इस कार्यक्रम में कितने पुरुषों और महिलाओं को अन्तर्ग्रस्त किया गया और उन व्यक्तियों की औसत आयु क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को तथा केन्द्रीय क्षेत्र में व्यय के लिए स्वीकृत किये गये अनन्तिम भुगतानों के आधार पर 1976-77 में कुल 14802.54 लाख रुपये व्यय हुआ।

(ख) 1976-77 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए असम सरकार को 299.74 लाख रुपये का अनन्तिम अनुदान स्वीकृत किया गया था । इसके साथ-साथ 6.71 लाख रुपये मूल्य के प्रचलित गर्भ-निरोधक, वैकसीन, आयरन और फ़ोलिक एसिड की टिकियां तथा विटामिन 'ए' का घोल असम सरकार को भेजा गया ।

(ग) 1976-77 के बीच असम राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 2,53,862 स्वीकारकर्ता लाये गये, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। 1976-77 के दौरान स्वीकारकर्ताओं की

औसत उम्र की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। किन्तु, 1975-76 में असम के स्वीकारकर्ताओं की औसत उम्र निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं :—

तरीका	1976-77 के कुल स्वीकारकर्ता*	1975-76 में स्वीकारकर्ता की औसत उम्र
पुरुष नसबन्दी	2,05,452	39.6*
महिला नसबन्दी . . .	20,753	34.9
लूप	11,982	32.8
†समकक्ष प्रचलित गर्भ-निरोधक प्रयोगकर्ता (खाई जाने वाली गोलियों के प्रयोग-कर्ताओं सहित)	15,675	—

*अनन्तिम

†समकक्ष प्रचलित गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ताओं के आकड़ें, निरोध, जैली/क्रीम, खाई जाने वाली गोलियों के चक्र के वितरण के आधार पर निकाले गए हैं।

डाकघरों और जनसंख्या का अनुपात

2315. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों और जनसंख्या का समूचे भारत का अनुपात क्या है; और

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर चलाने के लिये स्थानीय लोगों को क्षति पूरी करनी पड़ती है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) एक डाकघर औसत रूप में 4,533 व्यक्तियों को डाक सेवा प्रदान करता है।

(ख) पिछड़े इलाकों में किसी डाकघर के खोलने पर यदि आय उस पर होने वाले व्यय की कम-से-कम 15 प्रतिशत हो और पहाड़ी इलाकों में आय उस पर होने वाले व्यय की 10 प्रतिशत हो तो उसका मुआवजा मांगे बिना ही विभाग डाकघर खोल देता है। किसी भी मामले में विभाग को होने वाला घाटा आम तौर पर 1,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कम-से-कम आय की शर्त पूरी नहीं होती तो जो पार्टी डाकघर खोलने का समर्थन करती है अर्थात् राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या कोई और दूसरी पार्टी तो उसे उसका पूरा खर्च भरना होगा। यदि कम-से-कम आय की शर्त तो पूरी होती है लेकिन घाटा 1,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो तो समर्थन करने वाली पार्टी को 1,000 रुपये से ऊपर होने वाला घाटा भरना होगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताएं

2318. श्री एस० जी० मुरुगय्यन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्तियों में की गई कथित अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (घ) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का संकेत 12 मई, 1977 के 'इकोनामिक टाइम्स' में 'सुपरसेसन्से गेलोर इन एच० एस० एल०' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट की ओर है । यदि यह ठीक है तो रिपोर्ट में लगाए गए आरोप निराधार हैं ।

Admissions in Medical Colleges

2319. **Shri Ishwar Chowdhary :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Medical Council of India has taken a decision that only those students are given admissions in Medical Colleges who have passed Higher Secondary examination with English as main subject;

(b) whether students passing with Hindi and other languages will be deprived of this facility as per decision of the Council;

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) to (c) With the introduction of 10+2+3 education pattern, the Medical Council of India have laid down the revised requirements for admission to medical colleges as follows :—

> "The Higher Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of physics, chemistry, biology, mathematics or any other elective subject with English at the Higher Level after the introduction of the 10+2+3 years educational structure as recommended by the National Committee of Education.
>
> NOTE : Where the course content is not as prescribed as in the proposed 10+2+3 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the medical colleges."

All that the Medical Council of India has prescribed is that in addition to the study of the science subjects as required, they should also have studied and passed English at the higher level, the medium of instruction for medical education in all States being English.

Political Treaties with France and Portugal in respect of Pondicherry, Goa, Daman and Diu

2320. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether India has any political treaties with France and Portugal in respect of Pondicherry, Goa, Daman and Diu, under which there is still some connection of these places with those countries; and

(b) if so, the details of the treaties and the purpose thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) A Treaty of Cession of the French Establishments of Pondicherry, Karikal, Mahe and Yanam was signed between India and France on 28th May, 1956. It terminated all political connections between France and these Establishments.

A Treaty was signed on 31st December, 1974 between India and Portugal whereby Portugal recognised India's full sovereignty over Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli from the dates on which they became parts of India. The Treaty repudiated any connection between Portugal and these Indian territories.

(b) By the Treaty of Cession with France, India succeeded to the rights and obligations of the Administration in force in the Establishments prior to 1st November, 1974. The French having renounced their colonial rights, the Government of India agreed to

the continuation of French institutions of a scientific and cultural character in these territories. The purpose of the Treaty was ensure the end of French Administration on Indian soil without jeopardising the further development of friendly relations between India and France.

The Treaty with Portugal contains provisions for the resumption of diplomatic relations, the development of cultural relations and the settlement through bilaterial negotiations of all questions between the two countries including those concerning properties, assets and claims. The purpose of the Treaty was to pave the way for the re-establishment of friendly relations between India and Portugal.

Permission for visiting Religious Shrines in Pakistan

2321. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons from India and Pakistan, separately who have permission to visit their religious places in Pakistan and India and whether they are regularly visiting these places every year;

(b) whether certain other groups of persons from India have sought permission from Government to visit other religious places in Pakistan and if so, by whom this permission has been sought and for which places; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) No number has been fixed of persons to be permitted to visit religious places in India and Pakistan. Pilgrims have been visiting either country regularly every year.

(b) and (c) The following organisations in India sought permission for group visits to holy places in Pakistan :—

(1) All India Sindhi Samaj, Indore, for visit to Sadhu Bela Shrine, Sukhar.

(2) Shri Sanatan Dharam Sabha, Ambala Cantt., for visit to Sri Katas Raj, Distt. Jhelum.

(3) Shri Atmanand Jain Mahasabha, Delhi, for visit to Samadhi Mandir, Gujranwala.

(4) Ruhani Anjuman, Delhi, for visit to Guru Dev Shahanshah Godariwala, Gujarat.

The Government of Pakistan had been approached for expansion of the list of approved shrines on a reciprocal basis so as to include the above mentioned shrines. However, their stand is that for the present, group visits by Indian pilgrims should be confined to the shrines already approved.

Use of Hindi in Official Work

2322. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the arrangements made in his Ministry for doing work in Hindi and the status of officers who look after this work;

(b) the efforts made to ensure maximum work in Hindi and future plans in this regard; and

(c) whether a Parliamentary Committee has been constituted to take stock of this work and if so, the names of Members of this Committee ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) and (b) This Ministry has a Hindi Section working under an officer of the rank of a Joint Secretary assisted by an Officer on Special Duty. Suitable steps including increasing the number of posts, are being taken to cope with the additional work already evident and to encourage the further use of Hindi.

(c) No Sir. However, the Kendriya Hindi Samiti has hits sub-committee for this Ministry and its reconstitution is being considered.

Telephone Connections in Rabupura (U.P.)

2323. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Telephone Advisory Committee of Uttar Pradesh had recommended 6 or 7 years ago that telephone services should be provided in Rabupura town in Bulandshahar district in Uttar Pradesh;

(b) whether Moradabad Circle had put up poles and wires for providing telephone services there;

(c) whether telephones could not be installed there due to vested interest as a result of which a great loss is being caused to the business there; and

(d) the time by which Government propose to instal telephone there ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (d) A proposal for opening a small automatic exchange at Rabupura was mooted in 1969. An exchange has not been opened as the registered demand is only from five applicants which does not make the project financially viable. An exchange could be opened if at least 10 applicants register.

Poles and wires have been erected in Rabupura for opening of a Public Call Office which is working there since August, 1967.

सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत के लिए पासपोर्ट

2324. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि साऊदी अरब, बहरीन तथा कुवैत के लिए पासपोर्ट पृष्ठांकित कराने में कितनी कठिनाइयां आती हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पासपोर्ट अधिकारियों को इन आशय के कोई परिपत्र अथवा निर्देश जारी किये हैं कि उपरोक्त देशों के लिये पृष्ठांकित को हतोत्साहित किया जाये या अनुमति दी ही न जाये; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने तथा आवश्यक पृष्ठांकन करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हाँ । जनता ने कुछ शिकायतें की हैं ।

(ख) और (ग) : उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार उत्प्रवासियों की सुरक्षा तथा उनके प्रति उचित व्यवहार के लिए जिम्मेदार है । इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न वर्गों के लोगों को किसी देश में उत्प्रवास की आज्ञा नहीं दी जाती :—

मेहतर, अव्यस्क लड़कियां/लड़के और वे भारतीय राष्ट्रिक जो विदेशियों के साथ घरेलू कार्य के लिए जाना चाहते हों ।

जब हमारे मिशनों ने सरकार का ध्यान कई ऐसे उदाहरणों की ओर दिलाया जिनमें कि भारतीय श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली नौकरी की शर्तें अन्य शहरियों के श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली शर्तों के समनुरूप नहीं पाई गई तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपने राष्ट्रिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उन सभी के आवेदन-पत्रों की, जो नौकरी के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, हमारे मिशनों द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में सावधानीपूर्वक जाँच की जाए ।

जो लोग 'हज' काल में सऊदी अरब तीर्थयात्रा के लिए जाते हैं उन्हें तीर्थयात्रा पास जारी किए जाते हैं और जो लोग 'हज' काल के अलावा अन्य किसी समय तीर्थ-यात्रा पर सऊदी अरब जाते हैं उन्हें जेद्दा स्थित हमारे राजदूतावास द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित सांविधिक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है । जो व्यक्ति 'सामाजिक यात्राओं' अथवा 'पर्यटन' के उद्देश्य से जाते हैं उन्हें भी हमारे मिशनों द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित की गई सांविधिक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है ।

कुवैत और बहरीन

वहाँ पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है ।

हज समिति का पुनर्गठन

2325. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हज समिति का पुनर्गठन बहुत दिनों से नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त हज समिति के पुनर्गठन को निरन्तर स्थगित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समिति को शीघ्र ही पुनर्गठित करने का है; और यदि हाँ, तो कब तक ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) हज समिति अधिनियम, 1959 के अधीन हज समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष से कम नहीं होता । पिछली समिति सितंबर, 1967 में बनाई गई थी और जुलाई 1972 में वर्तमान समिति का गठन होने तक लगभग पाँच वर्ष तक काम करती रही । वर्तमान हज समति के पुनर्गठन में कुछ विलंब हो गया है । 1975-76 में कतिपय प्रक्रिया संबंधी और दूसरी विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पढ़ गया था जिसकी वजह से हज समिति के कार्यकाल को चलाते रखना उचित समझा गया था जैसेकि नये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का प्रचलन और दूसरी बातों के अलावा 1975 में सऊदी प्राधिकारियों द्वारा जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की न्यूनतम सीमा में वृद्धि । 1976 में हज यात्रियों का चुनाव लाटरी द्वारा करने का काम हज समिति ने अपने हाथ में ले लिया जो कि अब तक मुगल लाइन द्वारा किया जाता था । इसलिए इसे जारी रखने की आवश्यकता महसूस हुई । बहरहाल, हज समिति के पुनर्गठन का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और आगामी हज के प्रबंधों में कोई समस्या खड़ी न होने पाये इस बात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्णय को यथाशीघ्र कार्यरूप दिया जाएगा । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 19 सदस्यीय हज समिति में तीन संसद सदस्य होते हैं और दो केन्द्र सरकार के नामोद्दिष्ट अधिकारी । इसलिए हज समिति के पुनर्गठन का निर्णय लेने के सिलसिले में यह सोचना ठीक ही था कि चुनाव हो जाने दिए जाएं ।

Ayurvedic System of Medicine

2326. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Ayurved occupies the place of national system of medicine in India and whether this system spread to other countries from here and whether in dozens of countries especially in Asia there is great demand for it; and

(b) whether adequate funds and arrangements have not been provided for this national system of medicine ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Ayurved along with other Indian Systems of Medicine, Homoeopathy and Modern Medicine contributes in the development of national health services in this country. Students from some countries studied Ayurved in this country. Ayurved is practised in some of the Asian countries.

(b) No. Increased funds for the development of Indian Systems of Medicine have been provided. While in the First Five Year Plan there was a provision of Rs. 40.00 lakks only for the development of these systems an outlay of Rs. 10.02 crores has been made for this purpose in the Central Sector of the Fifth Plan.

श्री शिव नारायण सरसूनियाः : खड़े हुए

अध्यक्ष महोदयः : मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि आप जब चाहें बोतल लेकर खड़े हो जायें यह पत्र सभा पटल पर रखे गये हैं । उसके बाद ध्यानाकर्षण और बाद में कृषि मंत्रालय की मांगों पर विचार किया जायेगा । तब आप खाद्य मंत्री को सारी बात बता सकते हैं । मैंने अपने चैम्बर में बोतल देख ली है । बोतल में मक्खियां हैं । वह खाद्य मंत्री को दिखा सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1977-78 और वर्ष 1977-78 के लिए रक्षा सेवाओं की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) रक्षा सेवायें प्राक्कलन 1977-78 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल टी० 546/77]

(2) वर्ष 1977-78 के लिये रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 547/77]

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगे

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्दर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(3) वर्ष 1977-78 के लिये शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) वर्ष 1977-78 के लिये संस्कृति विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** सं० एल० टी० 548/77]

Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (2nd Amendment) Regulations, 1976 and notifications under Prevention of Food Adulteration Act, 1954

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Second Amendment) Regulations, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. EI(I)-PGI-76 in Gazette of India dated the 6th November, 1976, issued under sub-section (1) of section 32 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966.

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 549/77]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 :—

(i) The Prevention of Food Adulteration (First Amendment) Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 4(E) in Gazette of India dated the 4th January, 1977.

(ii) The Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1977 published in Notification No. G.S.R. 18(E) in Gazette of India dated the 15th January, 1977.

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 550/77]

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(7) खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 2016 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 551/77]

रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना संशोधन नियम, 1976

(8) रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1718 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल टी० 552/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के बंद करने के बारे में इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन का कथित सुझाव

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के इस कथित सुझाव की ओर कि कच्चे पटसन की भारी कमी और पश्चिम बंगाल में पन्द्रह पटसन मिलों में जबरी छुट्टी के कारण पटसन [illegible] एक महीने में 7 से 10 दिन के लिए बन्द किए जायें, वाणिज्य तथा नागरिक

पूर्ति और सहकारिता मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : समाचार पत्रों में छपा है कि भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इस समय देश में पटसन की भारी कमी के संदर्भ में कच्चे पटसन के संरक्षण के प्रयोजन से और मिलों को अव्यवस्थित ढंग से बंद होने से रोकने के लिए तथा उपलब्ध रेशे की सुव्यवस्थित खपत सुनिश्चित करने के लिए भी, पटसन मिलों को अगले दो महीने में क्रमानुसार सामूहिक रूप से बंद किया जाए जिससे कि उत्पादन वर्तमान स्तर की अपेक्षा 70 प्रतिशत तक सीमित हो जाए ।

यह सच है कि इस समय पटसन उद्योग को कच्चे पटसन की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यह संभव है कि यह कमी मंडी में नई फसल आने तक जारी रहे । अतः कच्चे पटसन की वर्तमान स्थिति का परिणाम यह होगा कि कुछ मिलों के पास स्टाक की कमी पड़ जाएगी और समूचे उद्योग में भी उच्च ग्रेड के रेशे की कमी पड़ जाएगी । कच्चे पटसन की वर्तमान सप्लाई का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए विनियामक आदेश दिए गए हैं जिससे कि मिलें अपने पास जो अधिकतम स्टाक रख सकती है वह उनकी चार सप्ताह की खपत तक सीमित होगा । कच्चे पटसन की कीमतों पर, जो कि बहुत ऊंची चढ़ गई थीं, अनुशासन रखने के लिए कच्चे पटसन की विभिन्न श्रेणियों की अधिकतम कीमतें निश्चित कर दी गई हैं ।

उत्पादन को वर्तमान स्तर के 70 प्रतिशत तक सीमित करने अथवा सामूहिक मिल बन्दी को किसी भी कार्यवाही का निश्चय ही कामगारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी सरकार अनुमति नहीं दे सकती । उत्पादन में कोई कटौती किए बिना भी बहुत सी मिलें नई फसल के आने तक शायद उनके पास उपलब्ध स्टाक से काम चला सकती हैं और उनमें से केवल कुछ मिलों को यदि कोई कठिनाई हुई भी हो तो वह कठिनाई नई फसल के आने तक बहुत थोड़े समय तक होगी । स्थिति पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है और पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इण्डियन जूट मिल्स ऐसोसिएशन के जूट एककों को चरणबद्ध ढंग से बन्द करने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है । मंत्री महोदय ने कहा है कि देश में पटसन की बहुत कमी है । मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस संबंध में हमें थोड़ी जानकारी दें । आर्थिक सर्वेक्षण 1976-77 तथा वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन 1976-77 में कच्चे पटसन् का उत्पादन संबंधी आंकड़ों में एकरूपता नहीं है । ऐसा लगता है कि कलकत्ता के पटसन के बड़े उद्योगपतियों के प्रभाव में आकर मंत्री महोदय ने वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में पटसन उत्पादन के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण से भिन्न बताए हैं ।

जूट मिल मालिक जो कर रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है । हर वर्ष वे ऐसा करते रहे हैं । कच्चे पटसन का मौसम जुलाई से शुरू होकर अगस्त तक रहता है । कुछ दिनों बाद बाजार में कच्चा पटसन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा । इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के कुछ लक्ष्य हैं । उनका पहला लक्ष्य तो जूट उत्पादकों की खाल उधेड़ना है । छोटे उत्पादकों, जिनके बारे में आप काफी चिंतित हैं, को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं प्राप्त होगा । दूसरे वह पटसन की बोरियों का कृत्रिम अभाव पैदा करना चाहते हैं, इस तरह उन्हें उनका ज्यादा मूल्य मिलेगा । जूट के बड़े बड़े व्यापारियों के यही लक्ष्य है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन लोगों को रियायत देगी ।

गत दो वर्षों में जूट मिल मालिकों ने आपातस्थिति की आड़ लेकर जूट उद्योग में 80 हजार कर्मचारियों की छंटनी की। आज जबकि सत्ता एक नई सरकार के हाथ में आई उन्हें यह भय है कि कर्मचारी कहीं उनसे बदला न लें। अब जबकि एक नई सरकार ने सत्ता संभाली है क्या इन जूट के व्यापारियों का यह राजनीतिक खेल खेलने दिया गया। पश्चिम बंगाल मे हर पांचवा आदमी जूट उद्योग के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहा है और इतना बड़ा उद्योग संकट मे है। यह संकट कुछ बड़े जूट व्यापारियों द्वारा पैदा किया गया है। 12 अथवा 13 एकाधिकार गृह भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके आगे घुटने टेकेगी। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या वह जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेंगे तथा इस समस्या को सदा के लिए निपटा देगें।

क्या सरकार पटसन के बड़े उद्योगपतियों के विरुद्ध विचाराधीन विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी और करापवंचन के गंभीर आरोपों की जांच करेगी।

आपात स्थिति के दौरान जूट उद्योगपतियों ने भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की सांट-गांठ से कर्मचारी वर्ग के प्रति काफी अत्याचार किये। यदि सरकार इस संबंध में कुछ ठोस कार्यवाही करेगी तो पटसन उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होगा और कर्मचारी वर्ग का भी हित होगा।

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि पहले अनुमानों के अनुसार 70 लाख गांठों के उत्पादन होने की संभावना थी लेकिन कृषि मंत्रालय के नए अनुमानों के अनुसार उत्पादन 66 से 67 लाख गांठों के लगभग होगा। देश में प्रतिवर्ष 73–75 लाख गांठों की खपत होती है। वर्ष के आरंभ में 15 प्रतिशत के अभाव के कारण यह सोचा गया कि उत्पादन इतना अधिक नहीं होगा और इसके अतिरिक्त मांग भी कम थी। भाग्यवश पिछले चार महीने से मांग भी बढ़ी है और उत्पादन में भी सुधार हुआ है।

जूट मिल मालिकों की बात स्वीकार करने का प्रश्न ही नही उठता है। हम पटसन एककों को इस तरह महीने में सात से दस दिन तक बन्द रहने की अनुमति कभी नहीं देंगे। कल ही मैंने इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को बताया है कि सरकार इस किस्म के सुझावों को स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी उद्योगपति चार सप्ताह से अधिक का स्टाक अपने पास नहीं रख सकता। हम उन व्यापारियों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं जिन्होंने कि स्टाक इकट्ठा कर रखा है ताकि यह स्टाक बाहर निकाला जा सके। हमे बढ़ते मूल्यों को रोकना है और हम चाहते हैं कि दाम 215 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक न बढ़े। बंगाल सरकार के परामर्श और सहयोग से हम इन जूट मिल मालिकों को देश को लूटने का अवसर नहीं देंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पटसन मिलों की कुल आवश्यकता 72 लाख गांठ है और चालू वर्ष में 67 लाख गांठों का उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष की भी 5 लाख गांठे बाकी बचेंगी अतः यह कहना कि देश में पटसन की कमी है ठीक नहीं है।

हम चाहते हैं कि देश में पटसन का उत्पादन बढ़े। कहा गया है कि सफेद किस्म के पटसन का उत्पादन प्रति एकड़ 4.6 गांठ हो सकता है और टोसा किस्म के पटसन का उत्पादन 5.29 गांठ हो सकता है किन्तु चूंकि पटसन उत्पादकों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता इसलिये ऐसा नहीं हो पा रहा है। गत वर्ष पटसन का समर्थन मूल्य 135 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जो उत्पाद लागत से बहुत कम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये।

पटसन उद्योग की स्थिति निराशाजनक नहीं है। आज देश में पटसन की खपत 7.62 लाख टन है। क्या मंत्री महोदय पटसन उद्योग का विस्तार करने, उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने,

प्रति एकड़ उपज बढ़ाने, उद्योग के आधुनिकीकरण और एकाधिकार गृहों पर नियंत्रण करने के मामले में पहल करेंगे ? यह उद्योग प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाता है। कई मिलों ने पटसन निगम को बकाया राशि नहीं दी है। पश्चिम बंगाल में आपात स्थिति के दौरान जिन कर्मकारों की छंटनी की गई थी क्या सरकार पुनः उनकी बहाली करगी ?

श्री मोहन धारिया : सरकार इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही कर रही है। जितना भी कच्चा पटसन देश में होगा उसे मिलों को उपलब्ध किया जायेगा। इस कार्य में सभी पटसन उत्पादक राज्यों का सहयोग लिया जायेगा। आंतरिक खपत बढ़कर 7.5 लाख टन हो गई है। किन्तु 1964-65 में हमारा पटसन का निर्यात 9.5 लाख टन था जो कि अब घट गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पटसन उद्योग का भविष्य अंधकारमय है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम पटसन उद्योग में और सुधार कर लेंगे। इस वर्ष से हमने पटसन की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए प्रयास करने आरम्भ कर दिये हैं।

जहां तक उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने का संबंध है, इस समय हम उन्हें 200 रुपये प्रति क्विंटल नहीं दे सकते। हमने समर्थन मूल्य 141 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। भारतीय पटसन निगम ने पहले ही खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि उत्पादक अपना पटसन आसानी से बेच सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कलकत्ता में पटसन उद्योग में जितने भी कर्मकार लगे हुए हैं, उनकी छंटनी नहीं की जानी चाहिये। दुर्भाग्य से पटसन उत्पादकों का बुरी तरह शोषण हो रहा है क्योंकि उन्हें दिया जाने वाला समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहुत कम होता है। कांग्रेस सरकार के गत 30 वर्षों के शासन काल में हमेशा इस उद्योग में तालाबन्दी, छंटनी आदि होती रही। कर्मकारों की मंजूरी कम की गई। पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग पर 12 एकाधिकार गृहों का नियंत्रण बना हुआ है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने पटसन उद्योग से रियायत के रूप में 100 करोड़ रुपये लिये। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के अनुचित तरीके अपनाये गए।

पटसन मिलों के मालिक खूब लाभ कमा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि पटसन का उत्पादन बढ़ाया जायेगा किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिया जाये। अन्यथा वे पटसन की जगह चावल का उत्पादन करने लगेंगे।

एक-तिहाई मिलों में तालाबन्दी है। कुछ मिलों ने अपना 40 प्रतिशत उत्पादन कम कर दिया है। लगभग 72,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

सितम्बर में नई फसल आने वाली है। तब तक के लिए मंत्री महोदय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से थाइलैण्ड से पटसन तथा नैप्था का आयात कर सकते हैं। खेद है कि भारतीय कपास निगम का प्रभारी एक कांग्रेसी व्यक्ति है। यह सही है कि पटसन की कमी नहीं है किन्तु उनके पास काला धन है और वे उसे प्रकट नहीं करना चाहते। किसी भी दशा में कोई मिल बन्द नहीं होने देनी चाहिये।

श्री मोहन धारिया : यह सही है कि जब कच्चा पटसन बाजार में आता है तो उसका मूल्य घट जाता है और जब व्यापारी तथा मिल मालिक पटसन खरीद लेते हैं तो फिर मूल्य बढ़ने आरम्भ हो जाते हैं ? हमने भारतीय पटसन निगम को कह दिया है कि वह इस दिशा में समुचित कदम उठाये। हमारे लिए यह संभव है कि हम इन पटसन मिलों का प्रबन्ध किसानों को सौंप दें ताकि वे इन मिलों को सहकारी समितियों के माध्यम से चला सकें। इस सम्बन्ध में जितने सहयोग की आवश्यकता होगी मैं उतना सहयोग देने के लिए तैयार हूं।

बंद मिलों के बारे में मैं बता चुका हूं कि बंद मिलों में से अधिकांश मिलों को पुनः खोल दिया जायेगा । एलेग्जेंडरा जूट मिल का मामला न्यायालय में है । इसके सम्बन्ध में सभी प्रकार की जांच पूरी हो चुकी है । अब हम इस मिल को अपने अधिकार में लेने के लिए न्यायालय से अनुमति ले रहे हैं । राय बहादुर मिल के बारे में हम बिहार सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

जनता पार्टी सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं, हम उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं । पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों के बारे में मैंने वहां के मुख्य मंत्री से बात की है ।

श्री सौगत राय : यह एक ऐसी समस्या है जो कि गत कई वर्षों से चली आ रही है और कांग्रेस सरकार भी इस समस्या को हल नहीं कर पाई है । बड़े-बड़े मिल मालिक कम मूल्य पर पटसन खरीद लेते हैं तत्पश्चात उससे निर्मित वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेचते हैं । इसका एकमात्र समाधान यह है कि सरकार एकाधिकार रूप से पटसन खरीद ले । सरकार ने बताया है कि 86 प्रत्यक्ष बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई है जबकि सरकार को कम से कम 400 बिक्री केन्द्रों की आवश्यकता है । किन्तु सरकार इनकी संख्या नहीं बढ़ा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष सरकार कितने बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने जा रही है । सरकार को अधिकांश पटसन स्वयं खरीद लेना चाहिए ताकि किसानों को शोषित होने से बचाया जा सके ।

पश्चिम बंगाल में आपात स्थिति के दौरान लगभग 70 से 80 हजार तक मजदूरों को बेरोज़गार होना पड़ा । मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पिछले दो वर्षों के दौरान जिन 25,000 कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाला गया है उन्हें नौकरी पर बहाल किया जाये ।

एलेग्जेंडरा जूट मिल्ज़ जिसे बंद किया गया था, उसे अब तक नहीं चलाया गया । मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मिल को सरकार भारतीय जूट निगम के अधीन अपने अधिकार में लेगी ?

श्री मोहन धारिया : एलेग्जेंड्रा मिल का मामला निर्णयाधीन है । हमने अदालत से जांच-पड़ताल के लिये अनुमति मांगी है । जांच पड़ताल के बाद ही इस मिल को अधिकार में लेने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी ।

नौकरी से निकाले गये 25,000 कर्मचारियों को बहाल करने के सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री से बातचीत करूंगा ।

कच्ची जूट के निर्यात के बारे में मैं राज्य व्यापार निगम से बातचीत करूंगा ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

रक्षा लेखा विभाग के वेतन और लेखा कार्यालय को मथुरा से नासिक रोड कैम्प स्थानान्तरित किया जाना

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : I am raising a point under rule 377 which concerns the Finance Minister. I wrote the hon. Finance Minister about shifting of Pay and Accounts Office of the Defence Department. I want to lay the reply of the hon. Finance Minister on the table of the House.

Mr. Speaker : You need not lay it on the table.

Shri Mani Ram Bagri : Shifting of this office is being opposed by various quarters. I had pledged not to speak for 6 months in the House but I am feeling helpless now on account of shifting of this office. At least 10 trade unions have protested againt shifting of this office from Mathura.

The hon. Finance Minister is not here. It is strange that he is not here when a question relating to his Ministry is being raised.

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री को इस बारे में नोटिस मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : फिर तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत कोई भी माननीय सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी मामला उठा सकता है । इस नियम के अन्तर्गत मंत्री को सभा में रहने तथा उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । श्री वर्मा इस मामले की सूचना वित्त मंत्री को दे दें ।

श्री हरिविष्णु कामथ (होशंगाबाद) : यदि मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहें तो क्या आप अनुमति नहीं देंगे **(व्यवधान)** :

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत केवल एक ही सदस्य को बोलने की अनुमति दी जा सकती है ।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMIITTEE

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अनुदानों की मांगे, 1977-78

DEMANDS FOR GRANTS 1977-79

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी, जिसके लिये 12 घंटे निश्चित किये गये हैं । मंत्री महोदय शनिवार तक उत्तर देंगे । माननीय सदस्य ध्यान रखें कि अपनी बात कहने के लिये वे कम से कम समय लें ।

Shri Ram Lal (Misrikh) : Only 12 hours have been allotted.

अध्यक्ष महोदय : यह समय कार्य मंत्रणा समिति ने निश्चित किया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : जब मैं सत्तारुढ़ दल में था तो मैं इस बात पर जोर देता आया था कि कृषि को दलगत मामला नहीं बनाया जाना चाहिये क्योंकि इससे सभी वर्गों के लोग प्रभावित होंगे । अतः कृषि सम्बन्धी नीतियों पर राष्ट्रव्यापी सहमति के प्रयास करने चाहिये ।

जनता पार्टी की सरकार ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर अधिक बल देगी। इस सरकार का यह मत सराहनीय है लेकिन यह कहना भी सही नहीं है कि अतीत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूर्णतः उपेक्षा की गई है । वस्तुतः हाल ही में इस सम्बन्ध में कई निर्णय किए गए थे जैसे छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों के विकास, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के विकास तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एजेन्सियां गठित की जायेंगे । इनमें कुछ गलतियां भले ही हो सकती है, जनता सरकार जिनका निवारण कर सकती है । बजट प्रस्तावों से स्पष्ट हो गया है कि पहली सरकार द्वारा जो कार्यक्रम स्वीकृत किए गए थे, वर्तमान सरकार ने उन सभी कार्यक्रमों को अपना लिया है ।

बजट पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि जनता पार्टी भूमि सुधारों पर अधिक महत्व देगी। मैंने उनके उस वक्तव्य का स्वागत किया है लेकिन देश में यह आम धारणा बन गई है कि भूमि सुधारों के मामले में कुछ ढील दे दी गई थी । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक वक्तव्य देना चाहिए ।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल दिया जायेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस देश में आधुनिक ठोस औद्योगिक आधार के बिना आधुनिक कृषि संभव है। आधुनिक कृषि में उर्वरक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपादान है। अतः सुदृढ़ रासायनिक आधार और उर्वरक जैसे रासायनिक आधार पर आधारित उद्योगों के बिना उत्पादन नहीं बढ़ सकता। हमने उर्वरक खरीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बहुत धन का भुगतान किया है । एक वर्ष में उर्वरकों के आयात पर हमने 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अब इसको आयात बंद कर दिया जाना चाहिए। यह बात सराहनीय है कि गैस के भारी निक्षेपों का पता चला है जो उर्वरकों के उत्पादन के लिये बहुत सस्ता कच्चा माल है । मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आगामी 2 या 3 वर्षों में सघन संयंत्र स्थापित किए जायें ताकि उर्वरकों के आयात के लिए देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर न रहना पड़े और हम अपने किसानों को सस्ते मूल्य पर उर्वरक सप्लाई कर सकें।

हमें ग्रामीण विद्युतिकरण की ओर विशेष ध्यान देना होगा जो सुदृढ़ इस्पात उद्योग और आधार बिना संभव नहीं। इसी तरह ट्रैक्टरों और शक्तिचालित हलों की आवश्यकता है जिनके लिए इस्पात की जरुरत है । आधुनिक कृषि के विकास हेतु हमें तकनीकी पक्ष की आवश्यकता है । सशक्त आधुनिक औद्योगिक आधार के बिना यह संभव नहीं है । अतः, आशा है कि भारत सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की समस्याओं के पहलू की अवहेलना नहीं करेगी ।

कहा गया है कि गत कुछ वर्षों में देश में कोई कार्य नहीं हुआ है। लेकिन मंत्रालय के प्रतिवेदन में ही हमारी ठोस उपलब्धियों को दर्शाया गया है । इस देश को गर्व होना चाहिये कि हम पहली बार खाद्यान्नों का आयात किये बिना अपनी खाद्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सके हैं। यह इसलिये संभव हुआ है कि जिन कार्यक्रमों को हमने आरम्भ किया था उनमें सफलता मिलने लगी है। हमने खाद्यान्नों के उत्पादन में इस स्तर तक वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। हमने रक्षित भंडार भी बनाया था लेकिन हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम सभी रक्षित भंडार बना सकें। खेद की बात है कि जहां लाखों व्यक्तियों को कम पोषाहार मिलता है, हम उन खाद्यान्नों का भंडार नहीं कर पाते। जनता सरकार के सम्मुख बहुत बड़ी चुनौती है और उसे

इसका समाधान करना चाहिए ताकि अधिकाधिक उत्पादन से हम सस्ते और उचित मूल्यों पर लाखों लोगों को खाद्यान्न सप्लाई कर सकें।

यह बात अनुचित है कि जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने रक्षित भंडारों के बनाये जाने की आलोचना की है। वर्ष 1943 में इस मामले पर अनेक समितियों ने अध्ययन किया हैं और सभी ने यही राय दी है कि हमें रक्षित भंडार बनाने चाहिए। लेकिन इन सभी समितियों का यही मत है कि देश में खाद्यान्नों का कम उत्पादन होने से रक्षित भंडार बनाना बहुत कठिन है।

विश्व में ऐसी कई शक्तियां हैं जो हमारी नीति को प्रभावित करना चाहेंगी। हम जानते हैं कि खाद्य अर्थ-व्यवस्था में उतार-चढ़ाव होता रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे देश में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ जबकि कई वर्षों में हमारे यहां खाद्यान्नों का कम उत्पादन हुआ। हमें दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिएं।

हमने जनता पार्टी के बारे में सुना है कि वे देश में अनाज का भंडार बनाना चाहते हैं। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि भारत जैसे गरीब देश के लिए अनाज का भंडार तैयार करना नितान्त आवश्यक है। आज के विश्व में अनाज का राजनीति से अत्यधिक सम्बन्ध जुड़ गया है। यदि हम अनाज का सुरक्षित भंडार तैयार नहीं करेंगे तो हमें ही कठिनाई होगी। यदि किसी देश में अनाज का अभाव होगा तो अन्य देश उसका शोषण करने का प्रयास करेंगे।

मेरी एक शिकायत है कि हाल ही में खाद्यान्नों को इधर-उधर ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। मैं जानता हूं कि भंडारण की कठिनाई होती है। शायद आपने 4½ मिलियन टन खाद्यान्नों की वसूली की है जबकि आपको 6 या 7 मिलियन टन खाद्यान्नों की वसूली करने की आवश्यकता है। किन्तु खाद्यान्नों के इधर-उधर ले जाने पर से जो प्रतिबन्ध हटाया गया है, उससे व्यापारी वर्ग यह समझ गया है कि आप स्वतंत्र व्यापार की दिशा में बढ़ रहे हैं। 1957 में श्री अशोक मेहता ने भी सतर्क किया था कि इस देश में खाद्यान्नों का निर्बाध व्यापार नहीं होना चाहिए।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाने में कुछ सतर्कता बरती जानी चाहिए। जिस ढंग से इस दिशा में जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे मुझे ऐसे लगता है कि इस देश में भविष्य में खाद्य अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी।

अनेक सदस्यों की यह धारणा है कि खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में हमने पर्याप्त प्रगति नहीं की है। यह सही है कि दालों और तिलहनों के मामले में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। लेकिन इसकी वास्तविकता को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा औसत उत्पादन पहली योजना में 550 लाख टन से बढ़कर अब 10.8 करोड़ से 10.9 करोड़ टन हो गया है। यह कहना सही नहीं है कि इस देश में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह सही है कि विकास समान रूप से नहीं हुआ है। खेद है कि जहां कृषि विकास के लिए अत्यधिक संभाव्यताएं है, वहां हमने देखा है कि अत्यधिक निर्धनता और कृषि का कम विकास हुआ है।

जहां तक कृषि विज्ञान में अनुसंधान कार्य का सम्बन्ध है, इसमें राजनीतिक व्यक्तियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इसका सम्यक निर्णय करने के लिए अनेक योग्य वैज्ञानिक हैं। हमें वैज्ञानिकों को विवाद में नहीं घसीटना चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिक, विशेषतया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के बाद विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। मूल धारणा यह है कि राजनीतिज्ञों तथा प्रशासकों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह इस तरह का मामला नहीं है कि जिसमें राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रशासक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकार वैज्ञानिकों के तकनीकी कार्यों में हस्तक्षेप करने में समक्ष नहीं हैं। सरकार भी केवल नीतियों और प्राथमिकताओं के बारे में निदेश दे सकती है।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिकों को पूरा प्रोत्साहन मिले। कृषि विज्ञान के विकास के लिये पूरे संसाधन नहीं जुटाए जा रहे हैं। हमारे कृषि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत कृषि विज्ञान के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए। इससे भारत तिलहन, दालों तथा अनेक वस्तुओं में होने वाली कमी को दूर करने की स्थिति में हो जायेगा।

जहां तक कृषि साधनों का सम्बन्ध है देश में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे किसानों को सस्ते दामों पर ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। दुर्भाग्य से हमने अधिक लागत अर्थव्यवस्था की नीति अपना ली है। हमारे छोटे किसानों के लिए यह नीति लाभदायक नहीं है जापान में किसान को उर्वरक भारतीय किसान की तुलना में बहुत सस्ते दामों पर मिलता है और यही कारण है कि वहां के किसान का उत्पादन हमारे किसान की तुलना में सात गुना अधिक है। कुछ समय पूर्व इसमें कुछ औचित्य था जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक का मूल्य अधिक था। भारत में उसके लिए राज सहायता देने के बावजूद भी इसके मूल्य में कमी नहीं आई। किन्तु अब उर्वरक के मूल्य में अवश्य कमी की जानी चाहिए। हाल में वित मंत्री ने कहा है कि वह उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने पर विचार कर रहे हैं। यदि वह उर्वरकों का मूल्य कम करना चाहते हैं तो उन्हें निर्णय ले लेना चाहिए किन्तु उसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि उन्हें पता चल जायेगा कि उर्वरकों का मूल्य घट रहा है तो किसान उस समय तक उर्वरक नहीं खरीदेंगे जब तक कि उसके मूल्य में कमी नहीं की जायेगी।

बड़े हर्ष की बात है कि जनता पार्टी डेरी विकास को अधिक महत्व देने पर विचार कर रही है। डेरी विकास कार्य के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण यह है कि दूध की मूल्य नीति स्पष्ठ नहीं है। हम गाय की पूजा करते हैं किन्तु उसके दूध के साथ भेदभाव करते हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह सभी राज्य सरकारों को कहे कि वे गाय के दूध के मूल्य के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की नीति अपनाएं। जब तक गाय के दूध के विरुद्ध भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक देश में डेरी विकास का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में भैंस की आनुवंशिक क्षमता सीमित है।

जहां तक पशुपालन का सम्बन्ध है, हमारे पास चारे की कमी है। भारतीय किसानों को पशुपालन के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध किया जाना चाहिए। यदि पशुओं को चारा तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तो हम 3000 से 5000 लिटर दूध प्रतिदिन पैदा कर सकते हैं। जब तक सस्ते सान्द्र पदार्थ और मुर्गी पालन के लिए चारा उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक डेरी उद्योग का विकास नहीं हो सकता। खली का निर्यात बन्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि पशुओं के चारे का यह एक महत्वपूर्ण अंश है। केवल तभी पशु चारे तथा मुर्गीयों के चारे के मूल्य में कमी ला सकते हैं।

मत्स्यपालन के सम्बन्ध में हमने पहले ही अपने आर्थिक क्षेत्र के रूप में 200 मील तक सीमांतर्गत जल क्षेत्र की सीमा निर्धारित की है। हमें मछलियां पकड़ने वाले जलपोतों को काम में लाना चाहिए। विदेशी और बहुराष्ट्रिक हमारी सीमा में घुस आते हैं और हमारे संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। हमें उन पर निगरानी रखनी चाहिए और यदि आवश्यक समझा जाये तो बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

हमारी वन सम्पदा को भी अत्यधिक हानि हुई है। वनों का अनाच्छादन किया गया है तथा बड़ी संख्या में वृक्ष काटे गए हैं। वनों के संरक्षण का कार्य वन विभाग अकेला नहीं कर सकता क्योंकि यह व्यापक और बहुत विशाल कार्य है। जब तक सभी लोग इस कार्य में सहयोग नहीं देंगे तब तक वनों की भली-भांति रक्षा नहीं हो सकती।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती संख्या	प्रस्ताव	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	1	श्री पी० राजगोपाल नायडू		छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर को कम करके 6 प्रतिशत करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
1	2	श्री पी० राजगोपाल नायडू		सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाली जोतों के अलावा अन्य जोतों की हदबन्दी के लिए सहायता देने में असफलता ।	,,
1	3	श्री पी० राजगोपाल नायडू		हरी खाद के लिए वृक्षारोपण के लिए खेतिहारों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	,,
1	4	श्री पी० राजगोपाल नायडू		सभी राज्यों में वायुयान द्वारा छिड़काव करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	5	श्री पी० राजगोपाल नायडू		समूचे देश में भूमिगत जल क्षमता का सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता ।	,,
1	6	श्री पी० राजगोपाल नायडू		भूमिगत जल का उपयोग करने में असफलता ।	,,
1	7	श्री पी० राजगोपाल नायडू		अनेक राज्यों में डेरी उद्योग का विकास करने में असफलता।	,,
1	8	श्री पी० राजगोपाल नायडू		गडरियों को भेड़ें पालन के लिए सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
1	9	श्री पी० राजगोपाल नायडू		मांस का निर्यात करने के लिए पशुओं का विकास करने में असफलता ।	,,
1	10	श्री पी० राजगोपाल नायडू		फ्रीज किए हुए वीर्य का अधिक मात्रा में विकास करने में असफलता।	,,
1	11	श्री पी० राजगोपाल नायडू		वनों में वन्य-पशुओं को संरक्षण देने में असफलता ।	,,
1	12	श्री पी० राजगोपाल नायडू		वन संपदा को संरक्षण देने में असफलता	,,
1	13	श्री पी० राजगोपाल नायडू		गन्ने के लिये लाभप्रद मूल्य देने में असफलता ।	,,
1	14	श्री पी० राजगोपाल नायडू		बैलगाड़ी का सुधार करने और भारतीय कृषि के लिये उपयुक्त छोटी कृषि मशीनरी बनाने के लिये अनुसंधान करने में असफलता।	,,
1	15	श्री पी० राजगोपाल नायडू		बड़े पैमाने पर भूसर्वेक्षण आरम्भ करने की आवश्यकता ताकि किसानों को सहायता देने के लिए भूमि का वर्गीकरण किया जा सके ।	,,
1	16	श्री पी० राजगोपाल नायडू		बड़े पैमाने पर शुष्क खेती के विकास की आवश्यकता ।	
1	17	श्री पी० राजगोपाल नायडू		जल का किफायती इस्तेमाल करने के तरीकों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	18	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	जहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों संबंधी योजनाएं लागू की जा रही हैं वहां लघु किसान विकास एजेंसी को स्वीकृति देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
1	19	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	खाद के स्थानीय स्रोतों के विकास के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	,,
1	20	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में विफलता ।	,,
1	21	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	फसल बीमा योजना को कम से कम चुनिंदा फसलों के मामले में आयाकट क्षेत्रों में लागू करने में असफलता ।	,,
1	22	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	खड़पतवार नाशी दवाओं को लोकप्रिय बनाने में विफलता ।	,,
1	23	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	उर्वरकों के मूल्य घटाने में असफलता	,,
1	24	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	कीटनाशी दवाओं के मूल्य घटाने में असफलता ।	,,
1	25	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	कृषि जोतों की उच्चतम सीमा लागू करने पर नये भूमिधारियों को सहायता अनुदान की राशि बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
1	26	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	बंजर भूमि के नये भूमिधारियों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
1	27	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	जलकूपों और छिद्रकूपों के लिये किसानों को राज सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
1	28	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	किसानों को अपने लिये आवश्यक बीज तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	,,
2	30	**श्री शिब्बन लाल सक्सैना**	अगले 5 वर्षों में कृषि उत्पादन को दुगुना करने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने और उसे युद्ध स्तर पर लागू करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
2	31	**श्री शिब्बन लाल सक्सैना**	देश में कृषि उत्पादन को बढ़ा कर कृषि आयात को रोकने और कृषि वस्तुओं के मूल्यों को उनके आयात मूल्यों के स्तर तक बढ़ाने में असफलता।	,,
2	32	**श्री शिब्बन लाल सक्सैना**	गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालों, गन्ना और कपास की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने और उनकी किस्म सुधारने के लिय कृषि अनुसंधान पर खुले रूप से व्यय करने में असफलता ।	,,
2	33	**श्री शिब्बन लाल सक्सैना**	कृषि उत्पादन को लाभप्रद बनाने के लिए कृषि उपक्रमों का मूल्य करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
3	35	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : अगले पांच वर्षों के दौरान देश में मछली के उत्पादन को सौगुना बढ़ाने के लिए योजना तैयार करने और उसे युद्धस्तर पर लागू करने में असफलता ।		राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
4	36	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : वैज्ञानिक ढंग से प्रजनन और पुष्टिकारक भोजन तथा घटिया किस्म के पशुओं की कठोरता से नसबन्दी करके देश के समस्त पशुधन का अगले दस वर्षों में कायाकल्प करने के लिए एक योजना तैयार करने में असफलता ।		,,
4	37	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : अगले पांच वर्षों में देश में दुध उत्पादन को सौ गुना बढ़ाने के लिय योजना तैयार करने में असफलता ।		,,
5	38	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को एक स्वशासी निकाय बनाने में जो सीधे संसद को उत्तरदायी हो, असफलता ।		,,
5	39	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : अगले पांच वर्षों में देश में इमारती लकड़ी के उत्पादन को सौ गुना बढ़ाने के लिये योजना तैयार करने में असफलता ।		,,
6	40	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : अगले दस वर्षों में वर्तमान खाद्य उत्पादन को दस गुना बढ़ाकर प्रति व्यक्ति आधा किलो अनाज की दर से साठ करोड़ जनसंख्या के लिये अनाज पैदा करने की योजना तैयार करने में असफलता ।		,,
6	41	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : भारतीय खाद्य निगम को जिसमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, समाप्त करने और अनाज पर नियंत्रण हटाने में असफलता ।		,,
6	42	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : गोरखपुर, मेरठ और पटना या मुजफ्फरपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में असफलता ।		,,
6	43	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : खांडसारी उद्योग को देश के दूसरे सबसे बड़े कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता देने में असफलता ।		,,
6	44	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : देश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीय-करण करने में असफलता ।		,,
6	45	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में चीनी उद्योग की और गन्ने से अधिक रिकवरी करने तथा पिराई की अवधि बढ़ाने और प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिये सहायता देने में असफलता ।		,,
7	46	**श्री शिव्वन लाल सक्सैना** : दस वर्ष की अवधि में देश के एक लाख गांवों का सर्वांगिण विकास करने के लिये योजना तैयार करने में असफलता ।		,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	47	**श्री शिब्बन लाल सक्सेना :** इन्टरमीडिएट स्टैण्डर्ड तक सभी कालेजों में कृषि शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने में असफलता और प्रत्येक स्नातक कालेज में स्नातक तथा स्नातकोत्तर श्रेणियों में कृषि शिक्षा देने के लिये उदारतापूर्वक अनुमति देने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
9	48	**श्री शिब्बन लाल सक्सेना :** देश भर में गेहूं, चावल, मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों को पांच वर्ष में कम से कम दस गुना बढ़ाने के लिये उच्चस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने हेड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को उत्तरदायी बनाने के लिये योजना बनाने में असफलता ।	,,
10	50	**श्री शिब्बन लाल सक्सेना :** अगले पांच वर्षों में नहरों और नल-कूपों द्वारा गोरखपुर जिले की फरुपड़ा और महाराजगंज तहसीलों में प्रत्येक खेत में सिंचाई की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
10	51	**श्री शिब्बन लाल सक्सेना :** अगले दस वर्षों में देश की सभी कृषियोग्य भूमि में शतप्रतिशत सिंचाई के लिये एक व्यापक योजना तैयार करने में असफलता ।	,,
1	83	**श्री पी० जी० मावलंकर :** छोटे किसानों को विशेषकर सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार की वित्तीय, औजारों, तकनीकी जानकारी आदि की सहायता देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
1	84	**श्री पी० जी० मावलंकर :** देशभर में छोटे और अकेले किसानों को निरन्तर अधिक सिंचाई सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
4	85	**श्री पी० जी० मावलंकर :** राष्ट्रीय और राज्यों की डेयरी योजनाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें सुधारने की आवश्यकता ।	,,
5	86	**श्री पी० जी० मावलंकर :** देशभर में विभिन्न वनों और अपार वन संपदा के समन्वित परिरक्षण और वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
5	87	**श्री पी० जी० मावलंकर :** देश में वन्य जीवों, विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र में गिर वन क्षेत्र में शेरों के पूर्ण बचाव के लिये पर्याप्त और समय पर कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
5	88	**श्री पी० जी० मावलंकर :** अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में उपलब्ध अपार वन सम्पदा का उचित रूप से और क्रमवार उपयोग करने की आवश्यकता ।	,,
6	89	**श्री पी० जी० मावलंकर :** खाद्य उत्पादन तथा वितरण में आत्म-सम्पन्नता तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
8	90	**श्री पी० जी० मावलंकर** : कृषि उत्पादन, योग्यता, तकनीक और संसाधनों को समृद्ध बनाने में सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य और योगदान के समय-समय पर नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
8	91	**श्री पी० जी० मावलंकर** : देश में कृषि कालेजों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के उपयुक्त संशोधन और निरन्तर समीक्षा द्वारा कृषि शिक्षा के गुण और आकार सुधारने की आवश्यकता ।	,,
9	92	**श्री पी० जी० मावलंकर** : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विभिन्न नियुक्तियों और पदोन्नतियों के लिये समुचित एवं न्यायोचित नीति और कार्यान्वयन की आवश्यकता जिससे कि युवा और मेधावी वैज्ञानिक भारतीय कृषि के लाभ के लिये सघन एवं उच्चकोटि के अनुसंधान के लिये प्रेरणा पा सकें।	,,
10	93	**श्री पी० जी० मावलंकर** : सम्बन्धित न्यायाधिकरण की सुनवाई और निर्णय के काम में तेजी लाकर नर्मदा जल विवाद को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता ताकि नर्मदा नदी के प्रचुर जलराशि का राष्ट्रीय हित में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य द्वारा प्रयोग किया जा सके।	,,
10	94	**श्री पी० जी० मावलंकर** : नर्मदा नदी से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं के विकास के लिये गुजरात सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
10	95	**श्री पी० जी० मावलंकर** : भूमिगत जल संसाधनों का प्रयोग करने के लिये जोरदार अनुसंधान की आवश्यकता ।	,,
2	96	**श्री पी० के० कोडियान** : असली स्वामियों को उनकी हथियाई गई आदिवासी भूमि लौटाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
2	97	**श्री पी० के० कोडियान** : शुष्क क्षेत्रों में खेती की समस्याओं को हल करने में असफलता ।	,,
2	98	**श्री पी० के० कोडियान** : भूमि हदबन्दी कानूनों को लागू करने के लिये ठोस कार्यक्रम बनाने में असफलता ।	,,
2	99	**श्री पी० के० कोडियान** : छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को साहूकारों के पंजों से बचाने के लिये कोई कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
2	100	**श्री पी० के० कोडियान** : देश के कई भागों में बटाईदारों को बेदखली से बचाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	101	**श्री पी० के० कोडियान** : किसानों की उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
2	102	**श्री पी० के० कोडियान** : एक नारियल विकास बोर्ड स्थापित करने में विलम्ब ।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
2	103	**श्री पी० के० कोडियान** : कच्चे काजू के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से काजू की खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	,,
2	104	**श्री पी० के० कोडियान** : देश में और अधिक स्टेट फार्म स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
2	105	**श्री पी० के० कोडियान** : केरल में नारियल के पेड़ों में रोग पर नियंत्रण करने और उसे समाप्त करने के लिये कारगर कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,
2	106	**श्री पी० के० कोडियान** : नारियल उत्पादकों को बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन और भूमि सुधारों के सम्बन्ध में उदारतापूर्वक केन्द्रीय राजसहायता देने की आवश्यकता ।	,,
2	107	**श्री पी० के० कोडियान** : नारियल खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	,,
3	108	**श्री पी० के० कोडियान** : केरल में नीडकारा और निझिनजम मत्स्य बन्दरगाह परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता।	,,
3	109	**श्री पी० के० कोडियान** : कोचीन में मत्स्य बन्दरगाह परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
3	110	**श्री पी० के० कोडियान** : बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियों में मछेरों को संगठित करने की आवश्यकता ।	,,
3	111	**श्री पी० के० कोडियान** : मछेरों का शोषण करने वाले बिचोलियों को समाप्त करने में असफलता ।	,,
3	112	**श्री पी० के० कोडियान** : मानसून मौसम में तटीय क्षेत्रों में समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछेरों को राहत देने की आवश्यकता।	,,
3	113	**श्री पी० के० कोडियान** : अन्तर्देशीय जल मीन उद्योग की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
2	130	**श्री पी० के० कोडियान** : कृषि के विकास में कृषि श्रमिकों की भूमिका को स्वीकार करने की आवश्यकता ।	,,
2	131	**श्री पी० के० कोडियान** : कृषि विकास योजनाओं के सूत्रपात तथा उनके कार्यान्वयन में कृषि श्रमिकों और किसानों का सक्रिय योग दान सुनिश्चित करने के लिये मार्गोपाय निकालना ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	132	**श्री पी० के० कोडियान** : धान की खेती में उत्पादिता बढ़ाने की समस्या की ओर उचित ध्यान देने में असफलता ।		राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
2	133	**श्री पी० के० कोडियान** : लघु सिचाई कार्यक्रम की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।		,,
2	134	**श्री पी० के० कोडियान** : उर्वरकों के मूल्य कम करने की आवश्यकता ।		,,
2	135	**श्री पी० के० कोडियान** : एमएफएल कार्यक्रम के अधीन कृषि श्रमिक को पर्याप्त स्थान न देना ।		,,
2	136	**श्री पी० के० कोडियान** : भूमिहीन कृषि श्रमिकों में बंजर भूमि शीघ्र वितरित करने की आवश्यकता ।		,,
2	137	**श्री पी० के० कोडियान** : कृषि योग्य ऊसर भूमि कृषि श्रमिकों तथा भूमिहिन किसानों को बांटने और उस भूमि में खेती करने के लिये उन्हें उदार वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।		,,
4	138	**श्री पी० के० कोडियान** : केरल सरकार की राज्य म डेरी विकास की योजना को स्वीकृति देने में विलम्ब ।		,,
4	139	**श्री पी० के० कोडियान** : पशु धन उत्पादन कार्यक्रम को सीमांत किसानों और खेतीहर मजदूरों के लाभ के लिये सभी जिलों में लागू करने की आवश्यकता ।		,,
4	140	**श्री पी० के० कोडियान**: केरल में केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने की आवश्यकता ।		,,
4	141	**श्री पी०के० कोडियान** : पशुओं के लिये अच्छी किस्म के चारे और अधिक उपजाऊ किस्म के चारे की फसलों के उत्पादन में धीमी प्रगति ।		,,
4	142	**श्री पी० के० कोडियान** : पशु रोगों की रोकथाम और उनके इलाज के लिये अपर्याप्त व्यवस्था ।		,,
4	143	**श्री पी० के० कोडियान** : केन्द्रीय पशु चिकित्सा परिषद् को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता ।		
5	144	**श्री पी० के० कोडियान** : देश के वन धन की रक्षा करने तथा उसे बनाये रखने में असफलता ।		,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
5	145	**श्री पी० के० कोडियान** : वन संसाधनों का पूर्व-निवेश सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।		राशि में से 100 रुपये कम किये जायें
5	146	**श्री पी० के० कोडियान** : कई राज्यों में वन्य प्राणियों के योजना-बद्ध विनाश को रोकने की आवश्यकता ।		,,
5	147	**श्री पी० के० कोडियान** : वन क्षेत्रों में ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा आदिवासियों के शोषण को समाप्त करने में असफलता ।		,,
5	148	**श्री पी० के० कोडियान** : वनों के विकास के लिये वन श्रमिक सहकारी समितियां स्थापित करने में विभाग की अपनी व्यवस्था करने और वन ठेकेदारों को हटाने के काम में धीमी गति ।		,,
5	149	**श्री पी०के०कोडियन** देश में वनों के संरक्षण, रखरखाव और व्यवस्थित विकास के लिये एक राष्ट्रीय वन नीति बनाने की आवश्यकता ।		,,
6	150	**श्री पी० के० कोडियान** : खाद्यान्नों के लिए भण्डागारण सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।		,,
6	151	**श्री पी० के० कोडियान** : गेहूं के केन्द्रीय बफर स्टाक के एक भाग को गरीब लोगों को बहुत कम दरों पर देने की वांछनीयता ताकि उस भारी स्टाक को जो समुचित भाण्डागारण सुविधाओं के अभाव में सड़ जायेगा, निपटाया जा सके ।		,,
6	152	**श्री पी० के० कोडियान** : खुले बाजार में चावल के मूल्यों में वृद्धि के कारण राशन की दुकानों से चावल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए केन्द्रीय पूल से केरल को चावल का आवंटन 1.5 लाख टन प्रति मास बढ़ाने की आवश्यकता ।		,,
6	153	**श्री पी० के० कोडियान** : किसानों से उनकी उपज सीधे सरकार की निश्चित दरों पर खरीदने की आवश्यकता ।		,,
6	154	**श्री पी० के० कोडियान** : सब्जियों को गांवों से सीधे खरीद कर उन्हें शहरों में उचित मूल्यों पर बेचने और इस प्रकार बिचौलियों को समाप्त करने की प्रणाली अपनाने की आवश्यकता ।		,,
7	155	**श्री पी० के० कोडियान** : किसानों और खेतिहर मजदूरों के संगठनों के सहयोग की परवाह किये बिना मुख्यतः नौकरशाही तन्त्र के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम तैयार करना और उसका कार्यान्वयन ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
7	156	**श्री पी० के० कोडियान** : कृषि अर्थ व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन लाये बिना ग्रामीण विकास के लिये प्रयास ।		,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	157	**श्री पी० के० कोडियान :** केरल सरकार को राज्य वन विभाग में पृथक वन्य जीव प्रभाग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता मंजूर करने तथा उसे देने में विलम्ब ।	राशि में से 100 रुपये कम दिये जाये
1	158	**श्री पी० के० कोडियान :** केरल में वन अग्नि-बचाव एकक की मंजूरी देने की आवश्यकता ।	,,
1	159	**श्री पी० के० कोडियान :** परियोजना 'शेर' के अधीन परियार रक्षित क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता ।	,,
1	160	**श्री पी० के० कोडियान :** केरल को, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई बहुत सी पन बिजली योजनाओं को देखत हुए, वन हटाये जाने पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी केन्द्र के आदेशों से मुक्त रखने की आवश्यकता ।	,,
7	161	**श्री पी० के० कोडियान :** लघु कृषक विकास योजना को देश में अधिक जिलों में लागू करने की आवश्यकता ।	,,
7	162	**श्री पी० के० कोडियान :** आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये केरल को अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,, ,,
8	163	**श्री पी० के० कोडियान :** केरल में नारियल बागानों को हानि पहुंचाने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़ों और रोगों के नियन्त्रण तथा बचाव का कोई प्रभावी हल ढूंढने में असफलता ।	,, ,,
8	164	**श्री पी० के० कोडियान :** देश में कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	,,
8	165	**श्री पी० के० कोडियान :** देश में कृषि विश्वविद्यालयों को दिये गये इलक्ट्रानिक उपकरणों के 30 से 35 प्रतिशत तक का उपयोग न होना ।	,,
8	166	**श्री पी० के० कोडियान :** ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गों, विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा पर कृषि विकास कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
10	167	**श्री पी० के० कोडियान :** पांचवीं योजना में शामिल बाढ़ नियन्त्रण के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति ।	,,
10	168	**श्री पी० के० कोडियान :** केरल और उड़ीसा को भूमि कटाव रोकने के लिये दिये जाने वाले ऋण की 50 प्रतिशत राशि को अनुदान में बदलने की आवश्यकता ।	,,
10	169	**श्री पी० के० कोडियान :** देश के विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल विवाद हल करने में विलम्ब ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	170	**श्री पी० के० कोडियान** : देश में प्राप्त की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग करने में धीमी प्रगति ।		राशि में से 100 रुपये कम किये जायें'
1	114	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : समूचे भारत में अविलम्बनीय और क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू करने की आवश्यकता ।		,,
1	115	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : बन्धुआ मजदूरी से मुक्त हुए लोगों को आर्थिक सहायता देने' की आवश्यकता ।		,,
1	116	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : 'नारियल बोर्ड' स्थापित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता ।		,,
1	117	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : नारियल की खेती को बढ़ाने, नारियल के पेड़ों को लगने वाले रोग को रोकने और जिन क्षेत्रों में नारियल के पेड़ रोग के कारण नष्ट हो गये हैं वहां पर नारियल के पेड़ पुनः लगाने के लिये एक समेकित नीति बनाने की आवश्यकता ।		,,
1	118	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : नारियल के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने और नारियल के लिय कम से कम कीमत निर्धारित करने की आवश्यकता ।		,,
1	119	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : नारियल के तेल को औद्योगिक तेल के रूप में वर्गीकृत करने और इसके वर्तमान वर्कीकरण को खाद्य तेल के रूप में बदलने की आवश्यकता ।		,,
1	120	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : तमिलनाडु में सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त राहत देने की आवश्यकता ।		,, ,,
2	121	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : गेहूं और चावल के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता ।		,,
6	122	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : कमी वाले राज्यों में अनाज की निर्यात और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।		,,
6	123	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : भारतीय खाद्य निगम में भारी ऊपरी व्यय को कम करने की आवश्यकता ।		,,
6	124	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : भारतीय खाद्य निगम में मितव्ययता और किफायती उपायों को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता ।		,,
10	125	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को शीघ्र हल करने की आवश्यकता ।		,,
10	126	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : कावरी नदी जल विवाद को यथाशीघ्र हल करने की आवश्यकता ।		,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम/कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	127	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : बिनाड, केरल में मंननथोडी पन बिजली परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये कम किये जाएं
10	128	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में समुद्र कटाव को रोकने के लिये पर्याप्त धन देने की आवश्यकता।	,,
10	129	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल में नारियल उत्पादकों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं देने के लिये उस राज्य को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
2	171	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : प्रभावी तथा क्रांतिकारी भूमि सुधारों को लागू करने और पुरातन सामन्तवादी जमींदारी पद्धति को समाप्त करने में विफलता।	,,
2	172	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : राज्य फार्म निगम के अन्तर्गत राज्य फार्मों के प्रशासन को लोक तन्त्रात्मक बनाने में विफलता।	,,
2	173	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : देश के मत्स्य संसाधनों का पूर्णतया उपयोग करने में विफलता।	,,
2	174	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : जल में उगने वाले घास इत्यादि, जिसे केरल में आम तौर पर "अफ्रीकन वीड" कहा जाता है और जिससे नौवहन कृषि तथा मत्स्य उद्योग को खतरा पैदा हो गया है, को नष्ट करने में विफलता।	,,
2	175	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : परियावर्षीय सन्तुलन कायम रखने में विफलता।	,,
10	176	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : अन्तर्राज्यीय नदी विवादों को हल करने में विफलता।	,,
10	177	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : केरल सरकार द्वारा भजी गई विभिन्न सिंचाई योजनाओं को मंजूरी देने में विफलता।	,,
3	178	**श्री पी० के० देव** : समुद्र में मछलियां पकड़ने के उद्योग का पूर्वी तट पर विकास करने की शीघ्र आवश्यकता।	,,
2	179	**श्री पी० के० देव** : अन्तर्देशीय मीन उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास करने की आवश्यकता।	,,
5	180	**श्री पी० के० देव** : देश में बनों के बेदर्दी से काट जाने और उससे मरूस्थल की स्थितियां उत्पन्न होने की चिन्ताजनक स्थिति।	,,
5	181	**श्री पी० क० देव** : बनों के ठेकेदारों द्वारा काम करना बन्द करने और राज्यों को यह काम विभागीय तौर पर कराने के निर्देश देने की वांछनीयता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	183	**श्री पी० के० देव** : उड़ीसा में अपर इन्दिरावती परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता जिससे सूखे से चिरपीड़ित 5 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी।	राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।
10	184	**श्री पी० के० देव** : उड़ीसा में कालाहांडी जिले के नवपाड़ा सब-डिवीजन में सुन्दर परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता।	,,
7	182	**श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : सूबे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के अधीन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र औरंगाबाद भीर और उस्लामाबाद जिलों को शामिल करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने में असफलता।	राशी घटा कर एक रुपया कर दी जाए।
10	185	**श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : महाराष्ट्र में वरना और कल्लमवाड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये केन्द्रीय अनुदान पर्याप्त मात्रा में देने की आवश्यकता।	राशी में से 100 एक-मुश्त रुपये कम किये जाएं
10	186	**श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : महाराष्ट्र को कृष्णा बेसन में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए विशेष केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,

Shri Dharama Vir Vasisht (Faridabad) : It is right that agriculture can not be modernised without a modren industrial base. But the Janta Party has clearly stated that 33 per cent of the budget expenditure will be incurred on agriculture and irrigation. During the last 30 years of Congress rule, not more than 20 to 21 per cent of total expenditure has ever been spent on agriculture and irrigation. The Janata Party Government deserves congratulations for now enhancing that expenditure.

About 70 per cent of our people in the country depend upon agriculture for their livelihood and they contribute 47 per cent of the gross national income. In spite of it we had to import foodgrains worth Rs. 7,000 crores during the last two decades. It indicates that agricultural policy had been defective in the past.

As regards agricultural production, we have made substantial progress, bringing about wheat revolution during the sixties, but after 1970 in the fifth five year plan, our performance was not so encouraging. Janta Government should now improve the situation.

So far as irrigation is concerned, water is life-blood of agriculture. 80 per cent water is consumed in agriculture. In industry also water is most essential.

The total irrigated area in the country in First five Year plan is 9.7 million hectares, which we have been able to raise up to 50 million hectares after 30 years, whereas we can irrigate 107 million hectares of land.

The Sutluj Beas tuck Scheme will cater the needs of Punjab and Haryana. We shall also be getting water and generating electricity by the next year. The problem of drinking water in rural areas is very acute. The irrigation department should also pay attention to providing drinking water to the people of rural areas of the country. The Janta Government should draw up scheme to make drinking water available to the remote rural areas by making outlets or distributaries.

I would request the hon. Minister that irrigation schemes should cover those areas where the level of sub-soil water can be raised and there should be coordination with the schemes supplying drinking water.

Shri M. Satyanarayan Rao (Karim Nagar) : The Finance Minister in his budget speech said that they were going to give importance to agriculture, but in the demands for the Ministry of Agriculture I do not find any such thing.

Agriculture is the base of our economy. 50 per cent of our total national income is derived from agriculture. Inspite of all claims made by the present Government they

have provided only 30 per cent of our total allocation for agriculture. This amount is not sufficient enough to meet the demands of agricultural sector. More funds should be allocated to this sector. We must give every possible encouragement to agriculture based industries.

In order to eliminate the problem of unemployment we shall have to strengthen our rural economy. For that purpose we shall have to develop agriculture and irrigation. Efforts should be made to bring more and more land under irrigation. In order to increase our irrigation facilities expeditiously the medium irrigation projects, under construction should be completed as early as possible. More funds should be made available for these projects so that work on them may be carried out expeditiously.

It is regrettables that we are not going remunerative price to agriculturists for their products. If we really want to encourage agriculture we should give remunerative prices to our producers. Besides agriculturists should be provided with all necessary inputs, like fertilizers, seeds, electricity at cheaper prices and of good and improved variety. At present the quality of seeds supplied to our farmers is not satisfactory. Adulterated and of low germination seed is supplied to our farmers. This should be looked into.

The country is facing the problem of power shortage, as a result of which the farmers have to suffer. The planning in reagard to power generation has been very faulty all these years.

In order to increase power supply to our rural areas expeditiously more thermal power stations and atomic power stations should be set up in the country. We must not be dependent on hydro-electricity because rainfall is not dependable in our country.

More funds should be allocated for tapping underground water with the use of advanced technology.

Many of our irrigation projects have been held up because of inter-state water disputes, which have been pending undecided for a very long time. I, therefore suggest that all the national-rivers should be taken over by the centre so that big river-valley projects may be implemented expeditiously.

Adequate attention is not paid to the cash crops, that is why the production of cash crops has fallen. As a result of which there is shortage of edible oil. Therefore encouragement should be given to the growers of cash crops.

Huge quantities of foodgrains were damaged in the absence of adequate stoarge facilities last year. This shows lack of advance planning. Steps should be taken to increase our storage capacity well in advance.

So far as improvement of rural sector is concerned land reforms work must be taken in right earnest. There is a misconception that Janata Party is pro-landlord and anti-Harijans. This impression can only be removed by implementing land reforms as early as possible :

Marketing facilities should be provided in rural areas for our agricultural produce. Approach roads and link roads should be constructed so that marketing facilities may be made available to our farmers.

The Andhra Pradesh Government has requested the centre to take over Nagarjunal Sagar Project. It is a big national project and centre should take it over. The state Government has sought central aid for various projects which are under construction there. The centre should consider the request of the state Government and give adequate funds for the projects.

We have set up a Parliamentary Farmer Forum. Government should extend its help to the forum so that we can help the farmers.

Prof. Shibban Lal Saxena (Maharajganj) : We have spent seven thousand crore rupees on the import of foodgrains during the last 30 years. Import of foodgrains should be stopped. If we pay higher price to our producers, the production of foodgrains will be increased and we shall not be importing foodgrains.

Every effort should be made to increase food production. If we increase our production to 200 per cent in five years we would be self reliant in the matter of food production and import can be stopped.

There are no irrigation facilities in a large portion of our land. Efforts should be made to bring as such land under irrigation as possible.

Our fertilizer factories are not producing adequate fertilizer to meet the requirements of the country. As such we have been spending large amount of money for importing fertilizers. Therefore, efforts should be made to increase indigenous production of fertilizers. Besides, we should use organic manure as much as possible which is available in the country.

Our agricultural universities are producing good quality seeds. But adequate amount is not being spent on procuring good quality seeds. We should therefore, increase production of good quality and improved varieties of seeds for increasing the production of foodgrains.

We should spend more money on agricultural research in various sectors of agriculture. Arrangements should be made for teaching agriculture and allied subjects in our colleges so that our young generation may develop interest in agriculture and take it as their occupation in life.

The cattle in our country are of poor breed. 75 per cent cattle are useless. We should improve breed of our cattle and we must pay special attention to this work. We are short of milk. We are facing the problem of milk scarcity in the country. Efforts should be made to increase milk production in the country.

So far as the facilities of animal husbandry are concerned more vaterinary surgeons should be employed and vaterinary hospitals should be set up in our villages. This is necessary for protecting our cattle from diseases.

Fish provide nutritious food for millions in our country. But we are not paying attention to this aspect. We should increase production of fish. Fisheries have good export potential but we are not exploiting it, we should pay attention to this fact.

We have huge stocks of foodgrains. We should decontrol wheat and other foodgrains. The F.C.I. has become white elephant. It should be wound up.

The prices of sugar are very high. But the yield of sugarcane per acre as also the sugar recovery ratio is very poor so far as sugarcane produced in our Northern States like Bihar, Uttar Pradesh and Punjab is concerned. Steps should be taken to increase per acre yield of sugarcane and to improve the recovery ratio.

Sugar industry should be nationalised. It is necessary for increasing the production of sugar. The daily wages of the workers in sugar industry should be increased.

Khandsari industry is one of the most important industries in the country which provides employment to lakhs of people. This industry has been heavily taxed. Tax on this industry should be reduced.

Most of the sugar factories in eastern U. P. are very old and the machinery installed there has become obsolete. Steps should be taken to modernise these factories and increase their production capacity.

The cost of production of sugar can be reduced and production can be increased if we reduce overhead charges, increase recovery and expand capacity of our factories. This aspect requires serious consideration.

I am not going to support the price control policy of the Government. Control policy is the source of corruption and harassment. In view of the huge stocks of foodgrains with the Government we should see whether it is advisable to continue controls on various items of foodgrains. This issue requires reconsideration of the Government.

The price of sugarcane is the lowest in Eastern U. P. There should be a uniform Price for sugarcane thorugh out the State which should be raised to Rs. 15-00 per quintal.

*श्री शशांक शेखर सान्याल (जंगीपुर) : फरक्का नदी जल विवाद जो भारत और बंगला देश के बीच है, विश्व विख्यात हो गया है। यह एक गम्भीर समस्या बन गया है। फरक्का परियोजना का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता के पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों द्वारा किया गया था लेकिन तकनीकी जांच के अभाव में योजना में ऐसी पोषक नहरें भी सम्मिलित कर ली गईं जो दोषपूर्ण थीं और अब वे चालू की गईं तो मुर्शिदाबाद और माल्दा जिलों में हजारों हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो जायेगी। जंगीपुर के 4 पुलिस थानों के क्षेत्र आंशिक रूप से जलमग्न हो जाते हैं। इस क्षेत्र की अत्यन्त उर्वरक भूमि जलमग्न हो जाती है। गांव के गांव समाप्त हो गये हैं। केवल 10 या 12 गांव टापू के रूप में ही रह गये हैं। अब यहां किश्ती द्वारा पहुंचने के लिए 40 मिनट लग जाते हैं। इन लोगों की समस्याओं पर विचार करने हेतु कई समितियां और आयोग गठित किये गये और उन्होंने अपनी सिफारिश दी है कि इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पूरक और अनुपूरक योजनाएं बनाई जानी चाहिए। लेकिन स्थानीय इंजीनियर ने मुझे बताया है कि एक नहर बनाने के बजाये दो नहरें बनानी चाहिए। इससे अधिक पानी आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन मैं केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब इस समस्या के हल के लिए रचनात्मक सिफारिशें की जा चुकी हैं तो उनको कार्यान्वित करने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि जलमग्न भूमि को ठीक करने के लिए ये चार पूरक और अनुपूरक योजनाएं तुरन्त कार्यान्वित की जानी चाहिए। दूसरे जिन लोगों की जोत की भूमि जलमग्न हो गई है, उनकी क्षति पूर्ति क्यों नहीं की गई है?

मैं यह भी मांग करता हूं कि संसद के चालू सत्र में एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये और वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद समिति उस क्षेत्र का दौरा करे और स्थिति का जायजा ले। वे केन्द्रीय सरकार के इंजीनियरों, पश्चिम बंगाल सरकार के इंजीनियरों और यदि आवश्यक हो तो कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को भी सहयोजित करें ताकि मामले की पूर्ण जांच की जा सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो लाखों लोग कष्ट उठाते रहेंगे। कई लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। हमारे पास उनकी दशा को देखने का समय ही नहीं है। इस क्षेत्र की अत्यन्त उर्वरक भूमि जलमग्न हो गई। अब वहां किश्ती द्वारा पहुंचने के लिये 40 मिनट लग जाते हैं। इन लोगों की समस्याओं का पता लगाने के लिए कई समितियां और आयोग गठित किये और इन्होंने सिफारिश की है कि इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पूरक और अनुपूरक योजनायें बनाई जायें। जब समस्या के हल के लिये रचनात्मक सिफारिशें की जा चुकी हैं, तो उनको क्रियान्वित करने के लिये उपाय क्यों नहीं किये गये? कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि भूमि को सही करने संबंधी योजनाओं को तत्काल लागू किया जाये।

बाढ़ के कारण जिन लोगों की जमीने नष्ट हो गई हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाये और दूसरे, मामले की जांच के लिये संसदीय समिति गठित की जाये। बांकुरा जिले में कंसावती परियोजना के क्रियान्वयन न होने के कारण जल के अभाव की समस्या पैदा हो गई है। बांकुरा तथा उसके सहवर्ती क्षेत्रों की समृद्धता पूरी तरह दामोदर तथा कंसावती नदियों पर निर्भर करती है। अतः यह जरूरी है कि इन दो नदियों के साथ सम्बद्ध सिचाई परियोजनाओं को समाप्त नहीं होने देना चाहिये और इनके क्रियान्वयन के लिये शीघ्र उपाय किये जाने चाहिए।

फरक्का में अन्तर्देशीय बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव था। यह पता चला है कि यदि योजना का क्रियान्वयन किया जाये तो नावें तथा बजरे हल्दिया से इलाहाबाद जा सकते हैं। इस अकेली योजना से कई आर्थिक सम्भावनाएं पैदा होंगी और पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूप ही बदल जायेगा।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

फरक्का में सुपर तापीय संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि न केवल पश्चिम बंगाल की बल्कि देश के पूरे पूर्वी क्षेत्र की समृद्धता इसी पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त फरक्का से निकासी की ओर जाने के मार्ग में घटिया किस्म का कोयला काफी मात्रा में पाया जाता है। इस कोयले का उपयोग तापीय संयंत्र के लिये किया जा सकता है। मुझे आशा है कि पश्चिमी बंगाल की मांग पूरी की जायेगी। सरकार को सरकारी गोदामों में सहकारी समितियां खोलनी चाहियें या उत्पादकों से सीधे वसूली करनी चाहिये ताकि उनको शोचनीय दशा से बचाया जा सके।

18 बीघा या इससे कम भूमि वाले कृषकों को बाढ़ या सूखे से नष्ट होने वाली फसल के लिये बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाना चाहिये।

सरकार को एक गारन्टी योजना बनानी चाहिये जिसके अन्तर्गत किसानों को क्षति के लिये मुआवजा दिया जा सके।

Dr. Bapu Kaldate (Aurangabad) : If there is much fluctuation in our agricultural production it is because our agriculture largely depends on rains. So long as water for irrigation is not guaranteed this fluctuation will continue. Therefore it is very necessary to make adequate arrangement for irrigation.

There is a big army of landless agricultural labourers in our country. Out of the total number of 8 crore cultivators, 4.75 crore were landless labourers. So long as this problem is not attended to properly we cannot increase our production howsoever loud we may talk about it.

The problem of small farmers is also quite big. In Maharashtra 60 per cent farmers have only 3 to 5 hectares of land. Since these people are responsible for the major part of our production there is need to pay special attetion to these people.

Some provision has been made for subsidy for the Food Corporation. This is ineces-sary. But the biggest beneficiary of this subsidy are the people living in metropolitan cities. Government should see that the public distribution system is so improved that the agricultural sector is also benefited.

Although much is said about the small farmers, a study of the small farmers develop-ment agencies by the Reserve Bank reveal that the hazards at the various levels of imple-mentation of the schemes proved to be working to the dis-advantage of the small farmers. It is time the Government should pay attention to it.

The Janata Government should pay more attention to land reforms although pri-marily it is a State subject. They should clearly lay down that the land belongs to the tiller and the system of benami ownership should be done away with.

There is need for paying more attention to dry farming. Intensive research should be undertaken in this regard.

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : I congratulate the hon. Minister for his decision to spend more on agriculture.

It is regrettable that even today our agriculture depends on rains. If we have timely rains we have a good crop. Otherwise the crop is ruined. It is time this dependence on rains is given a goodbye and some concrete arragement is made so that we go tenough water for agriculture.

Much is said about the landless agricultural labourers who are mostly Harijans. But the fact remains that during the last 30 years we have not been able to provide them land so that they can earn their bread. According to official figures in 1967 there is about 15 crore acres of cultivable land which is not being utilised. If that land is distributed about 2 to 3 crore landless Harijans can be benefited.

Fertilisers, seed and water are very necessary for agriculture and these things should be made available to the farmers at cheap prices. Unfortunately during the last years the prices of all these things have gone up. Specially the prices of fertilisers have gone sky high and there is great need to bring them down.

So far as irrigation is concerned it is said that a large number of tubewells have been installed. But merely installation of tubewells is not enough, it has also to be ensured that they also work properly.

There is much corruption in the distribution of seeds. Very often so poor quality seed is supplied to the farmers that it does not grow. Even then its price is realised from the farmers. This is very unfair. Sometimes the seed is supplied late. These things should be properly looked into.

The supply of electricity to the farmers is also irregular and faulty. Not only that sometimes bills are sent to the farmes a second time even though they have been paid once. This kind of harassment of the farmers should be stopped. It is also necessary to ensure that the farmers get a fair returen for their produce.

So far as sugarcane is concerned it is said that half of sugarcane is used in gur manufacture. This is wrong. Hardly 10 per cent of it is used in gur manufacture. The Department should be pulled up for supplying wrong statistics.

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकाशी) : बजट पर चर्चा के दौरान भूतपूर्व और वर्तमान दोनों वित्त मंत्रियों ने कृषि मंत्रालय के साथ किए गए न्याय के संबंध में अपने-अपने तर्क दिए परन्तु भारतीय किसान का अनुभव है कि उनकी समस्याओं को संसद में ठीक से पेश नहीं किया जाता तथा उनकी मांगों पर आज तक उचित रूप से विचार नहीं किया गया। देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है और 60 से 70 प्रतिशत तक लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र की देन है लेकिन बड़े दुख की बात है कि योजना परिव्यय का कुल 30 प्रतिशत भाग कृषि मंत्रालय के लिए आबंटित किया गया है। सरकार का कहना है कि उसने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है लेकिन गांवों में उद्योग खोलने के नाम पर सभी प्रकार की राहतें और प्रोत्साहन केवल बड़े उद्योगपतियों को ही दिए गए हैं। गरीब किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। छोटा किसान चाहे वह पिछड़े क्षेत्र का हो अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्र का उसे 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता है। बड़े किसान 12 से 18 प्रतिशत तक की दर पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं ।

अमरीका और सोवियत संघ ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो ऋण दिया है वह उस पर ब्याज नहीं लेंगे इससे करोड़ों रुपयों के ब्याज की बचत होगी। मेरा अनुरोध है कि भारत में भी ऐसा शुरू किया जाए। कई छोटी परियोजनाएं धनाभाव के कारण रुकी पड़ी हैं। जितना आप विलम्ब करेंगे निर्माण लागत बढ़ती जाएगी। कम से कम सूखाग्रस्त क्षेत्रों में यह परियोजनाएं जल्दी शुरू की जानी चाहिये।

मेरा क्षेत्र एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है वह लोग मुख्यत: भूमिगत जल पर निर्भर करते हैं। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में पानी की भारी कमी होगी। हम कांग्रेस सरकार को पहले ही एक योजना भेज चुके हैं कि केरल से बाढ़ का पानी तिरुनेलवली और रामनद जिलों को मोड़ दिया जाए। वर्तमान सरकार इस पर विचार करे और योजना को तुरन्त लागू करे अन्यथा इस क्षेत्र की सूखे की समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

किसानों को बड़ी आशा थी कि खाद आदि कृषि पदार्थों के मूल्य स्थिर होंगे और उर्वरक के मूल्य घटाए जाएंगे। लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। पहले राज्य सरकारें

किसानों को खण्ड विकास अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं के जरिए कीटनाशक दवाइयां और उर्वरक सस्ते दामों पर बेचा करती थी लेकिन अब यह बन्द हो गया । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें।

सरकार ट्रैक्टर पर उत्पादन कर घटाए तथा शक्ति चालित हलों पर से शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दे। सरकार को ट्रैक्टर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि सभी किसानों को ट्रैक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

कारखाने में ट्रैक्टर का मूल्य 52,000 रुपये है लेकिन उत्पाद शुल्क, बैंक व्याज और राज्य बिक्री कर सब को शामिल करके इसका मूल्य 75,000 रुपये बैठता है इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह व्याज दर और उत्पाद शुल्क में कमी करे ताकि किसान ट्रैक्टर खरीदने में समर्थ हो सकें।

अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाएगा तथा उसकी घोषणा तुरन्त की जाएगी। परन्तु इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई तथा बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि खाद्य निगम को 560 करोड़ रुपया राज सहायता के रूप में दिया गया है। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि खाद्य निगम गेहूं और चावल खाने वालों के बीच भेद क्यों बरतता है। यह किसी भी प्रकार न्यायपूर्ण नहीं कि एक ही वर्ग को लाभ मिलता रहे। उत्पादकों से सस्ती दर पर चावल वसूल करने के नाम पर सरकार ने घटिया किस्म का चावल वसूल किया है और इस चावल को उचित दर की दुकानों को सप्लाई किया गया। भारतीय खाद्य निगम ने भारी मुनाफा कमाया है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये ।

10 वर्ष पूर्व हमने मिश्र से लगभग 150 करोड़ रुपये की लम्बे रेशे वाली कपास आयात की थी। बाद में सरकार ने कपास की गहन खेती की नीति अपनाई। कपास के संबंध में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 'वरलक्ष्मी' और एमसी-5 जैसी कपास की किस्में उगाई गईं। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 1974 में इन किस्मों की कपास किसी ने नहीं खरीदी। कपास उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ। सभी किस्म की 60 लाख के लगभग कपास की गांठे किसानों के पास पड़ी हैं। 10 करोड़ रुपया भारतीय कपास निगम को इन किसानों से कपास खरीदने के लिए दिया गया है। लेकिन यह सब कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह गया केवल 3-1/2 करोड़ रुपया ही व्यय किया गया है।

बजट में रूई के आयात के लिए 120 करोड़ रुपया रखा गया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वर्तमान सरकार की नीति देश में उत्पादन का समर्थन करती है या आयात का। क्या इस धन का उपयोग किसानों को राज सहायता और समर्थन मूल्य देने में नहीं किया जा सकता था जिससे वे छोटे रेशे की कपास का अधिक उत्पादन करे।

तमिलनाडु में अधिकतर क्षेत्र सूखे वाला है तथा वहां केवल विकारोसिया का ही उत्पादन किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। परन्तु किसानों का बिचौलिए शोषण करते हैं। वह इसे 2,000 रुपये प्रति टन खरीदते हैं और जर्मनी, अमरीका, जापान आदि देश को 20,000 से 25,000 प्रति टन के हिसाब से बेचते हैं। राज्य व्यापार निगम इसे खरीद कर निर्यात करे जिससे किसानों को अच्छा मूल्य मिल सके।

तमिलनाडु में दुधारू पशुओं के विकास करने की आवश्यकता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे और औसत-किसान के लिए डेरी का विकास लाभकारी हैं। किसानों को चारा सस्ती दरों पर दिया जाए। वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान भूतपूर्व मंत्री श्री शिन्दे ने कहा था कि खली के निर्यात को बिल्कुल बन्द किया जाना चाहिए। यदि चारा देश में सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तभी डेरी उद्योग का विकास संभव है। इसलिए मैं भी अनुरोध करती हूं कि खली के निर्यात को तुरन्त बन्द किया जाए ताकि किसानों को पशुओं के लिए चारा उचित दाम पर प्राप्त हो सके।

हमारे राज्य के लिए पश्चिमी घाट रुकावट का काम करते हैं, परन्तु गत वर्ष वनों के काटने के फलस्वरूप यह रुकावट समाप्त हो गई है और इसलिए अब धूल और रेत की आंधियां आती रहती हैं। 1000 एकड़ भूमि से अधिक भूमि का रेत उड़ गया है इसलिए सरकार तुरन्त हस्तक्षेप कर केरल और तमिलनाडु सरकार से अधिकाधिक वनरोपण करने के लिए कहे तथा वनों को काटने का ठेका देना रोका जाना चाहिए।

हम ग्रामीण समेकित विकास योजनाओं को कृषि प्रधान उद्योगों की स्थापना कर चालू करने की बात करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रयोग करने के उद्देश्य से कुछ जिलों को लिया गया। तमिलनाडु धर्मपुरी भी उनमें सम्मिलित हैं। यह योजना सभी सूखाग्रस्त जिलों में चालू की जाये तथा इस क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाये।

Shri Hukmdeo Narain Yadav (Madhubani) : What did the Congress do in the last 30 years is not the question today. If it did not do anything it has been defeated and today the Janata Government has come in power. Now the question what should be the policy of the Janata Government in regard to the farmers. The people have very high expectations from the Janata Government and they want that the farmers should be benefited.

The statistics provided by the Government in their various publications are confusing and sometimes even contradictory. For example in regard to surplus land one publication gives the figure of 32.4 lakh acres whereas another publication put it at 11.5 lakh acres. So it is difficult to judge which figure is correct and which is wrong. This should be looked into.

If we really want our agriculture to make progress the first need is land reforms. So long as consolidation of land holdings is not undertaken no good results can be expected. Land ceiling should be imposed only after consolidation of holdings. It is also necessary that the actual tiller is made the owner of the land he tills. It is time the land reform laws are properly enforced and anybody who violates them should be strictly dealt with.

The Janata Government says that 33 per cent budget will be spent on agriculture. But we want to know how much of this money will be frittered away on the construction of bungalows for the officers and their tours abroad. It is time this kind of wasteful expenditure is completely stopped.

So far as the Kosi Project is concerned Government have spent a huge amount on it. But to this day we have not been able to get water for irrigation. If Government want agriculture to develop they will have to first make adequate arrangement for irrigation.

We have seen that while the prices of agricultural inputs have been going up the price paid to the agriculturists for his produce is very little. If sugar produced at a cost of Rs. 112 per quintal is sold in the market from Rs. 300 to Rs. 350 per quintal. Why should not wheat produced at the cost of Rs. 150 per quintal also be sold at the rate of Rs. 300 per quintal ? Perhaps the prices of agricultural products are reduced because the farmers do not have any forum to raise their voice. It is time the farmers are paid remunerative prices for their produce.

After Green Revolution the slogan of white Revolution is raised. But even to this day our people do not get even 1/16 litre milk. If the people do not get milk how can they build their health and face the enemy in the battle field.

Each farmer should be given a pass book in which the details of his land should be entered. If any one sells his land then the entry should be cancelled from his Pass book and entered in the pass book of the one who purchases it.

It is also necessary that taxation is uniform for all people. If Government exempts income up to Rs. 10,000 from icome-tax why should the small farmers with a bigha or two of land should pay land revenue ? They should also get exemption. But certainly those farmers whose income exceeds Rs. 10,000 they should be made to pay agricultural income-tax.

There is need for introducing crop insurance.

श्री वी० के० देव (कालाहांडी) : हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी जन-संख्या का 72 प्रतिशत भाग कृषि कार्य से अपना जीवनयापन करता है और कुल राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि उत्पादन से आता है। बजट भाषण के भाग एक में कृषि पर जोर देने के बावजूद भी बजट भाषण का दूसरा भाग कांग्रेसी बजट की तरह घिसा पिटा है ।

इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि कृषि के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। वित्तीय आवंटन के वर्तमान ढांचे से ऐसा लगता है कि हम पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कृषि को अगर किस प्रकार की हानि हो रही है तो इसका एकमात्र कारण यह रहा है कि इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है ।

देश में कृषि के कुल बुवाई क्षेत्र में से केवल 22.8 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई हो पाती है किन्तु वह भी पूरी तरह से नहीं। शेष भाग में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। इस प्रयोजन के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि दस वर्षों के भीतर देश में बेरोजगारी दूर कर दी जायेगी। ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जबकि कृषि में त्वरित उत्पादन किया जाये। इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं और फिर बेरोजगारी 10 वर्षों के भीतर दूर की जा सकती है । श्रम प्रधान कृषि कार्यों पूरी गति एवं आधुनिक ढंग से किया जाना चाहिए तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जुताई का जापानी तरीका परीक्षण के तौर पर शुरू किया जाना चाहिए।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए

[Shri Dhirendranath Bosu in the Chair]

गोदावरी जल विवाद के हल हो जाने के बाद उड़ीसा की हमेशा से ही सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्र की 5 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने वाली अपर इन्द्रावती योजना को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने स्वीकृति दे दी है । अब यह योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदात्री समिति के विचाराधीन नहीं है। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करे कि यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाये। क्योंकि इस परियोजना के पूरा हो जाने से सूखाग्रस्त रहने वाले इस क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी।

कृषि सुधार के लिए काश्तकारी पहला कदम है। विशिष्ट सीमाबन्दी के बारे में केन्द्रीय निदेश के बावजूद भी एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भूमि सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। भूमि सीमा का प्रश्न शीघ्र निपटाया जाना चाहिए तभी किसान अपनी भूमि सुधारने और अधिक से अधिक उत्पादन करने में कमर तोड़ मेहनत करेगा।

वर्ष 1952 में बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति वर्तमान परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं है। तेजी से वनों के काटे जाने को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीति पर पुनः विचार करना चाहिए।

वनरोपण के प्रति मूक सहानुभूति जताई गई है। कई वर्षों से हम वनमहोत्सव मनाते आ रहे हैं। किन्तु केवल 22.7 प्रतिशत भाग में ही वृक्ष लगाये गए हैं और वे भी केवल नाम मात्र के लिए अनाधिकृत जोतदारों ने जंगलों पर अनाधिकार कब्जा कर रखा है और ठेकेदार लकड़ी चुरा लेते हैं। ठेका प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। 42 वें संशोधन के बाद वन सम्पदा को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को यह निदेश दे सकती है कि राज्य वन सम्पदा में विशेष रुचि लें तथा ठेका प्रथा को समाप्त करें और वनरोपण विभागानुसार किया जाये।

हमें देश में अधिकाधिक वृक्ष लगाने चाहिएं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी विभिन्न परियोजनाएं, चाहे वह पोंग बांध हो या सागर बांध, इन्द्रावती बांध हो अथवा हीराकुंड बांध, अच्छा काम करें तो हमें पूरे जल ग्रहण क्षेत्र में वनरोपण करना होगा।

वन विद्या के बारे में एक नई जागृति पैदा हुई है। फरवरी 1973 में अहमदाबाद में सामाजिक वन विद्या पर एक संगोष्ठी हुई थी। इस संगोष्ठी की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिएं।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा): भारत की अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्यों से होते हुए बहती है और इसीलिए महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के मार्ग में स्थानीय भावनाओं एवम् राजनीतिक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। नर्मदा परियोजना का सम्बन्ध मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान से है।

दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 30 वर्ष बाद भी हम इस बड़ी नदी से जल स्रोत को काम में नहीं लगा पाये हैं। यह एक बहुत बड़ा जल संसाधन है। इसमें 3 करोड़ 60 लाख एकड़ फुट पानी है जो 1 करोड़ 10 लाख भूमि की सिंचाई कर सकता है और 23000 मेगावाट पनबिजली पैदा कर सकता है तथा परियोजन पूरी होने पर बाढ़ों से पूरी तरह रक्षा हो सकती है। अतः इस परियोजना को यथा शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए।

नर्मदा पर बांध की आधार शिला वर्ष 1961 में रखी गई थी। लेकिन बाद में महाराष्ट्र और गुजरात तथा महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को इस विवाद को हल करने का प्रयास किया किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। वर्ष 1967 में मैंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री डी०पी० मिश्रा से बात की और समझौता हो गया। दुर्भाग्यवश श्री डी०पी० मिश्रा मुख्य मंत्री नहीं रहे और संयुक्त विधायक दल की सरकार ने उस समझौते को मान्यता नहीं दी। इसके बाद सरकार ने नर्मदा परियोजना के निर्णय के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की। हमें इन विवादों को शीघ्र हल करना चाहिए। इससे राज्यों का ही नहीं वरन समूचे देश का हित होगा।

अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्णय राज्यों के लिये बाध्यकारी है। हमने कुछ समय पहले सुझाव दिया था कि विनिर्णय को लागू करने के लिये यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाये या कोई कानून बनाया जाये।

नर्मदा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये भी सरकार गंभीरता से विचार करे।

नवगाम बांध का आधार बनाने संबन्धी कार्य भी शुरू किया जाये। अन्तर्राज्य जलविवाद संबन्धी जो भी निर्णय सरकार ले उसे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन विवादों के लिये कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेंगे।

Shri Ramjiwan Singh (Balia) : It is strange that in a country like India where 35 crores of acres of land and 10 per cent of the total river water in the world is available for agriculture, people are starving and there is unemployment. We have to look into the causes for it.

Present Janta Government deserve compliments for adopting a policy of laying more stress on agriculture as they propose to spend 30 per cent of the total budget allocations on agriculture. Government spends crores of rupees on flood control. I would suggest that Government should instead take up drought control schemes. If we could avoid droughts, floods could become a boon for the country. In order to wipe out droughts we should spend maximum on irrigation.

There are a large number of rivers in the country and measures should be taken to utilise their water through lift irrigation schemes. A time bound programme should be chalked out for setting up lift irrigation system. If necessary, other schemes should be shelved and priority should be given to setting up lift irrigation system.

The farmers in the country should be provided with fertilisers improved seeds, agricultural impliments like tractors and power tillers on a no-profit-no-loss basis until we reach the stage of self sufficiency in agriculture. The prices of fertilizers are prohibitive today and agriculturist could not afford to use them. Government should arrange to make fertilizers available to peasants at cheaper rates on a no-profit-no-loss basis. Then, the agriculturists should also be supplied with pesticides to avoid the loss of crops.

There is no definite price policy, as a result of which the farmer do not get remunerative price for their produce. Even for their own requirements, they have to pruchase foodgrains at higher price. Therefore some definite price policy should be laid down with a view to protecting the farmers from the loss due to the price fluctuations in the market.

The land reveneue is fixed in such a manner that small farmers suffers losses. It could therefore be suggested that land revenue should be imposed in proportion to the area of land under occupation. Bihar Government deserve compliments because they propose to abolish land revenue on uneconomic holdings. In this regard a national policy should be evolved and made applicable to the entire country uniformly. Agriculure should be treated as an industry. There are different non-cash crops súch as tobacco, onions etc. Regular industries should be started where these crops could be utilised so that farmers get fair price for their crops.

Government has also to pay their attention to the system of providing credit to agriculturists at cheaper rates of interest. Something should be done to make the banks pay loans to farmers against their lands and they could extend credit to them to the extent of 30 per cent to 40 per cent of the present valuation of the land.

So far as our cattle are concerned measures should be taken to see that our cows produce more milk and per capita consumtion of milk in the country is raised. As regards fisheries we should try to catch fish worth one crore of rupees per year. This will augment the export of fish.

Shri Gananath Pradhan (Sambalpur) : With your permission I would like to speak in Orria regional language.

*अपनी मातृभाषा उड़िया को सम्मानित करने के लिये मैं अपनी मातृभाषा में बोल रहा हूं ।

*उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपान्तर ।

Summarisea translated version based on English translation of the speech delivered in oriya.

मैं माननीय कृषि तथा सिंचाई मंत्री को बधाई देता हूं। जनता पार्टी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रयास करने चाहिएं। यह बात खेदजनक है कि बजट किसानों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता।

पिछले दो वर्षों के दौरान किसानों को सबसे अधिक कष्ट सहने पड़े हैं। उड़ीसा के सीमान्त तथा छोटे किसानों से लैवी वसूल की गयी। लैवी तथा जल कर के नाम पर कोचिंडा क्षेत्र के कुछ किसानों को गोली से मारा गया। हमने जांच की मांग की थी। लेकिन कोई जांच नहीं की गई और कहा गया कि किसान दोषी थे। दूसरी ओर कारखानों के मालिकों तथा अन्य पूंजीपतियों को छेड़ा तक नहीं गया जबकि लाखों रुपये का कर उनके जिम्में बकाया है। जनता सरकार के आने पर भी जल कर के दर कम नहीं किये गये हैं।

हमें अपनी कृषि प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिये। कृषि संबन्धी ज्ञान व अनुभव से अनभिज्ञ लोग केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। विस्तार अधिकारी तथा ग्राम सेवक भी किसानों को कृषि संबन्धी उचित प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं।

बाढ़ तथा सूखा उड़ीसा के दो शत्रु हैं। पिछले 10, 12 वर्षों से यह राज्य सूखे से पीड़ित है, फिर भी इसकी रोकथाम के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। सिंचाई सुविधाएं भी प्रदान नहीं की गयीं है। उड़ीसा के 70 प्रतिशत लोग गरीबी स्तर से नीचे रहते हैं। उनकी दशा की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः उड़ीसा में बाढ़ तथा सूखा राहत देने के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। उड़ीसा के किसानों को धान का उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। वहां के किसानों को धान के उतने संतोषजनक मूल्य नहीं मिलते जितने कि पंजाब व हरियाणा के किसानों को गेहूं के मिलते हैं। अतः गेहूं की तरह धान के मूल्य भी निश्चित किये जाने चाहिये ताकि उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिल सके।

उड़ीसा की आधी जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है। अतः वहां दो या तीन फसली प्रणाली लागू की जानी चाहिये ताकि वहां पैदावार बढ़ सके। महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना के पूरा न होने के न जाने क्या कारण हैं। रंगाली बांध तथा हीराकुंड परियोजना के पूरा न होने के भी न जाने क्या कारण हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा की उन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाये जिनका निर्माण कार्य अभी अपूर्ण है। सिंचाई को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

सरकार को विश्व बैंक से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयास करने चाहिये और इस सहायता का उपयोग कृषि कार्यों के लिये किया जाना चाहिये ताकि हर किसान को जमीन मिल सके जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Speaker in the Chair]

उड़ीसा में बहुत सी जमींन बेकार पड़ी है। इस बेकार भूमि में खेती की जानी चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोगों को जमींन मिल सके।

यह बात खेदजनक है कि सहकारी संस्थायें किसानों को समय पर ऋण नहीं देती। उन्हें ऋण न मिलने का एक कारण यह भी है कि उन्होंने पहला ऋण भी अदा नहीं किया है किसानों के पहले के ऋणों को बट्टे खाते डाला जाना चाहिये।

पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र के किसान कृषि पर अधिक धन लगाते हैं और अधिकाधिक पैदावार प्राप्त करते हैं लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार और उड़िसा में कम पैसा कृषि पर लगाया जाता है और किसान कम पैदावार प्राप्त करते हैं, हमारे राज्य में भी कृषि पर अधिक धन लगाना चाहिये ताकि अधिक पैदावार हो सके।

जापान, थाईलैंड, तथा मलेशिया के किसानों को सहकारी संस्थाओं तथा सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता मिलती है। लेकिन हमारे देश में कृषि के लिये कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं। यद्यपि आयोजन 25 वर्ष पहले शुरू किया गया, फिर भी कृषि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को इन सब बातों की ओर उचित ध्यान देना चाहिये ताकि पैदावार में वद्धि हो सके।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : इनके भाषण का कोई अनुवाद नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : ये अपनी भाषा में बोले हैं। इसका टेपरिकार्ड हुआ है और अनुवाद बाद में होगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तमिलनाडु के बारे में उद्घोषणा

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 जून, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि. 423(ङ) में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य के संबन्ध में जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा रद्द की गई है। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 552/77]

दो इंजनों वाले एक पाकिस्तानी पाइपर विमान के 30 जून, 1977 को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बारे में वक्तव्य

Statement re. landing of Pakistani twin engined Piper Aircraft at Amritsar Airport on 30 June, 1977

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं सभा को सूचित करता हूं कि पाकिस्तान का एक दो इंजन वाला पाइपर जहाज खराब मौसम तथा इंधन की कमी के कारण आज 11.30 म०पू० के बाद अधिकारियों की अनुमति से अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। चालक को मौसम ठीक होने के बाद वापस लाहौर जाने की अनुमति दे दी गयी है।

इसके बाद, लोक सभा शुक्रवार 1 जुलाई, 1977/10 आषाढ़ 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, July 1, 1977/Asada 10, 1899 (Saka).

MGIPRRND—8 LSS/77—Sec. I Day—17-10-77—200.